

## अनुक्रमणिका CONTENTS

क्रम. सं. S.No.		पृष्ठ संख्या Page No.
1.	अध्यक्षीय भाषण Chairman's Speech	03-05
2.	कम्पनी की दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य Vision, Mission and Objectives	06
3.	सूचना Notice	07-08
4.	अनुलग्नकों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन Directors' Report along with annexures	09-44
5.	प्रबन्ध चर्चा एवं विश्लेषण का प्रतिवेदन Management Discussion and Analysis Report	45-49
6.	अनुलग्नकों सहित लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report along with annexures	50-66
7.	तुलन पत्र Balance Sheet	67-68
8.	लाभ हानि विवरण Profit and Loss Statement	69-70
9.	समता अंशों में परिवर्तन का विवरण Statement Of Change In Equity	71-72
10.	नकद प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	73-74
11.	वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1-62 Notes 1 To 62 of Financial Statement	75-142
12.	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	143

**PRINCIPAL EXECUTIVES**

प्रमुख कार्यपालक

**Brigadier Amar Singh Rathore**  
Chairman and Managing Director

ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

**Shri Jatin Chopra, IRTS**  
Chief Vigilance officer  
(upto 10.02.2022)

श्री जतिन चोपड़ा आई.आर.टी.एस  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
(दिनांक 10.02.2022 तक)

**SENIOR EXECUTIVES**

वरिष्ठ अधिकारी

**Shri S.S. Shekhawat**  
General Manager  
(upto 31.08.2021)

श्री एस.एस. शेखावत  
महाप्रबन्धक  
(दिनांक 31.08.2021 तक)

**Shri Rajendra Singh Rathore**  
Dy.General Manager (Mining)  
Acting General Manager  
(from 01.09.2021)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़  
उप महाप्रबन्धक (खनन)  
कार्यवाहक महाप्रबन्धक  
(दिनांक 01.09.2021 से)

**Shri Arvind Kumar Jain**  
Assitant General Manager (Mining)

श्री अरविन्द कुमार जैन सहाक  
सहायक महाप्रबन्धक (खनन)

**Shri M.S.Parihar**  
Senior Manager (Mining)

श्री एम. एस. परिहार  
वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

**Shri Bhojraj**  
Senior Manager (Mining)

श्री भोजराज  
वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

**Shri Pankaj Kumar**  
Senior Manager (Mining)

श्री पंकज कुमार  
वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

**COMPANY SECRETARY**

कम्पनी सचिव

**Shri Siddharth Kumar**  
Company Secretary  
(upto 31.07.2021)

सिद्धार्थ कुमार  
कम्पनी सचिव  
(दिनांक 31.07.2021 तक)

**Miss Urvashi Verma**  
Company Secretary  
(from 27-01-2022)

सुश्री उर्वशी वर्मा  
कम्पनी सचिव  
(दिनांक 27.01.2022 से)

**Auditor**  
**M/s. Om P. Maheshwari & Associates**

Chartered Accountants, Jodhpur

अंकेक्षक  
मैं. ओम पी. महेश्वरी एण्ड  
एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउण्टेंट, जोधपुर

**Secretarial Auditor**

**Dhirendra Sharma**  
Company Secretaries

धीरेन्द्र शर्मा  
कंपनी सचीव  
जोधपुर

**Bankers:**

State Bank of India  
Punjab National Bank  
Union Bank of India  
IDBI Bank  
ICICI Bank  
Axis Bank

**बैंकर्स:**

भारतीय स्टेट बैंक  
पंजाब नेशनल बैंक  
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया  
आई डी बी आई बैंक  
आई सी आई सी आई बैंक  
एक्सिस बैंक

## अध्यक्षीय भाषण / CHAIRMAN SPEECH



### प्रिय अंशधारकों,

मुझे आपकी कम्पनी की 19वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करने में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण दो चुनौतीपूर्ण वर्षों की आर्थिक मंदी के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में उज्ज्वल क्षितिज की ओर देख रही है। आपकी कंपनी ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपना लचीलापन बनाए रखा और मजबूत बनकर उभरी है। महामारी के दौरान सामग्री की आपूर्ति और आवाजाही निरंतर जारी रही।

आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति वास्तव में कम्पनी के लिए आपकी भागीदारी एवं समर्थन का एक सच्चा प्रमाण है।

अब मैं एक संक्षिप्त अवलोकन के साथ आपकी कम्पनी की रणनीति एवं प्रदर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा।

### भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन:

आपकी कम्पनी एक प्रभावशाली खनिज सम्पदा से सम्पन्न है। स्थापना के बाद से हमने गहन मशीनीकरण और नई तकनीक को अपनाकर उत्पादन और उत्पादकता में सराहनीय प्रगति की है। हालांकि हाल के समय में नियामक ढांचे में बड़े बदलाव के कारण कम्पनी के प्रदर्शन में कमी आई है। 2015 में बड़े नियामक परिवर्तनों के बाद, आपकी कंपनी जिप्सम के अलावा अन्य खनिजों में विविधता लाने और इसके संचालन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त खनिज की गुणवत्ता एवं मात्रा से सम्बन्धित अन्य मुद्दे हैं जिनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं।

पिछले वर्ष 504871 मै.टन उत्पादन व 505340 मै.टन. बिक्री की तुलना में इस वर्ष कम्पनी ने 411358 मै.टन उत्पादन व 412730 मै. टन जिप्सम की बिक्री की। इसी प्रकार पिछले वर्ष रु. 37.81 करोड़

### Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you in 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of your Company. After two challenging years of economic slowdown due to COVID-19 pandemic, the Indian economy looks towards brighter horizons in coming days. Your company has established its resilience during the challenging times and has emerged stronger. The supply and movement of material continued unscathed during the pandemic.

I thank you for joining us today. Your presence is indeed a true testimony to your involvement and support for the Company.

I would now start with a brief overview of the strategy and performance of your company.

### Physical and Financial Performance

Since inception we progressed appreciably in production and productivity through intensive mechanisation and adoption of new technology. However in recent times the performance of the company has come down because of major changes in regulatory framework. After major regulatory changes in 2015, your company is constantly trying to diversify into minerals other than gypsum and also to expand its area of operation. There are other issues relating to quality and quantity of mineral that we are addressing to mitigate the adverse effects.

During the period under review, the company produced and sold 411358 MT and 412730 MT gypsum as against 504871 MT and 505340 MT gypsum respectively of last year. The sales turnover and profit before tax are Rs.41.44



मंजूरी दे दी थी एवं इस सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये गये थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किये गये आशय पत्र के विरुद्ध, शिमला उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश जारी किया है, अतः स्थगन आदेश खारिज होने के पश्चात् इस परियोजना की गतिविधियों के लिए हम कार्य करने की स्थिति में होंगे। उर्वरक की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ, कंपनी चित्तौड़गढ़ में एस.एस.पी परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य में रॉक फॉस्फेट ब्लॉक के आवंटन के लिए खान मंत्रालय से संपर्क किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हुई है।

### कारपोरेट सामाजिक दायित्व

हम पर्यावरण और समाज से जुड़ी हुई समस्याओं से घिरी हुई दुनिया में रह रहे हैं। समाज का हिस्सा होने के कारण सी.एस.आर इन समस्याओं के कुछ हद तक समाधान का साधन है। इसलिए इसके अनुसरण में कम्पनी ने विभिन्न सी.एस.आर गतिविधियों जैसे शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा, पीने योग्य पानी की सुविधा में सुधार आदि पर वर्ष के दौरान रु. 46.14 लाख व्यय किये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) के तत्वाधान में कृषि में सिलिकियस चॉक के संभावित उपयोग की खोज की एक R&D परियोजना शुरू की गई है।

### कारपोरेट गर्वनेंस

भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण आपकी कम्पनी व्यापक नियमों और विनियमों के अधीन है। अतः सरकारी इकाई व एक कारपोरेट होने के नाते कम्पनी को न केवल कारपोरेट के लिए लागू प्रावधानों बल्कि डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों, सी.वी.सी. व आर टी. आई. के प्रावधानों का भी पालन करना होता है। इसके अतिरिक्त सी.ए. जी. व उर्वरक विभाग के निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि स्थापना के पश्चात् से ही सी.ए.जी. हमेशा कम्पनी के खातों पर शून्य टिप्पणी जारी करता रहा है।

अंत में, मैं उर्वरक विभाग, खनन मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान राज्य सरकार के समर्थन व मार्गदर्शन के लिए उनको अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इसके अतिरिक्त फेगमिल परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस कम्पनी के संचालन में ईमानदारी व उत्साह के साथ अपना योगदान दिया।

स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें।

धन्यवाद,

हस्ताक्षर  
(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

cement in Himachal Pradesh. For this single window clearance was granted by Government of Himachal Pradesh and MOU was signed on 25.02.2019 with them. However, the Hon'ble High Court, Shimla issued stay order against the Letter of Intent (LOI) issued by State Government of Himachal Pradesh. After lifting of Stay order, we would be in position to start the activities for the project. With the steep increase in fertilizer prices; the company is reevaluating the feasibility of SSP Project at Chittorgarh. Also, Ministry of Mines has been approached for allocation of Rock Phosphate Block in the state of Madhya Pradesh, for which the concurrence of State Government has been received.

### Corporate Social Responsibilities

We are living in a world surrounded with numerous issues related to environment and society. CSR is a mean to resolve these issues to some extent since business is also a part of society. Therefore, in pursuance of this, your company has spent Rs.46.14 lakh on various social welfare activities like promoting education, promoting health care, improving drinking water facilities etc. An R&D Project of Exploring the potential use of silicious chalk in agriculture: sodicity reclamation and nutrient source has been started under the aegis of Indian Council of Agriculture Research (ICAR) - Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI).

### Corporate Governance

Being a Government of India Undertaking, your company is subject to comprehensive Rules and Regulation as applicable to Government. Therefore, being a Corporate and Government entity, the company not only has to comply with the provisions applicable to a Corporate but also follow the DPE guidelines, CVC advisories, RTI etc. Apart from this Instructions from CAG and DOF are strictly followed without fail. It is pertinent to mention here that since inception, CAG has always been issuing nil comments on the accounts of the company.

Finally, I would like to place on record the valuable guidance and support of the DOF, Ministry of Mines, Government of India, State Government of Rajasthan and last but not the least to FAGMIL family who have contributed through their sincere and enthusiastic efforts in the operations of this company.

Stay Healthy Stay Safe.

Thanking you.

Sd/-  
(Brigadier Amar Singh Rathore)  
Chairman and Managing Director

## कम्पनी की दूरदर्शिता लक्ष्य एवं उद्देश्य

### दूरदर्शिता

जिप्सम का भूमि सुधार एवं मृदा में गंधकीय पोषक तत्वों द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि हेतु खनन कार्य करना एवं विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के खनन एवं उर्वरकों के उत्पादन में अग्रणी कम्पनी बनना तथा सीमेंट उद्योगों को जिप्सम की आपूर्ति द्वारा आधारभूत संरचना के विकास में योगदान देना।

### लक्ष्य

कम्पनी का लक्ष्य भारत में अथवा संसार के किसी भी भाग में जिप्सम तथा अन्य खनिजों एवं उसके उत्पादों तथा सभी कार्बोनिक व अकार्बोनिक रसायन कम्पाउण्ड व उत्पत्ताओं के संबंध में उनके योगिक और मिश्रण सहित सभी प्रकार के व्यापार को स्थापित करना और उसे आगे बढ़ाना है।

### उद्देश्य

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य जोधपुर खनन संस्थान (जे. एम. ओ.) को जो कि राजस्थान राज्य में स्थित था और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की एक इकाई थी को अंगीकृत करना तथा बी आई एफआर/केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 में अविलयन योजना को प्रभावित करना था।

### कम्पनी के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- जिप्सम व खनिजों का दक्षता पूर्वक, किफायती और पर्यावरण मित्रवत विधि से खनन व विपणन करना है।
- कम्पनी की परिसम्पत्ति और संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रबंधन एवं निवेश पर उचित लाभ को सुनिश्चित करना और आन्तरिक स्रोतों को बढ़ाना है।
- समृद्धि के लिये विविधिकरण/विस्तार योजनाओं पर कार्य करना और कम्पनी की लाभदायकता को बढ़ाना एवं सरकार की नीतियों/निर्देशों को सत्यनिष्ठा एवं संगत तरीके से लगातार प्रोन्नत करना है।
- अन्य उर्वरकों जैसे एस.एस.पी. के उत्पादन में सरकारी नीतियों/दिशानिर्देशों के अन्तर्गत उत्पादन कार्य के उद्यम में संलग्न होना।
- जन संसाधन की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाना तथा संगठन व प्रबंधन के विकास को प्रोन्नत करना है।
- पर्यावरण को संरक्षित करना एवं उसका ध्यान रखना और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा स्थापित मानकों का पालन करना है।
- बेहतर उत्पाद और उपलब्धता के द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ावा देना।

## Vision, Mission and Objectives of the Company

### Vision

To become a leader in Mining of strategic minerals including gypsum for reclamation of land improving the health of the soil with sulphur nutrients, infrastructure development through supply of ROM gypsum to cement industries and producing various types of Fertilizers.

### Mission

The Company's mission is to establish and carry on in India or in any part of the World all kinds of business relating to Gypsum and other minerals and their by-products and manufacture of various types of fertilizers, all organic and inorganic chemical compounds including by products, derivatives and mixtures thereof.

### Objectives

The main objective of the Company was to take over the entire unit known as Jodhpur Mining Organization (JMO) situated in the State of Rajasthan, being a Unit of Fertilizer Corporation of India Limited and to carry into effect the Scheme of separation (de-merger) of JMO with effect from 1<sup>st</sup> April 2003, as approved by Hon'ble BIFR/the Central Government in this regard.

### The other objectives of the company are as under:

- To mine and market Gypsum & other organic and inorganic minerals efficiently and economically in an environmental friendly manner.
- To effectively manage the assets & resources of the company to ensure a reasonable return on investments and to maximize internal resources.
- To work out diversification / expansion schemes for the growth and to increase the Profitability of the Company and promote forward integration consistent with govt. policies/ guidelines.
- To venture into Production of other fertilizers such as SSP etc. in consistence with Govt. policies/ guidelines.
- To continuously upgrade the quality of human resources and promote organizational and Management development.
- To care for & protect the environment and also improving on the standards laid down by Pollution Control Authorities.
- To increase customers satisfaction by providing quality products & services.

**सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 12 सितंबर 2022 को दोपहर 01.00 बजे पंजीकृत कार्यालय संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर बी, विवेक विहार योजना, जोधपुर/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित व्यापार के लिए आयोजित किया जायेगा:-

**साधारण व्यापार:-**

- 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सहित निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन को गृहण व अंगीकृत करना।
- कम्पनी के सामान्य अंशों पर लाभांश घोषित करना।
- यदि उपयुक्त समझा जाये तो संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधनों के लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक के निर्धारण के प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव की तरह विचार करना:-

"संकल्पित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) व 142, इसके अधीन बनाये गये नियमों/विनियमों एवं अन्य लागू उपबन्धों के अन्तर्गत (जिसमें समय-समय पर वैधानिक संशोधन शामिल हैं), वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए उचित और समीचीन पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी की सहमति निदेशक मण्डल के पक्ष में दी जाती है।

**निदेशक मंडल के निर्देशानुसार**

एफ सी आई अरावली जिप्सम एंव मिनरल्स  
इंडिया की ओर से

(उर्वशी वर्मा)  
कंपनी सचिव

दिनांक: 18.08.2022

स्थान : जोधपुर

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of the Company FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited will be held on Friday, 12<sup>th</sup> September 2022 at 01.00 p.m. at Registered Office Institutional Area, Sector B, Vivek Vihar Scheme, Jodhpur/ through Video Conferencing.

**ORDINARY BUSINESS:**

- To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2022, the reports of the Board of Directors' and Auditors' Report thereon; and
- To declare dividend on Equity Shares of the Company; and
- To fix the remuneration of auditors and to consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to section 139(5), 142 and any other applicable provisions of Companies Act 2013, Rules/ regulations made there-under (including any statutory modifications or enactment thereof for the time being in force), the consent of the company be and is hereby accorded in favour of Board of Directors to fix the remuneration as may be reasonable and expedient, of the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for conducting the Audit of the accounts of the Company for the financial year 2022-23."

**By order of the Board of Directors,**

For FCI Aravali Gypsum &  
Minerals India Limited

(Urvashi Verma)  
Company Secretary

Dated: 18.08.2022

Place: Jodhpur

## नोट :

1. प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. कम्पनी अधिनियम की धारा 96(1) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी को अपने लेखों के बन्द होने की तिथि से 6 महीने के अन्दर कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक आम सभा व्यापारिक समय पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा उस शहर, कस्बे, गांव में जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, बुलाना आवश्यक है।

सेवा में,  
सभी सदस्यगण व निदेशक मण्डल

## Note:

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend & vote instead of himself. A proxy need not be a shareholder of the company.
2. Section 96 (1) requires that every company shall in each year hold Annual General Meeting (AGM) within 6 months from the date of closing of the financial year during business hour at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated.

To,  
All Members, Directors and Auditors

## निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के अनुसार)

## प्रिय सदस्यगणों,

कम्पनी के निदेशक मण्डल की ओर से मुझे कम्पनी की 19 वीं वार्षिक आम सभा में 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों व अंकेक्षकों के प्रतिवेदन सहित अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

## (1) वित्तीय परिणाम एवं विनियोजन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 4143.70 लाख (पिछले वर्ष रु. 3781.35 लाख) का कारोबार व रु.1557.29 लाख (पिछले वर्ष रु. 1821.94 लाख) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। बिक्री में वृद्धि का मुख्य कारण कृषि योग्य जिप्सम की अधिक बिक्री होना है। कम्पनी ने पिछले वर्ष 2021-22 में 4.13 लाख मै.टन जिप्सम की बिक्री की, जबकि 2020-21 में 5.05 लाख मै.टन जिप्सम की बिक्री की। कम्पनी ने पिछले वर्ष 2021-2022 में 0.69 लाख मै. टन कृषि योग्य जिप्सम की बिक्री की जबकि 2020-21 में 0.32 लाख मै. टन जिप्सम की बिक्री की। कृषि योग्य जिप्सम एक उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद है जो उच्च प्रतिफल देता है। कर पूर्व लाभ में कमी का कारण पी एफ ट्रस्ट की प्रतिभूति में होने वाली हानियां हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आयतित जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगों की अस्थिर मांग, मोहनगढ़ खान समूह से बिक्री में कमी, एवं निजी विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति आदि बिक्री व लाभ में कमी की मुख्य वजह है।

वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ रु. 1159.33 लाख (पिछले वर्ष रु. 1348.11 लाख) का रहा।

वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन से सम्बन्धित मुख्य आकड़े निम्न हैं।

(रु. लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
विक्रय	4143.70	3781.85
मूल्य ह्रास, अपवादिक मद, ब्याज व कर पूर्व लाभ	1796.92	1778.70
मूल्य ह्रास	64.22	25.68
ब्याज	0	0
मूल्यह्रास व ब्याज पश्चात् व अपवादिक मद व कर पूर्व लाभ	1732.68	1753.02
अपवादिक मद-आय/(व्यय)	(175.39)	68.92
<b>कर पूर्व लाभ</b>	<b>1557.29</b>	<b>1821.94</b>

## DIRECTORS' REPORT

(In accordance with the section 134(3) of the Companies Act, 2013)

## Dear Members,

On behalf of Board of Directors, I take pleasure to present the audited accounts of the company along with and Directors' Report in 19<sup>th</sup> Annual General Meeting for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2022.

## 1. FINANCIAL RESULTS &amp; APPROPRIATIONS:

During the year under review, the company achieved turnover of Rs. 4143.70 lakh (previous year Rs.3781.35 lakh) with Profit before tax of Rs.1557.29 lakh (previous year Rs.1821.94 lakh). Increase in Sales Turnover is due to higher sales of Agriculture grade gypsum. The company sold 4.13 LMT gypsum in 2021-22 in comparison to 5.05 LMT in 2020-21. The company sold 0.69 LMT Agriculture Grade Gypsum in 2021-22 in comparison to 0.32 LMT in 2020-21. Agriculture grade gypsum is value added product which gives higher return. The PBT is low due to exceptional losses which are due to impairment of securities of PF trust.

Further volatile demand by cement industries due to imported gypsum, lesser off-take from Mohangarh Mines in comparison to its capacity and supplies by private players are major factors in decrease of sales.

Post-Tax profit is Rs.1159.33 lakh (previous year Rs.1348.11 lakh).

The key figures relating to financial performance of the company for the year 2021-22 and 2020-21 are given below:-

(Rs. in lakh)

Particulars	2021-22	2020-21
Turnover	4143.70	3781.35
Profit before Depreciation, Exceptional items, Interest & Tax	1796.92	1778.70
Depreciation	64.22	25.68
Interest Paid	0	0
Net Profit after Depreciation & Interest but before exceptional item and tax	1732.68	1753.02
Exceptional Items- Income/(Expenditure)	(175.39)	68.92
<b>Profit before Tax</b>	<b>1557.29</b>	<b>1821.94</b>

विवरण	2021-22	2020-21
कर के लिए प्रावधान	407.25	460.73
आस्थगित कर	(11.35)	13.04
पिछले वर्ष का कर समायोजन	2.06	0.06
<b>वर्ष के दौरान लाभ</b>	<b>1159.11</b>	<b>1348.11</b>
वे मदें जिन्हें बाद में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है		
परिभाषित लाभ देयताओं (सम्पत्तियों) का पुनः निर्धारण	28.72	58.58
उन वस्तुओं से सम्बन्धित आयकर जिन्हे बाद में लाभ/हानि में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता	-7.23	-14.74
वर्ष के दौरान कुल अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात्)	21.49	43.84
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	<b>1180.82</b>	<b>1391.95</b>
लाभ हानि खाते से हस्तान्तरण	4544.80	4538.66
विनियोग		
लाभांश	1260	1251
लाभांश पर कर	0	0
सामान्य संचय में हस्तान्तरित	115.93	134.81
विकास संचय में हस्तान्तरित	0	0
अगले वर्ष ले जाया गया शुद्ध आधिक्य	4349.69	4544.80

## (2) अंशपूँजी

कम्पनी ने दिनांक 25.09.2019 को अपनी अधिकृत पूँजी को रु.30 करोड़ से बढ़ाकर रु. 50 करोड़ कर दिया और दिनांक 05.03.2021 को अपनी प्रदत्त पूँजी को 30 करोड़ बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का Differenal Right, ESOP और Sweat equity निर्गमित नहीं किया है।

## (3) लाभांश एवं बोनस

आपकी कंपनी का अब तक सतत् रूप से लाभांश का भुगतान किया है। अतः इस वर्ष भी कम्पनी के प्रदर्शन को देखते हुए आपके निदेशकों ने वर्ष 2021-22 के लिए रु. 50.00 करोड़ की चुकता पूँजी (रु. 2.51 प्रति शेयर रु.10 प्रति शेयर) के 25.10% की दर से रु.1255 लाख के लाभांश की सिफारिश की है। (पिछले वर्ष रु. 1260 लाख

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for Current Tax	407.25	460.73
Deferred tax Charge	(11.35)	13.04
Tax adjustment for previous year	2.06	0.06
<b>Profit for the year</b>	<b>1159.33</b>	<b>1348.11</b>
Other comprehensive income		
Re-measurement of Post Employment Benefit Obligation	28.72	58.58
Income Tax relating to items that will not be reclassified to P&L	-7.23	-14.74
<b>Total other comprehensive income for the year, net of tax</b>	<b>21.49</b>	<b>43.84</b>
Total comprehensive income for the year	1180.82	1391.95
Transfer from P&L Account	4544.80	4538.66
Appropriations		
Dividend paid	1260	1251
Tax on Dividend paid	0	0
Transfer to General Reserve	115.93	134.81
Transfer to Development Reserve	0	0
Net closing surplus carried to next year	4349.69	4544.80

## 2. SHARE CAPITAL:

The Company has increased its Authorized Share Capital from Rs. 30 crore to Rs. 50 crore on 25.09.2019 and Paid up capital from Rs. 30 crore to Rs. 50 crore 05.03.2021.

The company has not made any issue of capital with reference to Differential rights, Employees Stock option and Sweat Equity either to its employees or other persons during the year.

## 3. DIVIDEND AND BONUS:

Your company has consistent track record of Dividend Payment so far. Therefore keeping in view the good performance of the company, your directors have recommended a dividend of Rs.1255 lakh @ 25.10% of paid up capital of Rs. 50 crore (Rs. 2.51 per share of Rs.

यानी रु.50.00 करोड़ की चुकता पूंजी का 25.20% है।) जिसे आगामी 19वीं वार्षिक आम सभा में समर्थन मिलता है तो भारत के माननीय राष्ट्रपति, जो कि कम्पनी में अकेले अंशधारी है को भुगतान किया जायेगा।

#### (4) उपलब्धियाँ :

(अ) **समझौता ज्ञापन** : एम.ओ.यू. भारत सरकार व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन के बीच एक पराक्रम्य समझौता है। इसके अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं एवं उपक्रम वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वर्ष के अन्त में प्राप्त प्रदर्शन को "पांच सूत्री पैमाने" पर आंका जाता है।

प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण (जैसा कि पैरा 1 में उल्लेख किया गया है), आपकी कंपनी 2021-22 के लिए "निष्पक्ष" एमओयू रैंकिंग की उम्मीद कर रही है।

(ब) **मिनीरत्ना दर्जा** : कम्पनी अपनी स्थापना के समय वर्ष 2003-04 से ही नियमित रूप से लाभ कमा रही है। अतः कम्पनी के नियमित प्रदर्शन देखते हुए भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या: 18018/2/2011-FCA दिनांक: 06.06.2011 के द्वारा कम्पनी को मिनीरत्ना-II का दर्जा प्रदान किया है।

#### (5) प्रदर्शन

##### (अ) उत्पादन एवं विक्रय प्रदर्शन :

कम्पनी ने पिछले वर्ष 504871 मै.टन जिप्सम उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 411358 मै. टन जिप्सम का उत्पादन किया। कम्पनी ने 412730 मै.टन (पिछले वर्ष 505340 मै.टन) जिप्सम मैसर्स एचएलआरडीसी, यू.पी. स्टेट एगो, वन विभाग उत्तर प्रदेश एवं अन्य सीमेंट उद्योगों को बेचा। कम्पनी ने वर्ष के दौरान रु. 4143.70 लाख (पिछले वर्ष रु. 3781.35 लाख) की बिक्री के साथ रु. 1557.29 लाख (पिछले वर्ष रु. 1821.94 लाख) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।

बिक्री में वृद्धि का कारण पाउडर जिप्सम की अधिक बिक्री है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 0.32 लाख मै.टन पाउडर जिप्सम की तुलना में वर्ष 2021-22 में 0.69 लाख मै.टन पाउडर जिप्सम की बिक्री की। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 4.73 लाख मै. टन आर. ओ. एम. जिप्सम की तुलना में 2021-22 में 3.44 लाख मै. टन आर. ओ. एम. जिप्सम की बिक्री की। कृषि योग्य जिप्सम मूल्य वर्धित उत्पाद है जो उच्च प्रतिफल देता है। कर पूर्व लाभ में कमी का कारण पी एफ ट्रस्ट की प्रतिभूतियों के असाधारण नुकसान का होना है।

आयातित जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगों द्वारा अस्थिर मांग, मोहनगढ़ की खदानों से कम उठाव और निजी आपूर्ति कर्ताओं द्वारा जिप्सम की बिक्री जिप्सम की बिक्री में कमी के प्रमुख कारक हैं।

पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं बिक्री निम्न प्रकार है :

10/- each) for the year 2021-22(Previous year Rs. 1260 lakh i.e 25.20% of Paid up capital of Rs. 50 crore) which if approved at the ensuing 19<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), will be paid to President of India who is the only shareholder of the company.

#### 4. ACHIEVEMENTS:

a. **MOU rating:** MoU is a mutually negotiated agreement between the management of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and the Government of India. Under this agreement, the CPSE undertakes to achieve the targets set in the agreement at the beginning of the year and the performance is rated every year on a five point scale.

Due to adverse business conditions (as mentioned in para 1), your company is expecting "Fair" MOU ranking for 2021-22.

b. **Miniratna Category:** The Company has been making continuous profit since inception i.e. 2003-04. Therefore, keeping in view the consistent performance, the Government of India conferred the status of "Miniratna-II" category to the company on 06.06.2011 vide letter no. 18018/2/2011-FCA.

#### 5. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

##### a. Production / Sales Performance

During the year, the total production of Gypsum was 411358 MT as compared to 504871 MT production of previous year. The company sold 412730 MT (previous year 505340 MT) of gypsum to HLRDC, UP Agro, Forest department and various other cement companies. The company achieved Sales turnover of Rs.4143.70 lakh (previous year Rs. 3781.35 lakh) with Profit before tax of Rs.1557.29 lakh (previous year Rs.1821.94 lakh).

Increase in Sales Turnover is due to higher sales of Powder gypsum. The company sold 0.69 LMT Powder gypsum in 2021-22 in comparison to 0.32 LMT in 2020-21. The company sold 3.44 LMT ROM Gypsum in 2021-22 in comparison to 4.73 LMT in 2020-21. Agriculture grade gypsum is value added product which gives higher return. The PBT is low due to exceptional losses which are due to impairment of securities of PF trust.

Further volatile demand by cement industries due to imported gypsum, lesser off-take from Mohangarh Mines in comparison to its capacity and supplies by private players are major factors in decrease of sales.

The production and sales of last three years are as under:

(मै.टन)

(MT)

वर्ष	बिक्री	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन क्षमता का प्रयोग
2019-20	498789	497393	1110000	44.81%
2020-21	505340	504871	1106000	45.65%
2021-22	412730	411358	1106000	37.19%

Year	Total Sales	Production	Capacity	Production Capacity utilization
2019-20	498789	497393	1110000	44.81%
2020-21	505340	504871	1106000	45.65%
2021-22	412730	411358	1106000	37.19%

वर्ष	बिक्री (मै.टन)		बिक्री कारोबार (रु.)	
	आरओएम	पाउडर	आरओएम	पाउडर
2019-20	443915	54874	249694112	108988134
2020-21	472966	32373	308041011	70094170
2021-22	343691	69039	290596841	123773213

Year	Sales (MT)		Sales Turnover (Rs.)	
	ROM	Powder	ROM	Powder
2019-20	443915	54874	249694112	108988134
2020-21	472966	32373	308041011	70094170
2021-22	343691	69039	290596841	123773213

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रत्येक खानों की बिक्री निम्न प्रकार है।

Mine wise sales of current year in relation to previous year are given as under:-

(लाख मै.टन)

(LMT)

खान समूह	2021-22	2020-21	वार्षिक क्षमता	उपलब्धि क्षमता % के रूप में
मोहनगढ़	1.61	2.41	5.50	29.27
बीकानेर	0.51	0.22	0.90	56.67
सूरतगढ़	1.63	1.01	2.70	60.37
रामसिंहपुर	0.21	1.30	1.50	14
कवास	0.17	0.11	0.46	36.96
<b>कुल</b>	<b>4.13</b>	<b>5.05</b>	<b>11.06</b>	<b>37.34</b>

Group of Mines	2021-22	2020-21	Annual Capacity	Achievement as a % of capacity
Mohangarh	1.61	2.41	5.50	29.27
Bikaner	0.51	0.22	0.90	56.67
Suratgarh	1.63	1.01	2.70	60.37
Ramsinghpur	0.21	1.30	1.50	14
Kavas	0.17	0.11	0.46	36.96
<b>Total</b>	<b>4.13</b>	<b>5.05</b>	<b>11.06</b>	<b>37.34</b>

**(ब) वित्तीय प्रदर्शन:-**

कम्पनी ने वर्ष के दौरान रु. 4143.70 लाख की बिक्री (पिछले वर्ष रु. 3781.35 लाख) के साथ रु.1557.29 लाख रुपये कर पूर्व लाभ (पिछले वर्ष रु 1821.94 लाख) अर्जित किया। कर पश्चात् लाभ रु. 1159.33 लाख (पिछले वर्ष रु.1348.11 लाख) का रहा। कम्पनी ने आरओएम जिप्सम को बढ़ावा देने के लिए मात्रात्मक छूट की दर को जारी रखा। वर्ष 2020-21 में 5.05 लाख मै.टन के तुलना में वर्ष 2021-22 दौरान कम्पनी ने 4.13 लाख मै.टन जिप्सम की बिक्री की।

**b. Financial Performance**

The Company has achieved Sales turnover and Profit before tax of Rs. 4143.70 lakh (previous year Rs. 3781.35 lakh) and Rs.1557.29 lakh (Previous year Rs. 1821.94 lakh) respectively. The post-tax profit is Rs.1159.33 lakh (previous year Rs. 1348.11 lakh). The company continued the quantitative rebate to boost the ROM gypsum sale. During the year, the company sold 4.13 LMT gypsum in comparison to 5.05 LMT gypsum in 2020-21.

**(स) विक्रय संवर्धन:**

विक्रय संवर्धन एक ऐसा गतिविधियों का समूह है जिसमें संभावित ग्राहकों को तलाशने व वर्तमान ग्राहकों को उत्पादित वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें न केवल विज्ञापन वरण व्यापारिक मेलों में भागीदारी भी शामिल होती है। हालांकि कम्पनी

**c. Sales Promotion**

Sales promotions are set of marketing activities undertaken to boost up the sales by persuading potential customers to buy the product. It not only includes advertising campaigns but also includes participation in



क्र. स.	खान का नाम व स्थान	पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	खनन पट्टों / कार्यान्वयन की स्वीकृति तिथि	खनन पट्टों की समाप्ति तिथि	क्षमता (मै.टन)	टिप्पणी
9	पदमपुरा श्री गंगानगर	120.00	22.05.2009	21.05.2059	50000	खान प्रचलन में है।
10	किशनपुरा-A	4.98	17.10.2013	16.10.2063	50000	खान प्रचलन में है।
11	खाल-श्री गंगानगर	86.12	16.05.2007	15.05.2007	50000	खान प्रचलन में है।
12	धंधड़ा, श्री गंगानगर	132.37	21.02.2012	31.03.2053	100000	खान प्रचलन में है।
13	कवास (चार लघु अवधि के पट्टे)	11.90	12.06.2020	11.06.2025	46000	खान प्रचलन में है।
	<b>कुल</b>				<b>1106000</b>	

S. No.	Name & Location of the Mines	Lease Area	Date of Grant of Mining Lease	Date of Expiry of Lease	Capacity in MT	Remarks
9	Padampura, Sriganganagar	120.00	22.05.2009	21.05.2059	50000	Mine is operational
10	Kishanpura-A	4.98	17.10.2013	16.10.2063	50000	Mine is operational
11	Khal, Sriganganagar	86.12	16.05.2007	15.05.2007	50000	Mine is operational
12	Dhandra, Sriganganagar	132.37	21.02.2012	31.03.2053	100000	Mine is operational
13	Kavas (4 Short Term Permits)	11.90	12.06.2020	11.06.2025	46000	Mine is operational
	<b>Total</b>				<b>1106000</b>	

**(ब) खदानों का समर्पण:** रणधीसर और कुपली खदानों का समर्पण 31.03.2021 को किया गया और RP-III Mines का समर्पण 07.04.2021 को किया गया। किशनपुरा बी खदान को समर्पण करने के लिए 23.07.2019 को आवेदन दायर किया गया, जोकि प्रक्रियाधीन हैं।

**(स) नई खदानें:** कंपनी ने कवास, बाड़मेर में 2019-20 में राजस्थान सरकार से 4 शॉर्ट टर्म परमिट (एसटीपी) प्राप्त किए। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान इन एसटीपी से उत्पादन शुरू किया।

### (9) विविधीकरण और विस्तार

प्रत्येक विविधीकरण व विस्तार अव्यवस्थित जोखिम को हटाने का प्रयास करता है। यह न सिर्फ कंपनी की आय को बढ़ाता है बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने, साख बनाने व नई पहचान प्राप्त करने में भी कंपनी की मदद करता है।

अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भी विभिन्न प्रकार से विविधीकरण योजना बनायी है, जो इस प्रकार हैं:

#### (अ) डोलोमाइट का आरक्षण

उर्वरक विभाग की मदद से भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दिनांक: 19.12.2018 को डोलोमाइट का एक ब्लॉक फेगमिल के पक्ष में आरक्षित कराने में सफलता प्राप्त की। डोलोमाइट के खनन पट्टे के लिए दिनांक 04.07.19 को आवेदन दायर किया गया था, डोलोमाइट ब्लॉक के लिए आशय पत्र (LOI) देने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार, जयपुर के पास लंबित है।

#### (ब) रॉक फॉस्फेट का आरक्षण

उर्वरक विभाग की मदद से भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दिनांक: 19.12.2018 को रॉक फॉस्फेट के दो ब्लॉक फेगमिल के पक्ष में आरक्षित कराने में सफलता प्राप्त की। रॉक फॉस्फेट बिरमानिया ब्लॉक व सल्लोपट ब्लॉक के पूर्वक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन क्रमशः 05.07.2019 व 14.10.2019 को दायर किया गया था।

खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय ने बिरमानिया ब्लॉक के लिए रॉक फॉस्फेट के पूर्वक्षण लाइसेंस के प्रस्ताव को जीएसआई को उनकी

**B. Surrender of Mines:-** Randhisar and Kupli mines were surrendered on 31.03.2021 and RP-III mines was surrendered on 07.04.2021. Application for surrendering of Kishanpura B mine was filed on 23.07.2019 and is under process.

**C. New Mines:** The Company obtain 4 Short Term Permits (STPs) from Government of Rajasthan in 2019-20 in Kavas, Barmer. During the year 2020-21, the company started the production from these STPs.

### 9. DIVERSIFICATION AND EXPANSION:

Diversification and Expansion strive to smooth out unsystematic risk events in a business. It not only helps the company to increase revenue but also helps in achieving the set objectives, increases the market share, goodwill, reputation and gains new identity in corporate world.

Therefore keeping in view of the above, the company has made its diversification and expansion plan as under:

#### A. Reservation of Dolomite

FAGMIL succeeded to get the reservation of one block of Dolomite on 19.12.2018 from Ministry of Mines, Government of India with the help of Department of Fertilizers. Application for Mining Lease of Dolomite was filed on 04.07.19. The proposal for granting Letter of Intent (LOI) for Dolomite block is pending with Government of Rajasthan, Jaipur.

#### B. Reservation of Rock Phosphate

FAGMIL succeeded to get the reservation of two blocks of Rock Phosphate on 19.12.2018 from Ministry of Mines, Government of India with the help of Department of Fertilizers. Application for Prospecting license of Rock Phosphate was filed on 05.07.2019 for Birmania block and on 14.10.2019 for Sallopat block.

Directorate of Mines and Geology (DMG) forwarded the proposal for Grant of Prospecting License of Rock

टिप्पणी हेतु प्रेषित किया। जी.एस.आई ने एसएमई (प्रमुख) उदयपुर को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की। खनन कार्यालय बांसवाड़ा में सल्लोपात ब्लॉक के लिए रॉक फॉस्फेट का पूर्वक्षण लाइसेंस देने का प्रस्ताव लंबित है।

दोनों परियोजनाओं में शुरू की जा रही G2 स्तर की खोज खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही है। परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए और समय पर निष्पादन के लिए खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी की गतिविधियों को भी साथ-साथ रखा जाता है।

### (स) सफेद सीमेंट संयंत्र

कम्पनी हिमाचल प्रदेश में सफेद सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के खनन व सह-सहयोग में सफेद सीमेंट प्लांट लगाने की इच्छुक है। इसके लिए कम्पनी ने सफेद सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के एक खनन पट्टा एवं चार पूर्वक्षण पट्टों के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था। खनन पट्टे का आशय पत्र दिनांक: 27.06.2018 को निर्गमित किया जा चुका है एवं सीमेंट प्लांट लगाने का समझौता ज्ञापन पर दिनांक 25.02.2019 को हस्ताक्षर किया जा चुका है। हालांकि हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय ने इस पर एक स्टे आर्डर लगाया है जिसकी वजह से इस परियोजना पर कोई कार्य नहीं किया जा सका है।

### (10) मानव संसाधन प्रबन्धन :

मानव संसाधन प्रबन्धन संगठन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे कि नियोक्ता के रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कार्य संगठन में नीतियों के अन्तर्गत कर्मचारियों को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करने का होता है। प्रशिक्षण, विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं पुरस्कार के माध्यम से कर्मचारियों के कल्याण हेतु यह विभाग दायी होता है। अतः कर्मचारियों को प्रेरित करने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाये गये हैं:-

#### अ. वेतन संशोधन एवं समाजिक सुरक्षा योजनाएं:-

कम्पनी ने आई.डी.ए. पैटर्न की तीसरी वेतन प्रणाली की सिफारिशों को दिनांक 01.01.2017 से लागू किया है। कर्मचारियों के आकस्मिक निधन अथवा विकलांग होने की दशा में उनके परिवार की सुरक्षा हेतु सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी ली है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ हेतु पेंशन योजना दिनांक 12.09.2013 से लागू की गई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आंतरिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.03.2021 को चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली गई है। कंपनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

कंपनी ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं भी लागू की हैं, जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों के अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क व अध्ययन सामग्री के लागत की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों की जाती है।

Phosphate for Birmania block to GSI for their comments. GSI submitted its comments to SME (Major) Udaipur. The proposal for Grant of Prospecting License of Rock Phosphate for Sallopat block is pending at Mining Office Banswara.

G2 level Exploration being initiated in both projects is done by Mineral Exploration Corporation Limited. For expediting of projects the activities for Mining Plan and Environmental Clearance is also taken up simultaneously for timely execution.

### C. White Cement Plant

The company intends for mining of white cement grade lime stone in Himachal Pradesh and establish white cement plant in joint venture mode. For this the company applied for one mining lease and four prospective licenses of white cement grade lime stone. Letter of Intent (LOI) for the applied mining lease has been issued on 27.06.2018 and MOU for the project has been signed on 25.02.2019. However, the project is on hold due to stay order of Hon'ble High Court, Himachal Pradesh.

### 10. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

HRM is a function in an organisation designed to maximize the employees' performance in achieving employer's strategic objects. HR is primarily concerned with management of people within organization, focusing on policies & systems. It is also responsible for welfare of employees by way of training & development, performance appraisal & reward. Therefore, to motivate the employees and implementing the welfare schemes, the company has taken various steps as under:

#### a. Pay Revision and Social Security schemes:

The company has implemented the recommendation of 3<sup>rd</sup> Pay revision committee with regard to IDA pattern of pay revision effective from 01.01.2017. The company has taken group term life insurance policy which protects the family of the employees in case of sudden demise or disablement of the employees. As a part of retirement benefits to retired employees, pension scheme was implemented on 12.09.2013. A Medical Policy has been taken on 30.03.2021 to provide Indoor Medical facilities to retired employees. The retirement age of the employees of the company is 60 years.

The company has also implemented various social schemes for the welfare of employees under which, it provides scholarship, tuition fee (for maximum 2 children) and reimburse the cost of study material to children of employees.

**ब. प्रशिक्षण एवं विकास:-**

प्रशिक्षण एवं विकास निरन्तर अद्यतन करने की कला है। जिसके माध्यम से कर्मचारीगण नई सूचनाएं, ज्ञान, कौशल प्राप्त करते हैं, जो उनकी क्षमताओं को बेहतर करने व कार्य को प्रभावी ढंग से करने में उनकी सहायता करता है।

**स. आरक्षण नीति का अवलोकन :-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यकों एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियों एवं पदोन्नती से संबंधित आरक्षण में कम्पनी सरकार के निर्देशों का ध्यान रखती है। दिनांक 31.03.2022 को कम्पनी में कुल 35 कर्मचारी थे जिसमें से 25 अधिकारी व 10 गैर अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। दिनांक 31.03.2022 को आरक्षित वर्ग के रोजगार के सम्बन्ध में निम्न विवरण है:

क्र. सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	03	8.57
2.	अनुसूचित जनजाति	—	
3.	भूतपूर्व सैनिक	—	
4.	अल्पसंख्यक	—	
5.	शारीरिक रूप से विकलांग	—	
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	25.72
7.	महिलाएं	03	8.57
8.	अन्य	23	57.14
	<b>कुल</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

**द. औद्योगिक संबंध :-**

वर्ष के दौरान नियोक्ता एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहें तथा किसी भी प्रतिकूल स्थिति के कारण उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

**(11) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिक अवशोषण, विदेशी विनिमय का आय व निर्गमन:-**

**ऊर्जा संरक्षण:-** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तथा कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8(3)के अन्तर्गत यह उल्लेख किया जाता है कि कम्पनी ऊर्जा कुशल विनिर्माण यन्त्रों का प्रयोग नहीं करती है। अतः यह कम्पनी पर लागू नहीं है। हालांकि धारणीय विकास के अन्तर्गत कम्पनी ने मुख्य कार्यालय जोधपुर में एवं अन्य कार्यालयों में कार्बन फुटप्रिन्ट बचाने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित किया है, जिसके अन्तर्गत कम्पनी प्रति वर्ष 5000 यूनिट बिजली की बचत करती है।

**b. Training & Development:**

Training & Development are the educational process. People can learn new information, re-learn and reinforce existing knowledge and skills, and enables them to improve their effectiveness at work.

**c. Observation of Reservation policy**

The Company has been observing Government of India's directives on recruitment and promotions with regard to reservation of posts for SCs/STs, Ex-Servicemen, Minority and Physically Handicapped persons. Manpower strength of the company as on 31.03.2022 was 35 comprising 25 executive and 10 non-executives. Details regarding employment of reserved categories as on 31.3.2022 are given below:

Sl. No.	Category	No. of Employees	% age
1	Schedule Castes	03	8.57
2	Schedule Tribes	—	
3	Ex- Servicemen	—	
4	Minority	—	
5	Physically Handicapped	—	
6	OBCs	09	25.72
7	Women	03	8.57
8	Others	23	57.14
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

**a. Industrial Relation:**

The employer employees relationship continued to be harmonious during the year. There was no loss of production due to any adverse situation.

**11. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO:**

**Conservation of Energy:** Under section 134 (3) of Companies Act, 2013 and Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules, 2014, it is hereby mentioned that the Company does not deal in energy efficient manufacturing plants; therefore it is not applicable to the company. However, under Sustainable Development activities, the company has installed solar system at Jodhpur office and area offices to save the carbon footprint which enabled the company to save 5000 units of electricity every year.

**प्रौद्योगिकी आवश्यकता:-** कम्पनी ने अपने परिचालन के लिए किसी भी तकनीक को क्रय नहीं किया है।

**अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):-** प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का संदर्भ देखें।

**विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:-** शून्य

**(12) कर्मचारियों का विवरण:-**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति एवं परिश्रमिक) नियमन 2014 के अन्तर्गत, कम्पनी के किसी भी व्यक्ति ने रु. 8.50 लाख मासिक (रु.102 लाख वार्षिक) या इससे अधिक वर्ष के दौरान अथवा इसके किसी भी भाग के दौरान वेतन नहीं लिया है। अतः ये कम्पनी पर लागू नहीं है।

**(13) निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व विवरणिका**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अन्तर्गत आपके निदेशक यह प्रमाणित करते हैं कि:-

- (अ) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का प्रयोग किया गया है एवं जहां कहीं भी इससे विचलन हुआ है उसका विवरण दिया गया है।
- (ब) निदेशकों ने लेखांकन नीतियों का निरंतरता से पालन किया है एवं जहाँ भी आवश्यक हुआ वहाँ ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये गये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की स्थिति का एवं समीक्षाधीन वर्ष के लिये कम्पनी के लाभ हानि का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।
- (स) निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखों के रख-रखाव, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा किसी भी अनियमितता एवं छल कपट को पकड़ने तथा बचाव के लिये पूरी एवं समुचित सावधानी बरती है।
- (द) निदेशकों ने वार्षिक खाते चालू कम्पनी के रूप में बनाये गये हैं।
- (य) एक सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में निदेशक यह आश्वस्त करते हैं कि कम्पनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का पर्याप्त रूप से अनुसरण करती है एवं यह पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- (र) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली तैयार की है जो पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

**(14) (अ) राजभाषा कार्यान्वयन:-**

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों एवं सरकार की नीतियों की पूर्ण पालना हेतु हिन्दी दिवस, सप्ताह व पखवाड़ा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें हिन्दी कार्यशालाएं व विभिन्न प्रकार के हिन्दी

**Technology absorption, adoption and innovation:** The Company did not procure any technology for its operation.

**Research and Development (R & D):** Refer Management Discussion and Analysis Report.

**Foreign Exchange Earning and Outgo:** Nil.

**12. DETAILS OF EMPLOYEES**

In accordance with section 197 of the Companies Act 2013 read with Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, No employee was in receipt of remuneration of Rs. 850,000/- pm (Rs. 1,02,00,000 p.a.) or more throughout the financial year or part of the financial year. Therefore, it is not applicable to the company.

**13. RESPONSIBILITY STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS**

In accordance to section 134(5) of Companies Act, 2013, your directors confirm that:

- a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b. the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c. the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e. The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**14. A. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE:**

For implementing the provisions of Official Language Act, 1963 and policy of the Government of India, Hindi Diwas & Pakhwara are celebrated every year in which Hindi

प्रतियोगिताएं जैसे— हिन्दी निबन्ध, अनुवाद, ज्ञान गंगा, हिन्दी श्रुतिलेख, हिन्दी स्लोगन, हिदी पद इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यशालाओं में उत्कृष्ट हिन्दी इस्तेमाल करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष के दौरान 14 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

### (ब) स्वच्छ भारत सप्ताह का उत्सव

निगम द्वारा दिनांक 1 से 15 सितंबर 2021 तक जोधपुर और खान कार्यालयों में “स्वच्छता पखवाड़ा” मनाया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता पर संदेश दिया गया व कर्मचारियों को COVID-19 के दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भारत की नैतिकता में स्वच्छता का महत्त्व बताया। उर्वरक विभाग के निर्देशों के अनुसार कंपनी ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कई गतिविधियों को अंजाम दिया और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

### (स) भारतीय संविधान दिवस का उत्सव

संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि (कानून) दिवस के रूप में भी जाना जाता है, को प्रतिवर्ष भारत में 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी कंपनी प्रतिवर्ष इस दिन को गंभीरता के साथ मनाती है।

### (15) सर्तकता विभाग की गतिविधियां एवं उपलब्धियां—

सर्तकता विभाग संपूर्ण प्रबन्धकीय क्रिया विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्री जतिन चोपड़ा को आई.आर.टी.एस निदेशक उर्वरक विभाग को दिनांक 21.08.2020 को फेगमिल के मुख्य सर्तकता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया और वे अपने कार्यभार से दिनांक 10.02.2022 को कार्यमुक्त होंगे। इन कार्यों में प्रबंधक (सर्तकता) मुख्य सर्तकता अधिकारी की सहायता करते हैं।

कंपनी ने मुख्य विषय के रूप में ‘स्वतंत्र भारत @75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता’ को अपनाया है। कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर है। सभी कार्यालयों/खानों में सर्तकता नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य सर्तकता अधिकारी और केंद्रीय सर्तकता आयोग के पते और टेलिफोन नंबरों को ई-मेल आईडी के साथ पदरिक्त किया गया है और भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।

वर्ष 2021 के दौरान संदिग्ध चरित्र (ईमान) वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की गई और उर्वरक विभाग में भेजी गई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 27 फाइलों कार्मिक, ए पी आर, ठेका आदि की आकस्मिक जाँच की गई। छानबीन व जाँच के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को औपचारिक कार्य हेतु प्रबन्धन को सौंपे गये। इस वित्त वर्ष के दौरान कुल 30 सर्तकता मंजूरी प्रदान की गई।

workshops are organized. Hindi competitions like Hindi essay, Translation, Gyan Ganga, Hindi dictation, Hindi Slogans, Hindi Poems etc. are conducted and best performers are awarded. During this year “Hindi Pakhwada” was celebrated from 14<sup>th</sup> September 2021 to 28<sup>th</sup> September 2021.

### B. Celebration of Swachhchha Bharat Saptah:

FAGMIL has taken the lead in launching the “Swachhta Pakhwada” at Jodhpur and Mines offices from 1 to 15 September 2021 with all employees followed by message given by Chairman and Managing Director on cleanliness of environment and enlightened the staff with its place in India Ethics keeping in view the guidelines and protocol of COVID-19. As per the directions of DOF, our company carried several activities during the Swachhta Pakhwada and it was celebrated with great enthusiasm.

### C. Celebration of Constitution Day:

Constitution Day, also known as National Law day, is celebrated in India on 26<sup>th</sup> November each year to commemorate the adoption of the Constitution of India. Our Company celebrates this day with due solemnity every year.

### 15. VIGILANCE DEPARTMENT ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS:

Vigilance is considered to be an integral part of the Management function. Shri Jatin Chopra, IRTS Director (Movement), Department of Fertilizer assumed the additional charge of Chief Vigilance Officer, FAGMIL w.e.f. 21st August 2020 and he was relieved from the charge on 10.02.2022. Asst. Manager (Vigilance) is assisting the Chief Vigilance Officer.

The Company has adopted Independent India @75: Self Reliance with Integrity as the main theme. The stress is on transparency and accountability in the working of the Company. Vigilance Notice Boards have been installed in all Offices/Mines Displaying the Address and Telephone Numbers of the Chairman & Managing Director, Chief Vigilance Officer and Central Vigilance Commission along with e-mail IDs, and can be approached for complaints of corruption.

Agreed List and List of Officers of Doubtful Integrity for the year 2021 were prepared and submitted to DoF. A total of 27 files were scrutinized. Personal files, APR and Contract Files were scrutinized and regular inspections were carried out during the financial year 2021-2022. On the basis of findings of inspections and scrutinizes, important suggestions were given to the management for remedial action. A total of 30 Vigilance clearances were accorded during this financial year.

कर्मचारियों को सर्तकता के प्रति संवेदशील बनाने के लिए सर्तकता कैलेण्डर बनाया गया है, जिसके अर्न्तगत 2 ऑनलाइन व 1 ऑफलाइन वर्कशॉप जोधपुर कार्यालय व विभिन्न खान समूहों में आयोजित किये गये।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशानुसार, सर्तकता जागरूकता सप्ताह-2021 को दिनांक 26.10.2021 से दिनांक 02.11.2021 तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय व सभी खानों में मनाया गया।

### (16) निगमित प्रशासन पर प्रतिवेदन:-

#### निगमित प्रशासन पर कम्पनी का दर्शन :

निगमित प्रशासन के स्तर को ऊँचा उठाने व देश में तेजी से बदलते हुए वातावरण के साथ तालमेल बनाये रखने के लिए कम्पनी अपनी प्रणाली व प्रक्रिया की लगातार समीक्षा करते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कम्पनी हमेशा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित प्रशासन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करती है। उर्वरक विभाग के माध्यम से त्रैमासिक एवं वार्षिक-प्रतिवेदन सार्वजनिक उद्यम विभाग को सौंपी जाती है। उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त कम्पनी, कम्पनी अधिनियम-2013, सी.ए.जी, सी.वी.सी. व आर.टी.आई के प्रावधानों द्वारा भी परिचालित होती है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक व अन्य निदेशक स्वतन्त्र रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। नियुक्ति के नियमों व शर्तों के साथ-साथ सभी निदेशकों का कार्यकाल भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता था। निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया है जिसे कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पूर्ण किया जाता है। वैधानिक अंकेषकों की नियुक्ति सी.ए.जी के द्वारा की जाती है। प्रबन्धन के कार्यवाहियों को रिट याचिका के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। निदेशकों एवं कर्मचारियों का परिश्रमिक वेतन निर्धारण समिति की सलाह पर निर्धारित किया जाता है।

#### क. निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल व उसकी दूसरी उपसमितियाँ कम्पनी के प्रबन्धन को उसके कर्तव्य के निर्वह में नेतृत्व एवं उचित सहयोग प्रदान करती है। वर्ष के आरम्भ में कम्पनी के निदेशक मण्डल में चार निदेशक थे। एक सीएमडी और दो अन्य सरकारी निदेशक थे और एक स्वतंत्र महिला निदेशक थी। एक स्वतंत्र निदेशक वर्ष के दौरान दिनांक 05.11.2021 और एक सरकारी निदेशक (अन्य सरकारी निदेशक के स्थान पर) दिनांक 29.09.2021 को नियुक्त किए गए। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 तक कंपनी के निदेशक मंडल में पाँच निदेशक है। जिनमें से एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो सरकारी निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की चार सभाएं दिनांक 13.08.2021, 26.11.2021, 27.01.2022 एवं 25.03.2022 को आयोजित की गईं। MCA सर्कुलर संख्या 2/1/2020-सीएल-वी दिनांक 24.03.2020 के अनुसार दो बोर्ड बैठकों के बीच अधिकतम अंतर को पार

Vigilance Calendar was prepared and 2 Online and 1 offline workshops were conducted at Mines/ Jodhpur office.

In consonance with the directives of Central Vigilance Commission, “**Vigilance Awareness Period –2021**” was observed from 26<sup>th</sup> October 2021 to 2<sup>nd</sup> November 2021 at the Registered Office and all the Area Offices / Mines of the Company.

### 16. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE:

#### Company’s Philosophy on Corporate Governance:

FAGMIL is committed to continue its efforts towards raising the standards in Corporate Governance and also review its procedure and system constantly in order to keep pace with fast changing environment in the country. Therefore the company always complies with the provisions of Corporate Governance Guidelines 2010 issued by DPE. The quarterly and yearly reports are also submitted within time to DPE through DOF. Apart from the instructions of DPE, the CPSEs are governed by the Companies Act, 2013 and regulations of various authorities like Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Vigilance Commission (CVC), and RTI etc. The Chairman & Managing Director and Directors are appointed independently through a prescribed procedure by Government of India. Further, terms & conditions of appointment as well as tenure of all directors are also decided by GOI and there is a well laid down procedure for evaluation of performance of CMD and other Directors by Administrative Ministry. Statutory auditors are appointed independently by the C&AG. Arbitrary actions, if any, of the Management can be challenged through writ petitions. Remuneration of CMD, Directors and employees, etc are determined on the basis of recommendations of Pay Committees constituted for this purpose; etc.

#### a. Board of Directors:

The Board of Directors along with its committees provides leadership and guidance to Company’s management and directly supervises & controls the performance of the Company. At the start of the year, there were four directors on Board of the company. One was CMD, two were Government Directors and one was Women Independent Director. One Independent director was appointed during the year on 05.11.2021 and one Government Director was appointed on 29.09.2021 in place of another Government Director. Thus there are five Directors on the Board of the company as on 31.03.2022. Out of these, one is Chairman & Managing Director, two are Government Directors and two are Independent Directors.

During the year under review four board meetings were organized on 13.08.2021, 26.11.2021, 27.01.2022 and

नहीं किया गया है।

#### ख. निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 134(3)(च) के प्रावधानों के अनुसार रु. 25 करोड़ से अधिक की पूंजी वाली सार्वजनिक कम्पनी को निदेशक मण्डल के अथवा इसकी उपसमिति के अथवा निदेशकों के व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन के मूल्यांकन के तरीके को निदेशकों के प्रतिवेदन में दिखाया जाना चाहिए।

हालांकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) दिनांक 05.06.2015 के द्वारा सरकारी कम्पनी को धारा 178 (2), (3) व (4) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है। अतः निदेशकों के कार्यों के मूल्यांकन, नियुक्ति व परिश्रमिक के सम्बन्ध में ये कम्पनी पर लागू नहीं है।

#### ग. अंकेक्षण समिति:-

निगमित शासन के अन्तर्गत लेखा परीक्षा समिति एक मुख्य स्तम्भ है। कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदनों, आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली, व जोखिम प्रबन्धन प्रणाली में विश्वास बढ़ाना को लागू करना समिति के मुख्य उद्देश्य है। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें दिनांक 13.08.2021, 26.11.2021, 27.01.2022, और 25.03.2022 को आयोजित की।

अंकेक्षण समिति के सन्दर्भ की शर्त:-डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशा निर्देशों दिनांक 14.05.2010 के अनुसार।

#### घ. विभिन्न सभाओं में उपस्थिति:-

वित्त वर्ष के दौरान निदेशक पक्ष एवं अंकेक्षण समिति की संरचना व वार्षिक आम सभा सहित इन सभाओं में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

		का सभा में उपस्थिति	सामात की सभा में उपस्थिति	म उपस्थिति	म सदस्यता / अध्यक्ष पद
बिग्रेडियर अमर सिंह राठौर	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक	4	शून्य	हां	शून्य
श्री निरंजन लाल शर्मा	निदेशक	3	3	नहीं	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रामगुंडम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लि.

25.03.2022. The maximum gap between two Board Meetings has not exceeded as per MCA circular NO. 2/1/2020-CL-V dated 24.03.2020

#### b. Performance evaluation of Directors:

As per provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, every public limited company having paid up capital of Rs. 25 crore or more shall give a statement indicating the manner in which formal annual evaluation of Board, Committee and individual directors has been prepared. It should form part of the Board's Report.

However, MCA vide notification No. GSR463(E) dated 5th June, 2015 Government of India has given exemption to Government Companies from the provisions of section 178(2), (3) and (4) of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors. Therefore, it is not applicable to us.

#### c. Audit Committee:

The Audit Committee is one of the main pillars of the corporate governance system. The Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of the company's financial reports and announcements, the internal control processes and procedures and the risk management systems.

During the year, four meetings of audit committee organized on 13.08.2021, 26.11.2021, 27.01.2022 and 25.03.2022.

**Terms of reference of Audit Committee:** As per DPE guidelines on Corporate Governance dated 14.05.2010.

#### d. Attendance at various meetings:

The Composition of Board, Audit Committee & attendance there at during the financial year & attendance at last Annual General Meeting are as follows:

Name	Designation	Attendance at BM	Attendance at ACM	Attendance at AGM	Directorship/ Chairmanship in other companies
Brigadier Amar Singh Rathore	CMD	4	N/A	Yes	Nil
Shri Niranjana Lal Sharma	Director	3	3	No	Fertilizer Corporation of India Limited Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited

		की समा में उपस्थिति	समिति की समा में उपस्थिति	में उपस्थिति	में सदस्यता / अध्यक्ष पद
					तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड
श्री अनिल फुलवारी	निदेशक	3	3	हां	शून्य
श्री अनिल कुमार पाटिल	निदेशक	0	0	नहीं	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
श्रीमती सरस्वती वर्मा	निदेशक	4	4	हां	शून्य
श्री धरु राम भगत	निदेशक	3	2	नहीं	शून्य

#### ड. नियुक्ति एवं सेवानिवृत्तः

श्री अनिल फुलवारी ने दिनांक 29.09.2021 को श्री अनिल कुमार वी पाटिल के स्थान पर निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

श्री धरु राम भगत ने दिनांक 05.11.2021 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) का पदभार ग्रहण किया।

च. पिछली AGM 26 नवंबर, 2021 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना, जोधपुर में /वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

#### छ. व्हिसिल ब्लोअर नीति /सर्तकता तंत्र:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) तथा सार्वजनिक विभाग की निगमित शासन के दिशा निर्देशों दिनांक 14.05.2010 के अन्तर्गत हमारी कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता में उल्लंघन के मामलों के बारे में प्रबंधन को अवगत कराने के लिए व्हिसिल ब्लोअर नीति बनायी है। कम्पनी के किसी भी कर्मों को अंकेक्षण समिति के समक्ष उपस्थिति से निषेध नहीं किया गया है।

#### ज. नामांकन, पारिश्रमिक और हितधारकों की समिति:-

सरकारी उपक्रम होने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) (3) (4) कम्पनी पर लागू नहीं है हांलाकि कम्पनी के कर्मचारियों को देय पी.आर.पी. की राशि के सिफारिश के लिए एक समिति है जिसमें एक स्वतन्त्र निदेशक, दो सरकारी निदेशक, महाप्रबन्धक व प्रबन्धक (वित्त) शामिल है। वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष दिनांक 2019-20 के लिए पीआरपी की राशि की अनुशंसा करने के लिए दिनांक 26.11.2021 को पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण अंश पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम से है अतः हित धारकों की किसी समिति की आवश्यकता नहीं है।

#### झ. कम्पनी की समाजिक दायित्व समिति

Name	Desig nation	Atten dance at BM	Atten dance at ACM	Atten dance at AGM	Directorship/ Chairmanship in other companies
					Talcher Fertilizers Limited
Shri Anil Phulwari	Director	3	3	Yes	Nil
Shri Anil Kumar Patil	Director	0	0	No	Fertilizers Corporation of India Limited
Smt. Saraswati Verma	Director	4	4	Yes	Nil
Shri Gharu Ram Bhagat	Director	3	2	No	Nil

#### e. Appointments and Retirements:

Shri Anil Phulwari assumed the charge of Director on 29.09.2021 in place of Shri Anil Kumar V. Patil

Shri Gharu Ram Bhagat assumed the charge of Non Official Part time Director (Independent Director) on 05.11.2021.

f. Last AGM was held on 26<sup>th</sup> November, 2021 at Registered Office of the company at Institutional Area, Sector-B, Vivek Vihar Scheme, Jodhpur/ through Video Conferencing Mode.

#### g. Whistle blower Policy/ Vigil Mechanism

As per section 177(9) of Companies Act, 2013 and DPE Guidelines on Corporate Governance dated 14.05.2010, Our Company has "Whistle Blower Policy" for employees to report to management about instances of unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. No personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.

#### h. Nomination and Remuneration and Stake holders' Committee:

Being a Government Company, section 178 (2), (3) and (4) of Companies Act 2013 is not applicable. However the Company has remuneration committee comprising of One Independent Director, 2 Government Directors, General Manager and Manager (Finance) for recommending the amount of Performance Related Pay (PRP) payable to employees. During the year one meeting of remuneration committee was organized on 26.11.2021 to recommend the amount of PRP for the financial year 2019-20.

Further, the entire share capital is held by President of India; therefore, no stakeholder's committee is required.

कम्पनी अधिनियम की धारा, 135(2) तथा निगमित समाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास दिशा-निर्देश 2014 के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी में द्वि-स्तरीय सी.एस.आर. समिति होनी चाहिए। अतः दिशानिर्देशों के अनुरूप कम्पनी में निदेशक मण्डल के स्तर की व इससे एक स्तर नीचे के स्तर की कुल दो समितियाँ हैं।

वर्ष के दौरान सीआरएस गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की दो बैठकें दिनांक 13.08.2021, 27.01.2022 को आयोजित की गईं।

इस सम्बन्ध में **अनुलग्नक-I** प्रबन्ध चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में विस्तार से वर्णन किया गया है।

#### ज. निदेशकों का परिश्रमिक:-

निगमित प्रशासन दिशानिर्देश-2010 के पैरा 5.6 के अनुसार, वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़, को कुल रुपये 48,95,609/- परिश्रमिक दिया है। जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, गृह किराया और अन्य भत्ते जैसे कैंटीन, पेशेवर विकास, चिकित्सा, वर्दी और एल टी सी आदि शामिल हैं।

त. निगमित शासन का अनुपालन प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-II** में संलग्न किया गया है।

#### थ. संचार के माध्यम:-

वार्षिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट : [www.fagmil.nic.in](http://www.fagmil.nic.in) पर उपलब्ध है।

#### (17) प्रकटीकरण:-

कम्पनी अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई भी ऋण या गारंटी नहीं दी है। जिसका धारा 134 (3) (g) के अंतर्गत प्रकट किया जाए।

कम्पनी में सम्बन्धित पार्टी से कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं किया गया है, जिसका संभावित टकराव कम्पनी के हितों के साथ हो एवं जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (h) के अन्तर्गत किया जाए।

कम्पनी अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रावधान का पालन न करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी मामले के अन्तर्गत कम्पनी की किसी भी प्रकार की निंदा नहीं की गई है और नहीं ही कोई जुर्माना लगाया गया है जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (q) के अन्तर्गत किया जाए।

कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8 (iv) के अन्तर्गत कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है जिसका प्रकटीकरण धारा 134(3)(q) के अन्तर्गत किया जाए।

कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8 (5) (v) के अंतर्गत कम्पनी ने सदस्यों से किसी प्रकार की जमाएँ स्वीकार नहीं की है। जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (q) के अंतर्गत किया जाए।

यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध निवारण) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत

#### i. CSR Committee:

Under Section 135 (2) of the Companies Act, 2013 and Corporate Social Responsibility and Sustainability guidelines 2014, every company is required to have 2 tier CSR committee. Therefore in compliance with guidelines, the company has Board level & Below board level committees on CSR. During the year two meetings of Board Level CSR committee was organized on 13.08.2021, 27.01.2022 to monitor the progress of CSR activities.

The detailed reports have been given in **Annexure-1 & Management Discussion and Analysis Report** section.

#### j. Remuneration to Directors:

As per clause 5.6 of Corporate Guidelines 2010 issued by DPE, during the year Brigadier Amar Singh Rathore, CMD was provided total remuneration of Rs. 48,95,609 comprising of Basic, DA, HRA and other allowances like Canteen, Professional Development, Medical, Uniform and LTC etc.

k. A certificate of compliance of Corporate Governance norms is attached at **Annexure-II**

#### l. Means of communication:

Annual Financial Results are posted on Company's website [www.fagmil.nic.in](http://www.fagmil.nic.in)

#### 17. DISCLOSURES:

The company has not granted any loan or given guarantee for any loan or made any investment u/s 186 of Act which are required to be disclosed u/s 134(3)(g) of the Companies Act.

There were no related party transactions u/s 188 of Act, 2013 that may have a potential conflict with the interests of Company and which are required to be disclosed u/s 134(3)(h) of the Act.

There was no case of non-compliance of statutory provisions of the Companies Act, 2013 or any other statutory authority. These authorities have not passed any strictures or imposed any penalty on the Company on any matter during last three years which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

The company is not having any subsidiary under Rule 8 (5)(iv) of Companies Accounts Rule 2014 the reports of which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

The Company has not taken any deposit from its member under Rule 8 (5)(v) of Companies Accounts Rule 2014 which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

सूचित किया जाता है कि कम्पनी में इस वर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है।

कम्पनी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों व प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया है जिससे वे पुष्टि करते हैं कि उन्होंने व्यवसाय से सम्बन्धित आचरण आचार संहिता को पढ़ व समझ लिया है व उन्होंने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

#### (18) अंकेंक्षण:-

अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पत्रांक दिनांक: 18.08.2021 के द्वारा आपकी कम्पनी में मैसर्स ओम पी माहेश्वरी एण्ड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, जोधपुर को वर्ष 2021-22 के लिए संविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की उन्होंने लेखों की समीक्षा की एवं लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो कि अलग से संलग्न है। अंकेंक्षणों के प्रतिवेदन में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई है जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) व (4) के अन्तर्गत किया जाए।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन **अनुलग्नक-3** में संलग्न है।

अधिनियम की धारा 204 के तहत, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स धीरेन्द्र शर्मा, अभ्यास में कंपनी सचिव (प्रैक्टिस संख्या 14137 का प्रमाण पत्र) नियुक्त किया। उन्होंने सचिवीय मानकों के अनुपालन की जाँच की है और विभिन्न कानूनों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो इसके साथ अलग से संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को **अनुलग्नक-4** में रखा गया है।

#### (19) लागत लेखों का रखरखाव :

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) व कम्पनी (लागत लेखा व अंकेंक्षण) नियम-2014 के नियम-3 के अन्तर्गत कम्पनी ने खनन क्रियाओं से सम्बन्धित सामग्रियों, श्रम व अन्य लागत लेखों का रखरखाव किया है।

#### (20) आभार प्रदर्शन :

आपके निदेशक कम्पनी के मामलों एवं संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन में प्राप्त निरन्तर सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय खान मंत्रालय भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों,

No cases of sexual harassment of women at work place were reported during the year under Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act 2013.

The company has obtained the declaration from its Board Members and senior management officials that they have received, read and understood the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management and affirmed that they had complied with and has not violated any of the provisions of the Code during the year ended 31<sup>st</sup> March 2022.

#### 18. AUDITORS:

U/s 139(5) of the Act, the Comptroller & Auditor General of India (CAG), vide order dated 18.08.2021, appointed M/s Om P. Maheshwari & Associates, Chartered Accountant, Jodhpur as statutory auditors of your Company for the year 2021-22. They have scrutinized the accounts for the year 2020-21 and submitted the Audit Report which is annexed separately herewith.

There are no adverse remarks in auditors' report, on which comments of Directors are required to be furnished u/s 134(3) and (4) of the Act.

Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 is given at **Annexure-3** to the Directors' Report

U/s 204 of the Act, Company appointed Mr. Dharendra Sharma, Company Secretary in Practice (Certificate of Practice Number 14137) as Secretarial Auditor of the company for the year 2021-22. They have checked the compliance of secretarial standards and various laws submitted the Audit Report which is annexed separately herewith.

Comments of the Secretarial Auditor are placed at **Annexure-4** to the Directors' Report under section 134(3) of the Companies Act, 2013

#### 19. MAINTENANCE OF COST RECORDS:

According to the provisions of section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule-3 of, the Companies (Cost Records and Audit) Rules- 2014, the company kept books of accounts relating to utilization of material, labour and other items of cost as applicable to our mining company.

#### 20. ACKNOWLEDGEMENT:

Your Directors are grateful to Department of Fertilizers & Ministry of Mines, for their continued co-operation, support and guidance in effective management of Company's affairs and resources.

भारतीय रेलवे और अपने मूल्यवान ग्राहकों, विक्रेताओं एवं बैंकर्स का व उनके द्वारा प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रदर्शन करते हैं एवं भविष्य में इस पारस्परिक सहायक सम्बन्ध की निरन्तरता के लिए भी आशा करते हैं।

आपके निदेशक संविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स ओम पी माहेश्वरी एण्ड एसोसियेट्स और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मूल्यवान सहयोग के लिये भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक फेगमिल परिवार के सभी सदस्यों की सराहना करते हैं जिनके समर्पण अथवा परिश्रम एवं सहयोग से कम्पनी के निष्पादन में श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव हो सका।

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-  
(बिग्रेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN - 08792652

दिनांक: 05.07.2022

स्थान : जोधपुर

Your directors also place on record the appreciation received from State Government of Rajasthan, Indian Railways, its vendors and various customers, bankers, during the year and look forward to continuance of this mutually supportive relation in future.

The Directors also convey their thanks to the Statutory Auditors M/s Om P. Maheshwari & Associates and the Comptroller & Auditor General of India for their valued co-operation.

Your directors also wish to express their appreciation to all the members of FAGMIL family, whose dedication, hard work and co-operation have made it possible for the Company to show its performance.

For & on behalf of the Board of Directors

(Sd/-)  
(Brigadier Amar Singh Rathore)  
Chairman & Managing Director  
DIN-08792652

Date: 05.07.2022

Place: Jodhpur

**अनुलग्नक -1**

**कम्पनी की सी. एस. आर. गतिविधियों पर वार्षिक अनुबंध:-**

1. कम्पनी की कॉरपोरेट समाजिक जिम्मेदारियों की संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें किये गये कार्यों का अवलोकन व किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव शामिल है एवं सी. एस. आर. नीति एवं परियोजनाओं का सन्दर्भ दिया गया है:-

कम्पनी ने उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 2007-08 से ही अपनी सी एस आर गतिविधियों की शुरुआत की थी एवं वित्त वर्ष 2007-08 से ही इन गतिविधियों के लिए अपने लाभ के 2% के बराबर प्रावधान करना आरम्भ कर दिया था। तत्पश्चात् उद्यम विभाग के दिशा निर्देश संख्या 15(3)/2007-DPE (GM)-GL-99 दिनांक: 09.04.2010 के अनुसार कम्पनी ने प्रावधान की राशि लाभ के 3% कर दी थी। यह प्रावधान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्न सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए थी:-

- पीने योग्य पानी की सुविधा
- शिक्षा
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- सड़क, रास्तों एवं पुलों का निर्माण
- कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना
- बिजली की सुविधा
- सामुदायिक केन्द्र/रात्रि विश्राम ग्रह/वृद्धाश्रम की स्थापना

1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी अधिनियम-2013 के लागू होने के पश्चात्, कम्पनी अपने पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के 2% की राशि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार, सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय करने लगी।

**2. सी एस आर समिति की संरचना:-**

बोर्ड स्तर की समिति	बोर्ड से एक नीचे के स्तर की समिति
ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़	श्री एस. एस. शेखावत, महाप्रबन्धक**
श्री अनिल फुलवारी, निदेशक*	श्री आर. एस. राठौड़, कार्यवाहक महाप्रबन्धक**
श्री निरंजन लाल शर्मा, निदेशक	श्री चन्द्र शेखर खींची, प्रबन्धक (वस्तु प्रबंधन)
श्रीमती सरस्वती वर्मा, निदेशक	श्री अभिषेक माहेश्वरी, प्रबन्धक (वित्त)
श्री घरु राम भगत, निदेशक*	

\*श्री अनिल फुलवारी ने दिनांक 29.09.2021 को श्री अनिल कुमार वी पाटिल के स्थान पर निदेशक का पदभार ग्रहण किया और श्री घरु राम भगत ने दिनांक 05.11.2021 को पदभार ग्रहण किया।

**Annexure-1**

**Annual report on Corporate Social Responsibilities Activities**

1. A brief policy outline of the company's Corporate Social Responsibilities including overview of projects or programs being undertaken and proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

The company initiated its CSR activities since 2007-08 as per DPE guidelines and started making provisions in the books equivalent to 2% of profit before tax (PBT) from financial year 2007-08. Later on with reference to DPE guidelines no. 15(3)/2007-DPE (GM)-GL-99 dated 09.04.2010, the company started making provisions @ 3% of Net Profit for taking up following CSR activities as approved by Board:-

- a. Drinking water facility
- b. Education
- c. Health & Family welfare
- d. Building of Roads, Pathways and Bridges
- e. Setting up of skill development Centres
- f. Electricity Facility
- g. Construction of community centres/Night shelters/Old aged homes

After coming into force of the Companies Act 2013 with effect from 1<sup>st</sup> April 2014, the company started spending 2% of its average (PBT) for the immediately preceding three financial years on Corporate Social Responsibility activities as mentioned in the Schedule VII of the Act and approved by the Board.

**2. The composition of the CSR committee.**

Board Level Committee	Below Board Level Committee
Brigadier Amar Singh Rathore, CMD	Shri S. S. Shekhawat, GM**
Shri Anil Phulwari, Director*	Shri R. S. Rathore, Acting GM**
Shri Niranjana Lal Sharma, Director	Shri Chandra Shekhar Khichi, Manager(MM)
Smt. Saraswati Verma, Director	Shri Abhishek Maheshwari, Manager(F)
Shri Gharu Ram Bhagat, Director*	

\*Shri Anil Phulwari assumed charge on 29.09.2021 in place of Shri Anil Kumar V. Patil and Shri Gharu Ram Bhagat assumed charge on 05.11.2021

\*\*श्री एस. एस. शेखावत दिनांक 31.08.2021 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दिनांक 01.09.2021 को कार्यवाहक महाप्रबन्धक का पदभार ग्रहण किया।

\*\*Shri S.S Shekhawat retired on 31.08.2021. Shri Rajendra Singh Rathore assumed charge of Acting G.M on 01.09.2021

**3. पिछले तीन वित्त वर्षों के लाभ निम्न हैं:-**

वर्ष	कर पूर्व लाभ (रु. लाखों में)
2018-19	2989.32
2019-20	2106.07
2020-21	1821.94

औसत लाभ – रु. 2305.78 लाख।

4. वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित सी. एस. आर. व्यय (उपरोक्त संख्या 3 में वर्णित राशि का 2%):- रुपये 46,11,556
5. वर्ष के दौरान सी. एस. आर. व्यय:- रुपये 46,14,255
- अ. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान होने वाला कुल व्यय:- रुपये 46.14 लाख
- ब. बची हुई राशि – निल
- स. वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न तरीके से राशि व्यय की गई:-

**3. Average net profit of the company for last three financial years.**

Year	PBT Amount in Rs./ Lakh
2018-19	2989.32
2019-20	2106.07
2020-21	1821.94

Average profit: Rs. 2305.78 Lakh

4. Prescribed CSR Expenditure for the year 2021-22 (two per cent, of the amount as in item 3 above): Rs. 46,11,556
5. Details of CSR spent during the financial year: Rs. 46,14,255
  - (a) Total amount to be spent during the financial year 2021-22: Rs. 46.14 lakh as per Companies Act, 2013
  - (b) Amount unspent, if any: Nil
  - (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

S. No	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered.	Projects or programs	Amount Out lay	Amount spent on the projects or programs	Cumulative expenditure upto the reporting period.	Amount spent: Direct or through implementing agency
क्र. सं.	सी.एस.आर गतिविधियां	जिस क्षेत्र में परियोजना शामिल है	परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम	राशि बाहर रखना	परियोजना एवं कार्यक्रम पर व्यय राशि	(Amount in Rs)	व्यय की राशि-प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			(1) Local area or other 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(Budget) Project or Programs wise वार्षिक बजट परियोजना एवं कार्यक्रम वार	Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs उप-प्रमुख: 1. प्रत्यक्ष व्यय परियोजना एवं कार्यक्रम पर	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय (रुपये लाख)	
			(2) Specify the state and district where projects or a program was undertaken. 2. जिला व राज्य को निर्दिष्ट करें जहां परियोजना और कार्यक्रम शुरू किया गया था।	(Amount in Rs) राशि (रु.) में	(2) Overheads: (Amount in Rs) 2. उपरिव्यय (रु. में)		

1	Promoting health care including preventive health care स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा	Clause-I खंड-I	Rajasthan (Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Barmer and Sriganganagar) राजस्थान (जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर,)	2461401	2461401	2461401	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
2	Promotion of Education शिक्षा को बढ़ावा	Clause-II खंड-II	Rajasthan (Bikaner, Jaisalmer) राजस्थान (बीकानेर, जैसलमेर)	877582	877582	877582	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
3	R&D Project Silicious Chalk सिलीसयस चॉक	Clause-ix (b) खंड-ix (b)	Haryana (Karnal) हरियाणा (करनाल)	1275272	1275272	1275272	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
	Total			4614255	4614255	4614255	

6. यदि कम्पनी अपने तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2 प्रतिशत अथवा इसके किसी भाग को सी.एस.आर. मदों पर व्यय करने में असफल रहती है तो इसके निदेशकों के प्रतिवेदन में दिखाना होगा:- लागू नहीं
7. कम्पनी के सीएसआर नीति एवं उद्देश्य के अन्तर्गत सी एस आर गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का कथन:-

यह उद्घोषित किया जाता है कि सी.एस.आर. गतिविधियों का संचालन व निरीक्षण कम्पनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों एवं नीतियों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

ह/-  
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
अथवा प्रबन्ध निदेशक)

ह/-  
सी एस आर समिति  
(अध्यक्ष)

ह/-  
(अधिनियम धारा  
380 (1)(डी) में  
वर्णित व्यक्ति)

6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report-**Not applicable.**
7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

We hereby declare that implementation and monitoring of CSR activities are in compliance with CSR objectives and policy of the company.

Sd/-  
(Chief Executive Officer  
or Managing Director )

Sd/-  
(Chairman CSR  
Committee)

Sd/-  
[Person specified  
under clause (d)of  
sub-section (1)of  
section 380 of the Act]  
(wherever applicable)

## अनुलग्नक –II

## निगमित शासन का अनुपालन प्रमाण पत्र

**धीरेन्द्र शर्मा** 83, भास्कर नगर,  
एम.कॉम, एलएलबी, एसीएस एम्स रोड, जोधपुर (राज.) 342014  
अभ्यासरत कम्पनी सचिव फोन:—09414492889,9680067999  
मेल आई डी:—sharmadhirendras@gmail.com

## निगमित शासन का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,  
सम्मानित सदस्यो  
एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड,  
सी आई एन: U14105RJ2003GOI018093  
संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना  
जोधपुर 342005

मैंने एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगमित शासन मानकों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए सभी प्रसंगिक रिकार्डों की जांच की है जैसा कि भारत सरकार के भारी उद्यम और लोक उद्यम, लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005—GM दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित प्रशासन के अनुपालन की स्थिति कम्पनी प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा निगमित शासन के अनुपालना के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं तक सीमित है। यह न तो एक अंकेक्षण है और न ही कम्पनी के वक्तव्यों पर राय की एक अभिव्यक्ति है।

मेरी राय व मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगमित प्रशासन के द्वारा जारी दस्तावेज के आधार पर मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि कम्पनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित प्रशासन की शर्तों की अनुपालना की है सिवाय :-

- (i) पिछले वित्त वर्ष में कम्पनी की पहली बोर्ड बैठक और लेखा समिति की बैठक में तीन महीने से अधिक का अंतराल था। हालांकि हमें यह बताया गया था कि कोविड-19 के प्रसार के कारण और एम.सी.ए. परिपत्र दिनांक 03.05.2021 के अनुसार दो बैठकों के बीच अंतराल तिमाही अप्रैल 2021 से जून 2021 और तिमाही जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक बोर्ड की बैठकें 120 दिनों की बजाय 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए यह बैठक निर्धारित समयावधि में आयोजित की गई है।

मैं आगे यह भी व्यक्त करता हूँ कि उपर्युक्त अनुपालन भविष्य के व्यवहर्ता के लिए न तो आश्वासन है और न ही भविष्य में इसकी दक्षता को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर कम्पनी के प्रबन्धन ने कार्यकलापों को संचालित किया है।

स्थान : जोधपुर अभ्यासरत कम्पनी सचिव  
दिनांक : 20.08.2022 (धीरेन्द्र शर्मा)  
C.P.No.14137  
UDIN:A033592C000822402

## Annexure-II

## COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

**DHIRENDRA SHARMA** 83, Bhaskar Nagar  
M.Com., LLB, ACS AllIMS Road, Jodhpur( Raj.)342014  
Practicing Company Secretary M. 09414492889,9680067999  
Email: sharmadhirendras@gmail.com

## CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To,  
The Members,  
FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited  
CIN: U14105RJ2003GOI018093  
Institutional Area, Sector 'B', Vivek Vihar  
Scheme, Jodhpur – 342005

I have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED, ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2022, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, I certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except:

- (i) There was a gap of more than 3 months in the First Board Meeting and Audit Committee Meeting of the Company for the previous financial year. However, it was explained to us that due to spread of COVID-19 and as per MCA Circular No. 08/2021 on Dated-03/05/2021 gap between two board meetings from Quarter April, 2021 to June, 2021 and Quarter July, 2021 to September, 2021 can be extended upto 180 days instead of 120 days therefore it was conducted within the stipulated time period.

I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

Place : Jodhpur Practicing Company Secretaries  
Date : 20/08/2022 (Dhirendra Sharma)  
C.P. No. – 14137  
UDIN: A033592D000822402

## अनुलग्नक - III

## Annexure-3

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली

गोपनीय

गोपनीय

रिपोर्ट / 2-84 / डी.जी.ए. / (ए.एफ.-डब्ल्यू.आर.) / A / cs /  
FAGMIL / 2021-22 / 2363

रिपोर्ट / 2-84 / डी.जी.ए. / (ए.एफ.-डब्ल्यू.आर.) / A / cs /  
FAGMIL / 2021-22 / 2363

दिनांक 29 / 07 / 2022

दिनांक 29 / 07 / 2022

सेवा में,

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड  
संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना,  
जोधपुर -342005, (राजस्थान)

प्रबन्ध निदेशक,  
एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड  
संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना,  
जोधपुर -342005, (राजस्थान)

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(B) के अंतर्गत एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(B) के अंतर्गत एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदया,

महोदया,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(B) के अंतर्गत एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Non-Review प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(B) के अंतर्गत एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनेरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Non-Review प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

संलग्न: यथोपरी

(कीर्ति तिवारी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

(कीर्ति तिवारी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत टिप्पणी :-

कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है नियुक्त संविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व, धारा 143(10) में निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार, निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है जिसको कि दिनांक 05 जुलाई, 2022 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य पूर्ण कर लिया है।

मैंने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार लेखों का अनुपूरक लेखा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं अधिनियम की धारा 143(6)(ब) के अन्तर्गत हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियन्त्रक एवं  
महालेखा परीक्षक के लिए एवं ओर से

(कीर्ति तिवारी)  
प्रमुख निदेशक (अंकेक्षण)  
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29.07.2022

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

The Preparation of financial statements of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have done by them vide their Audit Report dated 05.07.2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India

(Keerti Tiwari)  
Director General of Audit  
(Agriculture, Food & Water Resources)

Place: New Delhi  
Date: 29.07.2022

अनुलग्नक-IV

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए

फार्म नं एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य

एफसीआई अरावली जिप्सम और मिनरल्स इंडिया लिमिटेड  
सी आई एन : U14105RJ2003GOI018093

संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना,

जोधपुर -342005

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन व एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन करते हुए सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान हो सके।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और प्रस्तुत विवरणी और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और कंपनी द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, साथ ही अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 ('ऑडिट अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इस सन्दर्भ में उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र, परिमाण एवं प्रणाली में की गई रिपोर्टिंग के अनुसार हैं।

मैंने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त लेखा, प्रपत्र व प्रस्तुत विवरणी और कंपनी द्वारा रखे गए जिन अन्य अभिलेखों की जाँच की, के प्रावधानों के अनुसार:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम (लागू नहीं)
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम (लागू नहीं)
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष

Annexure-4

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2022

FORM NO.: MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended On 31st March, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members

**FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED**

CIN: U14105RJ2003GOI018093

INSTITUTIONAL AREA, SECTOR 'B', VIVEK VIHAR

SCHEME, JODHPUR - 342005

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Company for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; (Not Applicable)
- The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; (Not Applicable)
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the

निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश लेखापरीक्षा अवधि के दौरान असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (अ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011
- (ब) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन 2015,
- (स) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण का मुद्दा) विनियमन 2009
- (द) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक मुद्दे के रजिस्ट्रार और स्थानांतरित प्रतिनिधि) विनियमन 1993 कंपनी अधिनियम के संबंध में ग्राहक के साथ बात करना।
- (य) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हिस्सेदारी अंश का असूचीबद्ध होना) विनियमन 2009
- (र) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन 1998
- (ल) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन 2008 (लागू नहीं)
- (व) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा-निर्देश 1999

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

- (i) पिछले वित्त वर्ष में कम्पनी की पहली बोर्ड बैठक और लेखा समिति की बैठक में तीन महीने से अधिक का अंतराल था। हालांकि हमें यह बताया गया था कि कोविड-19 के प्रसार के कारण और एम.सी.ए. परिपत्र संख्या 08/2021 दिनांक 03.05.2021 के अनुसार दो बैठकों के बीच अंतराल तिमाही अप्रैल 2021 से जून 2021 और तिमाही जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक बोर्ड की बैठकें 120 दिनों की बजाय 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए यह बैठक निर्धारित समयावधि में आयोजित की गई है।
- (ii) "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान" द्वारा जारी सचिवीय मानक समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों आदि:

यह देखा गया है कि 31.03.2022 को कंपनी के बोर्ड में 5 निदेशक हैं जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दो सरकारी निदेशक हैं और दो स्वतंत्र निदेशक हैं।

rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; [Not Applicable to the company during the Audit Period]

- (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'). (Not Applicable)
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable) and
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;

I have also examined compliance with the Applicable clauses of the following:

- (i) There was a gap of more than 3 months in the First Board Meeting and Audit Committee Meeting of the Company for the previous financial year. However, it was explained to us that due to spread of COVID-19 and as per MCA circular no 08/2021 on Dated-03/05/2021 gap between two board meetings from Quarter April, 2021 to June, 2021 and Quarter July, 2021 to September, 2021 can be extended up to 180 days instead of 120 days therefore it was conducted within the stipulated time period.
- (ii) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. During the Period under review the company has complied with the provision of the Act, Rule, Regulations, Guidelines, Standards, etc.

It has been observed that the Company is having 5 Directors on its Board as on 31.03.2022 including one Chairman & Managing Director, two are Government Director and two are Independent Director.

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर, कंपनी ने निम्नलिखित कानूनों का पालन किया है:

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
2. खान अधिनियम, 1952
3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
4. मातृत्व लाभ (खान) नियम, 1963
5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
7. केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश जो कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 जो भारी उद्यम मंत्रालय और लोक विभाग केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया है।
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने मेरी राय में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और कंपनी के ज्ञापन और लेख के संबंध में अनुपालन किया है:

- (i) विभिन्न वैधानिक रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का रखरखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना।
- (ii) सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना।
- (iii) कंपनियों के पंजियों और केंद्र सरकार से भरे जाने वाले फॉर्म, रिटर्न दस्तावेज और संकल्प।
- (iv) कंपनियों द्वारा अपने सदस्य लेखा परीक्षक और कंपनी के पंजियों पर दस्तावेजों की सेवा।
- (v) निदेशक मण्डल की बैठक और समिति की बैठक सूचना।
- (vi) संकल्प पारित करने सहित निदेशकों और निदेशकों की समिति की बैठक।
- (vii) 18वीं वार्षिक आम सभा 26.11.2021 को आयोजित की गई थी।
- (viii) सामान्य बैठक और निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त।
- (ix) सदस्यों, निदेशक मण्डल और निदेशकों की समितियों और सरकारी अधिकारियों की जहां भी आवश्यकता हो, अनुमोदन।
- (x) निदेशक मण्डल का गठन/निदेशक समिति नियुक्ति सेवानिवृत्ति और प्रबन्ध निदेशक और स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की पुनर्नियुक्ति।

I further report that, having regard to the compliance system prevailing in the Company and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof, on test-check basis, the Company has complied with the following laws:

1. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957.
2. Mines Act 1952.
3. Forest Conservation Act 1980
4. Maternity Benefit (Mines) Rules, 1963
5. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013
6. The Right to Information Act 2005.
7. Department of Public Enterprises Guidelines as envisaged in the office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14<sup>th</sup> May 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.
8. The Environment (Protection) Act, 1986

We further report that the company has, in my opinion, complied with the provision of the Companies Act 2013 and the rules made under that Act and the Memorandum and Article of Association of the Company, with regard to:

- (a) Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- (b) Closure of the register of members;
- (c) Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies and the Central Government;
- (d) Service of documents by the companies on its Members, Auditor and the Registrar of Companies;
- (e) Notice of Board meeting and committee meeting of Director;
- (f) The meeting of Directors and committee of directors including passing of resolution;
- (g) The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting was held on 26/11/2021;
- (h) Minutes of proceeding of General Meeting and of the Board and its Committee Meetings;
- (i) Approval of the members, the Board of Director, the committees of Directors and the Government authorities, wherever required;
- (j) Constitution of the Board of Director/Committee(s) of Directors, appointment, retirement and reappointment of Directors including the Managing Director and Independent Director;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(xi) प्रबन्ध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशक के पारिश्रमिक का भुगतान।</p> <p>(xii) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।</p> <p>(xiii) कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण और प्रसारण और प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करना और भेजना।</p> <p>(xiv) लाभांश की घोषणा और भुगतान।</p> <p>(xv) अधिनियम के तहत निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में आवश्यक कुछ राशि का हस्तांतरण और कंपनी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर भुगतान किए गए और दावा न किए गए लाभांश का विवरण अपलोड करना।</p> <p>(xvi) उधार और पंजीकरण संशोधन और प्रभार की संतुष्टि जहां कहीं भी लागू हो, कंपनी के फण्ड का निवेश जिसमें निवेश और ओहटर का ऋण शामिल हो।</p> <p>(xvii) भाग एक के तहत निर्धारित तुलन पत्र से, भाग दो के तहत निर्धारित लाभ और हानि के विवरण के रूप में और अधिनियम की अनुसूचि तीन में निर्धारित सामान्य निर्देश तैयार करना।</p> <p>(xviii) निदेशक रिपोर्ट।</p> <p>(xix) अनुबंध सामान्य मुहर पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन और</p> <p>(xx) आम तौर पर अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधान और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम</p> | <p>(k) Payment of remuneration to Director including the Managing Director and Whole – Time Director;</p> <p>(l) Appointment and remuneration of Auditors;</p> <p>(m) Transfer and transmission of the company's shares and issue and dispatch of duplicate certificate of shares;</p> <p>(n) Declaration and payment of Dividends;</p> <p>(o) Transfer of certain amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund and uploading of details of unpaid and unclaimed dividends on the websites of the company and the Ministry of Corporate Affairs;</p> <p>(p) Borrowings and registration, modification and satisfaction of charges wherever applicable, investment of the Company's fund including investments and loans to others;</p> <p>(q) Form of balance sheet as prescribed under part-I, form of statement of profit and loss as prescribed under part-II and General Instructions of preparation of the same as prescribed in schedule III to the Act;</p> <p>(r) Director Report;</p> <p>(s) Contracts, common seal, registered office and publication of name of the company and</p> <p>(t) Generally, all other applicable provision of the Act and the Rules made under the Act.</p> |
|---|---|

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मण्डल को कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। कंपनी के संस्था की अंतर्नियम की शर्तों के तहत बोर्ड में सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

बोर्ड की बैठक आयोजन करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्य सूचि और कार्य सूचि के विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्य सूचि मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने, बैठक से पहले कार्य सूचि मदों पर और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक सार्थक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के माध्यम से निर्णय किया जाता है और असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त शामिल कर दर्ज किया जाता है, यदि कोई हो।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

I further report that the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. In terms of Articles of Association of the Company all appointments to the Board are made by Government of India

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through and while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, if any.

I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.



मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कोई विशिष्ट घटना नहीं हुई है जिसका कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है।

I further report that during the audit period, no specific event has taken place which has major bearing on the Company's affairs.

कृते : धीरेन्द्र शर्मा  
अभ्यासरत कंपनी सचिव

FOR: DHIRENDRA SHARMA  
Practicing Company Secretary

मालिक  
सदस्यता संख्या 33592  
सीपी नंबर 14137  
यूडीआईएन : A033592D000822369

(Proprietor)  
Membership No. 33592  
Certificate of Practice No. 14137  
UDIN: A033592D000822369

दिनांक : 20.08.2022

स्थान : जोधपुर

DATE: 20/08/2022

PLACE: JODHPUR

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे 'अनुलग्नक-ए' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.

## अनुलग्नक- ए

सेवा में,

सदस्यगण

एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

सी आई एन : U14105RJ2003GOI018093

संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना,

जोधपुर - 342005

इस पत्र के साथ सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को पढ़ा जाना है।

- (1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है।
- (2) मैंने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री में सुधार और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों का परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है। जिससे सही तथ्य परिलक्षण सुनिश्चित हो सके मैं मानता हूँ कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- (3) मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
- (4) जहां भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- (5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- (6) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में एक आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते : धीरेन्द्र शर्मा  
अभ्यासरत कंपनी सचिव

मालिक  
सदस्यता संख्या 33592  
सीपी नंबर 14137  
यूडीआईएन : A033592D000822369

दिनांक : 20.08.2022

स्थान : जोधपुर

## 'Annexure A'

To,

The Members

**FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED**

CIN: U14105RJ2003GOI018093

INSTITUTIONAL AREA, SECTOR 'B', VIVEK VIHAR  
SCHEME, JODHPUR - 342005

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Where ever required, I have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

FOR: DHIRENDRA SHARMA  
Practicing Company Secretary

Proprietor  
Membership No. 33592  
Certificate of Practice No. 14137  
UDIN: A033592D000822369

PLACE: JODHPUR

DATE: 20/08/2022

**अनुबन्ध-V**

फार्म नं०-एम.जी.टी-9

31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमन 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

**1. पंजीकरण और अन्य विवरण:-**

- i. निगम पहचान संख्या: U14105RJ2003GOI018093
- ii. पंजीकरण दिनांक: 14 फरवरी, 2003
- iii. कम्पनी का नाम: एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड
- iv. कम्पनी की श्रेणी/उपवर्ग: सार्वजनिक कम्पनी
- v. मुख्य कार्यालय का पता तथा दूरभाष विवरण:- संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर 'बी', विवेक विहार योजना, जोधपुर-342005
- vi. सूचिवद्ध कम्पनी हैं/ नहीं: नहीं
- vii. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम/पता/दूरभाष विवरण:- लागू नहीं

**2. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ:- कम्पनी की कुल व्यावसायिक गतिविधियों के 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाली गतिविधियाँ:-**

क्र. स.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम/विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	जिप्सम	25201010	100%

**3. कम्पनी की नियंत्रक, सहायक तथा सहयोगी कम्पनी का विवरण:-**

क्र. स.	कम्पनी का नाम व पता	CIN/ GLN	नियंत्रक, सहायक तथा सहयोगी	अंश %	लागू धाराएँ
			नहीं		

**Annexure-5**

Form No. MGT-9

Extract of Annual Return for the year ended on 31.03.2022

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

**1. Registration and other details**

- i. CIN: U14105RJ2003GOI018093
- ii. Registration date: 14.02.2003
- iii. Name of the Company: FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited
- iv. Category/ Sub category of the company: Public Limited Company
- v. Address of the registered office and contact details: Institutional Area, Sector-B, Vivek Vihar, Jodhpur-342005
- vi. Whether Listed Company Yes/ No: No
- vii. Name, address and contact details of Registrar and Transfer Agent: Not applicable

**2. Principal business activities of the company: All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-**

S. No.	Name & Description of main products/ services	NIC code of the products/ services	% to total turnover of the company
1	Gypsum	25201010	100%

**3. Particulars of holding, subsidiary and associate companies**

S. No.	Name and Address of the company	CIN/ GLN	holding, subsidiary & associate	% of shares held	Applicable section
			Nil		

**4. अंशधारिताओं विवरण (कुल सामान्य अंशों के प्रतिशत के आधार पर सामान्य अंश पूंजी का अलग-अलग विवरण)**

**4. Shareholding Pattern (Equity share capital break-up as percentage of total equity)**

**i. श्रेणी वार हिस्सेदारी**

**i. Category-wise shareholding**

क्र. सं. No.	शेयरधारकों की श्रेणी Category of shareholders	वर्ष के शुरूआत में धारित अंशों की संख्या No. of shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत % change during the
		डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशों का प्रतिशत % of total shares	डी.मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशों का प्रतिशत % of total shares	
अ. A.	संस्थापक Promoters	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	भारतीय Indian	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क. a	व्यक्ति/एच यू एफ Individuals/ HUF	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख. b	केन्द्रीय सरकार Central Government	—	50000000	50000000	100	—	50000000	50000000	100	0
ग. c	राज्य सरकार State Government(s)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. d	निगमित निकाय Bodies Corporate	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ. e	बैंक/ वित्तीय संस्थान Banks/FI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च. f	अन्य Any other	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप-कुल (क) (1) Subtotal A(1)	—	50000000	50000000	100	—	50000000	50000000	100	0
2.	विदेशी Foreign	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क. a	एन.आर.आई.व्यक्ति NRIs-Individuals	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख. b	अन्य व्यक्ति Other-Individuals	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग. c	निगमित निकाय Body Corporate(s)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. d	बैंक/ वित्तीय संस्थान Banks/FI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ. e	अन्य Any other	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप-कुल (क) (2) Subtotal A(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ	संस्थापकों की कुल अंशधारिता क(1)+(2) Total shareholding of promoters A=A(1)+A(2)	—	50000000	50000000	100	—	50000000	50000000	100	0
ब. B.	सार्वजनिक हिस्सेदारी Public Shareholding	—	—	—	—	—	—	—	—	—



क्र. सं. S. No.	शेयरधारकों की श्रेणी Category of shareholders	वर्ष के शुरुआत में धारित अंशों की संख्या No. of shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या No. of shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत % change during the year
		डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशों का प्रतिशत % of total shares	डी.मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशों का प्रतिशत % of total shares	
ब c	अन्य Other (Specify)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप कुल ब (2) Subtotal B(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल सार्वजनिक अंशधारिता ब=ब(1)+ब (2) Total Public shareholding B=B(1)+B(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स. C	जीडीआर और ए डी आर के द्वारा धारित अंश Shares held by custodian for GDRs and ADRs	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग (अ+ब+स) Grand Total (A+B+C)	—	50000000	50000000	100	—	50000000	50000000	100	0

ii. संस्थापकों की हिस्सेदारी

क्र. सं.	अंशधारकों का नाम	वर्ष के शुरुआत में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष में परिवर्तन का %
		अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	भार गिरवी अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	भार गिरवी अंशों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	50000000	100	0	50000000	100	0	0

i. Shareholding of promoters

S. No.	Share holder's name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares	
1	President of India	50000000	100	0	50000000	100	0	0

iii. संस्थापकों की अंशधारिताओं में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया विवरण दिया जाए)

क्र. सं.	वर्ष के शुरुआत में अंशधारिता	वर्ष में संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष की आरम्भ में	50000000	100
	संस्थापकों की अंशधारिता में आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण		
	वर्ष के अंत में		50000000 100

iii. Change in Promoters' Shareholding (Please specify, if there is no change)

S. No.	Shareholding at the beginning of the year	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	50000000	100
	Date wise increase/ Decrease in promoters shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc)		
	At the end of the year	50000000	100

**iv. शीर्ष दस अंशधारकों की अंशधारिताओं का विवरण (निदेशकों, संस्थापकों और जीडीआर एवं ए.डी.आर. धारकों के अतिरिक्त)**

क्र. स.	शीर्ष दस अंशधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरूआत में अंशधारिता		वर्ष में संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष के प्रारंभ में	—	—	—	—
	वर्ष के दौरान धारकों की अंशधारिता में आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	—	—	—	—

**iv. Shareholding Pattern of top ten shareholders (Other than Directors, Promoters and holders of GDRs and ADRs)**

S. No.	For each of the top 10 shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	—	—	—	—
	Date wise increase/ Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/ sweat equity etc)	—	—	—	—
	At the end of the year	—	—	—	—

**v निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की हिस्सेदारी**

क्र. स.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रबंधकीय कर्मियों का	वर्ष के शुरूआत में अंशधारिता		वर्ष में संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	अंशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष के प्रारंभ में श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा (भूतपूर्व सीएमडी) श्री निरंजनलाल शर्मा	100		100	
	वर्ष के दौरान धारकों की अंशधारिता में आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण				
	वर्ष के अंत में श्री अनिल फुलवारी (निदेशक) श्री निरंजनलाल शर्मा (निदेशक)	100		100	

**v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel**

S. No.	For each of the Director and Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year Shri Partha Sarthi Sen Sharma (Ex-CMD) Shri Niranjn Lal Sharma (Director)	100		100	
	Date wise increase/ Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc)				
	At the end of the year Shri Anil Phulwari (Director) Shri Niranjn Lal Sharma (Director)	100		100	

**5. ऋण**

**कम्पनी पर बकाया/उपार्जित ब्याज सहित ऋण**

	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण				
i. मुख्य राशि	—	—	—	—
ii. ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया	—	—	—	—
iii. ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं	—	—	—	—
कुल (i+ii+iii)	—	—	—	—

**5. Indebtness**

**Indebtness of the company including interest outstanding/ accrued but not due for payment.**

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount				
ii. Interest due but not paid				
iii. Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total(i+ii+iii)				

	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष में ऋण में परिवर्तन ● वृद्धि ● कमी	—	—	—	—
शुद्ध परिवर्तन	—	—	—	—
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण i. मुख्य राशि ii. ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया iii. ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं	— — —	— — —	— — —	— — —

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Change in Indebtness during the financial year ● Addition ● Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change				
Indebtness at the end of the financial year i. Principal Amount ii. Interest due but not paid iii. Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL

## 6. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

### i. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक व प्रबंधकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक व अन्य प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़	
1	कुल वेतन अ. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अन्तर्गत वेतन ब. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलाभ स. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के एवज में लाभ	4895609 — —	— — —
2	स्टॉक ऑप्शन	—	—
3	स्वेट इक्विटी	—	—
4	कमीशन — लाभ पर % — अन्य		
5	अन्य यदि हो तो	—	—
	कुल (I)	4895609	—
	अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

## 6. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

### i. Remuneration to Managing Director, Whole Time Directors and/ or Manager:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD/Manager	Total Amount
		Brigadier Amar Singh Rathore	
1	Gross Salary. a. Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961 b. Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961 c. Profit in Lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act, 1961	4895609  Nil	Nil  Nil Nil
2	Stock Option	Nil	Nil
3	Sweat Equity	Nil	Nil
4	Commission - As % of profit -Other (specify)	Nil Nil	Nil Nil
5	Other, Please specify (Own arrangement)	Nil	Nil
	Total A	4895609	Nil
	Ceiling as per Act	NA	NA



7. कम्पनी पर लगाया गया दण्ड इत्यादि

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दण्ड/सजा / के अन्तर्गत शुल्क	प्राधिकरण (आर डी/ एनसीटी/ कोर्ट)	अपील यदि की हो (विवरण)
<b>अ. कम्पनी</b>					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
<b>ब. निदेशक</b>					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
<b>अन्य दोषी अधिकारी</b>					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

7. Penalties/ Punishment/ Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCT/ COURT]	Appeal made if any (give details)
<b>A. Company</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>B. Directors</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Other Officer in default</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

## प्रबन्ध चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

### प्रस्तावना

फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के विघटन के फलस्वरूप वर्ष 2003 में एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इससे पहले कम्पनी एफ.सी.आई.एल की एक यूनिट जोधपुर खनन संस्थान (जे.एम.ओ.) के रूप में कार्यरत थी, जिसका प्रमुख कार्य जिप्सम का खनन करके उसे दोबारा उपयोग के लिए सिन्दरी यूनिट भेजना था। एफ.सी.आई से विघटन के पश्चात् कम्पनी (फेगमिल) ने कृषि योग्य एवं सीमेंट ग्रेड जिप्सम के खनन व विपणन का कार्य जारी रखा।

खनिज जिप्सम का प्रयोग मुख्यतः पौधों में सल्फर तत्व के पोषण हेतु, मृदा के पुनरुद्धार हेतु व सीमेंट उद्योगों में सीमेंट के निर्माण कार्य में किया जाता है। बीते कई वर्षों में कम्पनी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा व राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया है।

### औद्योगिक संरचना एवं विकास

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने मूल्यवान ग्राहकों, कुशल बिक्री, शीघ्र वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आने वाली चुनौतियों का दक्षता के साथ सामना किया। लेकिन आयातित जिप्सम तथा निजी पार्टियों द्वारा आपूर्ति करने से सीमेंट उद्योग कम सामग्री उठा रहे हैं। अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करते हुए कम्पनी लम्बी अवधि के अवसरों के बारे में भी आशावादी हैं। हालांकि इसके बावजूद उसे अभी कई चुनौतियां का सामना करना है।

भारत में लगभग 40 लाख मै.टन खनिज जिप्सम की आवश्यकता होती है जिसको की आपकी कम्पनी और आर.एस.एम.एम.एल. एवं अन्य निजी पार्टियों द्वारा मिलकर पूरा किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान आर.एस.एम.एम.एल. ने 3.75 लाख मै.टन का उत्पादन व 3.75 लाख मै.टन जिप्सम का विक्रय किया जबकि हमारी कम्पनी ने 4.11 लाख मै.टन का उत्पादन व 4.13 लाख मै. टन जिप्सम का विक्रय किया। जो कि यह दर्शाता है कि दोनों सरकारी उपक्रमों का उत्पादन व विक्रय में मार्केट शेयर क्रमशः 19.65 प्रतिशत व 19.70 प्रतिशत है।

### शक्ति, अशक्ति, अवसर व अनिष्ट

#### शक्ति

यह एक छोटी कम्पनी है। उच्च निवल मूल्य शून्य ऋण, अच्छी कार्य संस्कृति, उत्पाद की उच्च गुणवत्ता एवं जिप्सम के खनन के कार्य में दक्षता इत्यादि इसकी प्रमुख शक्तियां हैं।

#### अशक्ति

दूरस्थ स्थानों पर उपस्थित खानें, गुणवत्ता की विसंगतियां, जिप्सम के कोष में कमी और सरकारी नीतियों के कारण कम्पनी उचित प्रतिभा को आकर्षित नहीं कर पा रही हैं। नये खनन पट्टें प्राप्त करने

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

### Introduction

The company FCI Aravali Gypsum & Minerals India limited (FAGMIL) was established in 2003 as a result of demerger from Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL). Earlier, the company was a unit of FCIL known as Jodhpur Mining Organization (JMO) which was engaged in mining of mineral gypsum for captive use in Sindri Unit. After demerger FAGMIL continued its operation of mining and marketing of mineral gypsum as cement grade and agriculture grade.

Mineral Gypsum is used mainly as a sulphur nutrient to the soil and for reclamation of sodic soil to make it fertile and also as an input raw-material in cement manufacturing. Over the years lacs of acres land in UP, Punjab, Haryana and Rajasthan has been reclaimed.

### Industry Structure & Development

During the year under review the company has responded well to challenges by focusing on its valuable customers, efficient sales and prompt delivery. However because of imported gypsum and supplies from Private Players, Cement Industries are lifting less material. Nevertheless, the company is optimistic about the long term opportunities while at the same time meeting the short term challenges. However there are many challenges that still need to be met.

There is a requirement of about 40 LMT per year mineral gypsum in India which is fulfilled by your company, RSMML and other private parties. During the year 2021-22, RSMML produced and sold 3.75 LMT and 3.75 LMT respectively whereas our company produced and sold 4.11 LMT and 4.13 LMT respectively. This shows that the market share of Government companies are 19.65% and 19.70% in terms of production and sales respectively.

### Strength, Weakness, Opportunities and threats

#### Strength

A small company with good financial strength i.e. high net worth, zero debt, good work culture, brand image of quality product and core competence in gypsum mining are the strengths of the company.

#### Weakness

Remote location and depletion of the mines, inconsistency quality of the product and Government Policies are acting as deterrent in attracting and retaining the talent. Constraints in applying for new gypsum mining

में बाधाएं व वन पर्यावरण मंजूरी में देरी इत्यादि कम्पनी के उत्पादन एवं समय सूची को प्रभावित करते हैं।

### अवसर

कृषि एवं सीमेंट क्षेत्रों में मांग के कारण जिप्सम एवं इसके पाउडर उद्योग का उचित दर से विकास हुआ है, परन्तु घटते जिप्सम कोष एवं गुणवत्ता के कारण कम्पनी में इसका उत्पादन कम हुआ है, जिसके कारण आयातकों एवं निजी खान मालिकों को प्रतियोगिता में बढ़त प्राप्त हुई है। हालांकि बड़े क्षेत्रों के आरक्षण द्वारा कुछ सीमा तक इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।

कम्पनी अपनी वर्तमान खनन गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य खनिजों जैसे लाइम स्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र में विविधता लाने का इरादा रखती है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार की सिफारिश पर खनन मंत्रालय भारत सरकार ने रॉक फॉस्फेट के दो व डोलोमाइट का एक खनन पट्टा कम्पनी के नाम दिनांक: 19.12.

2018 को आरक्षित कर दिया। इससे कम्पनी के लिए नई राहें खुली हैं।

### अनिष्ट

उपरोक्त अशक्तियों के अतिरिक्त सरकार की खनन नीतियां, आयतित जिप्सम, विविधिकरण योजनाओं में देरी एवं पी.ओ.पी कारखानों से प्रतियोगिता, कम्पनी की प्रमुख अनिष्टियां हैं। एक खनन कम्पनी के रूप में यह स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण मुद्दों के अधीन हैं, इसके बावजूद कम्पनी अपने सभी कानूनी दायित्वों और आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं।

### भविष्य के दृष्टिकोण

कम्पनी ने व्यवसाय के रूप में परिवर्तन करने के उद्देश्य से कम्पनी ने राजस्थान के चित्तौड़ में एक एस.एस.पी. उत्पादन के इकाई की स्थापना कर बिक्री को बढ़ाने की योजना तैयार की थी परन्तु बदलते हुए बाजार के परिदृश्यों एवं उद्योगों के उपयोग मानदण्डों के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि कम्पनी सिरमौर हिमाचल प्रदेश में सफेद सीमेंट विनिर्माण संयन्त्र स्थापित करने की योजना भी बना रही है।

### शंका और व्यापारिक अभिरूचि

सीमेंट उद्योगों के हालात में परिवर्तन, विनियामक विकास, सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन, कम्पनी की भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। खनन गतिविधियों का कारोबार बहुत ही कल्पनाशील है। वहां पाये जाने वाले किसी भी खनिजों में मात्रा एवं गुणवत्ता का सही आश्वासन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कम्पनी अपने विकास और बाजार में बने रहने के लिए जोखिम प्रबन्धन की नीतियों में विश्वास रखती हैं। इस तरह कम्पनी ने अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जोखिम के शमन के लिये एक जोखिम प्रबन्धन योजना तैयार की है जिसमें की नियन्त्रणीय जोखिम को

leases and delay in forest and environmental clearance affect the time schedule.

### Opportunities

The gypsum industry has potential for reasonable growth in the coming years because of demand in agriculture and cement sector but the depletion of gypsum in mines and deterioration in quality has resulted in lesser production, giving a competitive edge to importers and private mine owners. However, reservation of large mining areas can mitigate this risk to some extent.

The Company intends to diversify its mining activities into the field of other minerals like Lime Stone, Dolomite, Rock Phosphate etc. On the recommendation of Government of Rajasthan, Ministry of Mines, Government of India reserved the two blocks of Rock Phosphate and one block of Dolomite in favour of company on 19.12.2018. This has opened the new avenue for the company.

### Threats

Apart from the above weakness the Government's mining policies, Imported Gypsum, delay in execution of diversification Plan and competition from small POP factories are the major threats to the company.

As a mining company it is subject to the extensive regulations surrounding health, safety and environmental issues. However the company tries best to fulfil all the requirements of the statutory obligations.

### Outlook for the future;

As a part of business transformation exercise, it had also chalked out the plan for increasing the sales turnover by establishing the SSP unit at Chittorgarh, Rajasthan but it could not be established due to changed market scenario and industry utilization norms. The company is also planning to establish white cement manufacturing plant in Sirmour District, Himachal Pradesh.

### Risk and concerns;

Future results including work program plan and schedule will be affected by change in market conditions especially from cement industries, regulatory developments and quality & quantity of material. The business of mining activity is highly speculative. There cannot be any perfect assurance towards quality and quantity (reserve) found in mines. However your company continues to believe that managing risk is critical for its growth and sustenance. As such your company prepared a risk management plan for mitigation of controllable risk and lowering the impact of uncontrollable risk for better performance of the company.

हटाया जाता है व अनियन्त्रणीय जोखिम के प्रभाव को कम किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने अपने अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 के द्वारा जिप्सम को उच्च श्रेणी के खनिजों से निम्न श्रेणी के खनिजों की श्रेणी में स्थानान्तरित कर दिया, इस प्रकार यह राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने जिप्सम के खनन का कार्य को सभी के लिए खोल दिया जो कि पहले राज्य के उपक्रमों के लिए आरक्षित था। जिससे कम्पनी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

कृषि योग्य भूमि को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के द्वारा किसानों को जिप्सम के खनन का अधिकार दे दिया। जिससे कि जिप्सम बाजार में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया। अच्छी गुणवत्ता वाले जिप्सम को विदेश से आयात भी किया जा रहा है जिसने कम्पनी के बाजार की स्थिति में सेंध लगा दी है।

इसके अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि अगर कम्पनी निजी जमीन से जिप्सम के खनन की इच्छुक है, तो या तो कम्पनी को भूमि अधिग्रहण करना होगा अथवा नियमों के आरंभ होने के तीन महीने के अन्दर भूमि के मालिकों की पूर्ण सहमति लेनी होगी, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई सम्पूर्ण राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

कम्पनी ने उर्वरक विभाग के माध्यम से खान मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष लाइम स्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट के कुछ ब्लॉक को आरक्षित करने का अनुरोध किया था। राजस्थान सरकार की सिफारिश पर खान मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 19.12.2018 को डोलोमाइट का एक व रॉक फॉस्फेट के दो ब्लॉक को कम्पनी के नाम में आरक्षित कर दिये हैं।

### आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में इसके प्रकृति और आकार के अनुसार सुव्यस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हैं। प्रबंधन वातावरण को स्थापित करने एवं नियंत्रित रखने के लिए जिम्मेदार है। आन्तरिक लेखा परीक्षक भी बेहतर मूल्यांकन प्रदर्शन और सिफारिशों के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपकी कम्पनी की आंतरिक लेखा प्रक्रिया का कार्य अनुभवी व्यक्तियों को सौंपा गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय से विचार विमर्श किया जाता है। तदुपरांत अंकेक्षण समिति के समक्ष समीक्षा, विश्लेषण, सलाह और आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि सामग्री नियन्त्रण, वित्त नियन्त्रण, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल होती हैं। आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर अंकेक्षक की टिप्पणियों, उस पर की कार्यवाहियों को नियमित रूप से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

By its notification dated 10.02.2015, Central Government categorized the gypsum under Minor Mineral as against Major Mineral and thus it has come under the legislative control of State Government. Government of Rajasthan has opened the Gypsum mining for all as against State PSUs only, which has brought the company in a highly competitive environment.

State Government notified on 28.10.2016 to grant Short Term Permits to farmers to develop the land for agriculture use after excavation of gypsum which further intensified the competition in gypsum market.

Further good quality of gypsum is also being imported by cement industries, which has made dent in the market position of the company.

The Rules also requires that if company intends to mine gypsum from private land then it has to either acquire the land or to take the prior registered consent of land owners within a period of three months from the date of commencement of Rules, failing which the application shall be rejected and all sum paid will be forfeited.

As a consequence of above, the company requested through Department of Fertilizers to Ministry of Mines for reserving the few blocks of SMS grade Lime Stone, Dolomite, Rock Phosphate. On the recommendation of Government of Rajasthan, Ministry of Mines, Government of India reserved the two blocks of Rock Phosphate and one block of Dolomite in favor of company on 19.12.2018. The proposal for reservation of two blocks of SMS Grade Lime stone is still pending due to non submission of comments by the Government of Rajasthan.

### Internal control systems and their adequacy;

Your company has well established internal control system with nature and size of its operation. Management is responsible for establishing and maintaining the controlled environment. Internal Auditor also plays a role in a system of internal controls by performing evaluations and making recommendations for improved controls. Internal audit function of your company has been entrusted to well experience person. The internal audit reports submitted by the auditor are discussed with Chairman & Managing Director at first instance and then submitted to the Audit committee for its review, analysis and advice to further strengthen the internal control system covering all material controls, financial controls, compliance and risk management system. Action taken reports on observations of auditor on internal audit report are regularly submitted to Audit Committee.

### वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर विश्लेषण

वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर विश्लेषण निदेशकों के प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

### मानव संसाधन, औद्योगिक प्रबन्धन और प्रतिभा प्रबन्धन

मानव संसाधन, औद्योगिक प्रबन्धन और प्रतिभा प्रबन्धन के विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

### पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, ऊर्जा नवीनीकरण एवं उपयोग और अनुसंधान एवं विकास :-

कम्पनी पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और यह कम्पनी की समस्त गतिविधियों से परिलक्षित होता है जिसमें सभी हितधारकों को स्वास्थ्य और सुरक्षित काम का पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता है। सभी खानों में सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन पर इस सम्बन्ध में करीब से निगरानी भी की जाती है। पर्यावरण के लिए अपनी इस चिन्ता के अनुरूप कम्पनी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के साथ सतत विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।

इस सम्बन्ध में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के उद्देश्य से कम्पनी ने आसपास के खानों में लगाये गये पौधों को नियमित रूप से पानी देने का प्रावधान किया है। कम्पनी ने ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए एक पर्यावरण निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। जिसमें समय समय पर पर्यावरण की स्थिति को मापा जाता है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। कम्पनी ने जल छिड़काव यंत्र भी स्थापित किया है जो धूल छोटती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर खनन स्थानों पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी जाँचा जाता है। खनन की गई भूमि पर पौधारोपण किया जाता है।

कर्मचारियों एवम् अनियमित मजदूरों को सुरक्षा-संबन्धी उपकरण जैसे सिस्राण, सुरक्षा जूते, धूप के चश्मा इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं। विद्युत/तेल जोखिमी आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने का यन्त्र तथा सायरन इत्यादि खानों में उपलब्ध कराये गये हैं। मोहनगढ़ खान आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस से सृजित है।

### अनुसंधान और विकास :-

कम्पनी में अनुसंधान और विकास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय-समय पर यह विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कार्य सौंपती हैं।

### निगमित समाजिक उत्तरदायित्व एवं कम्पनी द्वारा की गई पहल:-

समाज का एक अंग होने के कारण कम्पनी अपने खान समूहों के आस पास स्थित गांवों में शिक्षा, प्रशिक्षण, रहने की स्थिति में सुधार आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है, जिससे ग्रामीण विकास हो सके। इसके लिए कम्पनी ने एक सी.एस.आर. योजना

### Analysis of finances and operations;

Details on financial and physical performance are given in Directors report.

### Human resources, industrial relation and talent management issues;

Details on Human resources, industrial relation and talent management issues are given in Directors report.

### Environmental conservation, Sustainable Development, renewal use of energy and R & D issue;

Environmental conservation, Sustainable Development, renewal use of energy. The company is committed towards protection of environment and it is reflected in all its activities, providing safe and healthy working environment to all stakeholders. Strict compliance with safety rules and procedures is ensured in all the mines and a close monitoring is made in this regard. In conformity with this concern for environment, the company is also committed to sustainable development with environment friendly projects.

The Company has made provisions for regular watering to sapling planted nearby mines to develop the green belt. The Company has installed an environment monitoring system to measure the level of noise, water & air pollution. At different intervals of time, the environment status is measured and constant efforts are made to control the pollution. The Company commissioned the water sprinkling system to control & suppress the dust. Apart from the above, periodically medical check-ups are conducted for employees engaged at mines sites. Mined out land are rehabilitated for cultivation by plantation of saplings.

The employees and casual labours both have been provided with safety equipment like helmet, safety shoes, goggles, dust-mask etc. The electric/ oil hazardous mining area have been provided with fire extinguishers systems, siren system in case of emergency. Mohangarh Mines has been equipped with ambulance for the employees in case of emergency.

### R&D issues

The company does not have in house research and development facility but time to time it undertakes the job of research activity through various recognized universities/ institutes.

### Corporate Social responsibility issues and Initiatives undertaken by the company:-

As a part of society, the company undertakes socio economic and community development programs to promote education, training and improvement of living

विकसित की है, जिसमें (पिछले तीन वर्षों के औसत) कर पूर्व लाभ का 2 प्रतिशत हस्तान्तरित किया जाता है।

इस वर्ष कम्पनी ने अपने वार्षिक लक्ष्य रु. 46.12 लाख के विरुद्ध रु. 46.14 लाख (पिछले वर्ष रु. 62.14 लाख) विभिन्न सी.एस.आर. परियोजनाओं जैसे शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य में सुधार, पीने की पानी की सुविधा, सफाई व कृषि में सिलिसियस चॉक के संभावित उपयोग की खोज के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना: सोडिसीटी रिक्लेमेशन एण्ड न्यूट्रीन्ट सोर्स फ्रॉम इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर)—केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर)

conditions in villages located in the vicinity of the mines. For this your company developed a CSR scheme and spends at least 2% of its average profit of last three years, every year. This year Rs. 46.14 lakh (previous year Rs. 62.14 lakh) was spent against target of Rs. 46.12 Lakh on Promoting Education, Promoting Health care, Making available the drinking water facilities, and R&D Project of Exploring the potential use of silicious chalk in agriculture: sodicity reclamation and nutrient source from Indian Council of Agriculture Research (ICAR) - Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI).

ओम पी. माहेश्वरी एवं एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

145, पत्रकार कालोनी  
न्यू टॉवर हाउस के निकट  
जोधपुर-342001, राजस्थान  
फोन : 0291-2641987  
मो. : 9829034021

**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants

145, Patrakar Colony  
Near New Tower House  
Jodhpur-342001, Rajasthan  
Ph. 0291-2641987  
Mob. : 9829034021

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

### एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के सम्मानित सदस्यों

IndAs के वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

#### हमारी राय

हमने 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के वार्षिक खातों का अंकेक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31.03.2022 का तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों सहित अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां (इसके बाद वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाएगा) शामिल है।

हमें दिये गये स्पष्टीकरण एवं जानकारियों के आधार पर उपरोक्त वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि खाता, समता अंशों में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण शामिल है, कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 133 के अन्तर्गत बनाये गये IndAs, कम्पनीज (इण्डियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम - 2015 व भारत में स्वीकार किये गये अन्य लेखांकन सिद्धान्तों के प्रावधानों के अनुरूप है एवं वे सभी सूचनाएं प्रदान करते हैं जिससे एक सच्चा एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

#### राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखों का अंकेक्षण किया है। मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय वक्तव्य अनुभाग के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के शीर्षक के अन्तर्गत भी वर्णित किया गया है। हम कम्पनी अधिनियम 2013 व इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं व चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है एवं हमने अपनी जिम्मेदारियों को इन नैतिक आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

#### मुख्य लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामलें वे मामलें हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के पेशेवर निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण थे।

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

### To the members of FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited

Report on the Audit of the Financial statements

#### Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended 31 March 2022 and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("IndAS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022 and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

#### Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA")s specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

#### "Key Audit Matter"

Key audit matters are those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period.

“हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले नहीं हैं।

### वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारीयां:-

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट और शेरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन खुराक में वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है

निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारीयों की सामग्री गलत है तो हमें उस तथ्य को सूचित करना होता है। हालांकि इस संबंध में सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

### वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन अथवा प्रशासन का उत्तरदायित्व

भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार, तैयार किये वित्तीय विवरणों जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, समता अंशों में परिवर्तन, नकद प्रवाह विवरण का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, का दायित्व कम्पनी अधिनियम की धारा 134(5) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल का होता है। इन दायित्वों में प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव, सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व अनियमिताओं का संज्ञान व रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन, उचित एवं विवेक पूर्ण फैसलों का अनुमान, आन्तरिक लेखा प्रणाली की सरंचना, उसको लागू करना व रख-रखाव, लेखों की शुद्धता व पूर्णता एवं वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं निष्पक्षता शामिल है। जब तक प्रबंधन कम्पनी को बन्द करने अथवा इसके संचालन को बंद करने अथवा ऐसा करने का कोई विकल्प न रखती हो तो कम्पनी के वित्तीय विवरण को तैयार करने में कम्पनी की क्षमताओं का आंकलन फलते-फूलते कारोबार के रूप में करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है।

“We have determined that there are no key audit matters to communicate in our report.”

### Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Director's Report, Management Discussion & Analysis Report, Corporate Social Responsibility Report, Corporate Governance Report and Shareholder's Information, but does not include financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report, Management Discussion & Analysis Report, Corporate Social Responsibility Report, Corporate Governance Report and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance. We have nothing to report in this regard.

### Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, एक चालू समस्या के रूप में जारी रखें, प्रकटीकरण जैसा लागू हो। एक चालू समस्या और एक चालू समस्या का उपायोग करने से संबंधित मामले जब तक प्रबंधन या तो लेखांकन चिंता का आधार नहीं है। कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद कराने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए निदेशक मण्डल जिम्मेदार होता है।

### वित्तीय विवरण के अंकेक्षण में लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण किसी गलत बयान (चाहे वो चूक के कारण हो अथवा धोखाधड़ी के कारण) से मुक्त है। इसके अतिरिक्त इस विषय पर हमें अपनी राय देनी होती है एवं लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन जारी करना होता है। कंपनी से प्राप्त आश्वासन उच्च स्तर का है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण प्रमाण के अनुसार किये गये अंकेक्षण से हमेशा भौतिक गलतियों का पता चल जायेगा। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें उस समय अहम माना जा सकता है, जब यह वित्तीय विवरण के उपयोग कर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

अंकेक्षण प्रमाणों के अनुसार, हम लिये गये निर्णयों का पालन करते हैं एवं पूरे अंकेक्षण के दौरान संदेह की प्रक्रिया को बरकरार रखते हैं।

- हम, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न वित्तीय विवरण के सामग्री के जोखिम व नुकसान की पहचान एवं आकलन करते हैं एवं उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और अंकेक्षण सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को पर्याप्त आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न जोखिम गलत विवरण को पता न लगा पाने से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की अवहेलना शामिल होती है।
- परिस्थितियों के अनुसार लेखा परीक्षा के कार्य की प्रक्रिया तैयार करने के लिए हम पहले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रणाली को पहले समझते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियन्त्रण प्रभावी रूप से संचालित है।

preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- हम प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये सम्बन्धित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- संस्था में प्रबन्ध द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर यह देखना कि क्या परिस्थितियों से सम्बन्धित ऐसी कोई अनिश्चितता है जो कम्पनी को चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता है, तब हमें अपने लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित प्रकटीकरण में इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो हम अपनी प्रतिवेदन में वर्णित राय को संशोधित करते हैं। लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर हमारे निष्कर्ष आधारित होते हैं। हालांकि भावी घटनाये या परिस्थितियां कम्पनी को भविष्य में चालू संस्था होने से रोक सकती है।
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरण के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या वित्तीय विवरण इस अन्तर्निहित लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है।
- किसी भी सामाग्री की विशालता वित्तीय विवरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण होते हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से या अन्य सामाग्री के साथ मिलकर वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

हम वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किये गये गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के लिए दायी व्यक्तियों से अन्य विषय वस्तुओं के साथ-साथ लेखा परीक्षा के क्षेत्र, समय सूची, महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्ष एवं लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों के बारे में चर्चा करते हैं।

हम शासन के लिए दायी व्यक्तियों को इस बात का विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सभी नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है एवं हमारी स्वतन्त्रता जहां प्रयोज्य है सम्बन्धित हिफाजत पर यथा संगत विचार किये जाने वाले सभी सम्बन्धों एवं अन्य विषय वस्तुओं की सूचना देते हैं।

#### अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(11) के अन्तर्गत निर्गमित व समय-समय संशोधित कम्पनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 व 4 के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारियों का

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters

विवरण जिस सीमा तक वे लागू है अनुलग्नक 'अ' में दिया जा रहा है।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों उपनिर्देशों से सम्बन्धित आवश्यक विवरण अनुलग्नक-ब दिये गये हैं।
3. धारा 143(3) के अन्तर्गत हम यह सूचित करते हैं कि
  - क. हमने वे समस्त सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि अंकेक्षण करने के उद्देश्य से हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर आवश्यक थे।
  - ख. पुस्तकों की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी ने कानून के अन्तर्गत आवश्यक सभी पुस्तके रखी है।
  - ग. तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ हानि खाता, समता अंशों में परिवर्तन पर विवरण व नकद प्रवाह विवरण जो कि इस प्रतिवेदन में वर्णित है लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
  - घ. हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण धारा 133 में वर्णित IndAs के प्रावधानों के अनुरूप है।
  - ड. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463 (E) दिनांक जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
  - च. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता अनुलग्नक 'स' में अलग से वर्णित है।
  - छ. अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:
    - I. धारा 197(16) के अन्तर्गत अपेक्षित अंकेक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है की अधिनियम की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
    - II. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम-2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय, जानकारी एवं हमें दिये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
      - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में लम्बित मुकदमों के वित्तीय प्रभाव का प्रकटीकरण नोट संख्या-45 में किया है।

specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by Section 143 (5) of the Act, we give in "Annexure B" the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditors General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
  - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
  - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.
  - e) In terms of notification number G.S.R. 463 (E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company.
  - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
  - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:As per notification number G.S.R. 463 (E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Section 197 of the Act as regards the managerial remuneration is not applicable to the Company, since it is a Government Company.
  - h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
    - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements- Refer Note 45 to the financial statements

- ii. कम्पनी में कोई भी दीर्घ कालिक अनुबन्ध अथवा व्यूत्पन्न अनुबंध नहीं है जिसमें कम्पनी को पूर्वभासी क्षति हो।
- iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कम्पनी द्वारा कोई राशि अंतरित किये जाने में कोई देरी नहीं हुई है।
- iv. (अ) कंपनी ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए इसका प्रतिनिधित्व किया है, कोई भी फंड जो (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य व्यक्तियों में निवेश करेगा या कंपनी द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचानी गई संस्थाएं (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे:
- (ब) कंपनी ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए इसका प्रतिनिधित्व किया है, कंपनी द्वारा किसी भी विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी फंड जो (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो अन्यथा, कंपनी को चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में किसी भी तरह से फंडिंग पार्टी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) उधार दे या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।
- (स) लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (e) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व जैसा कि (अ) और (ब) में ऊपर दिया गया है में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
- ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
- iii. There is no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. The dividend declared and paid during the year by the Company is in compliance with Section 123 of the Act.

ओम पी माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स की ओर से  
सनदी लेखाकार  
एफ आर एन :-011335C

हस्ता / -  
(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या :-400791

दिनांक:- 05 जुलाई 2022  
स्थान :- जोधपुर

For and on behalf of  
**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants  
F.R.N. 011335C

Sd/-  
Mahesh Kumar Rathi  
Partner  
M. No. 400791

**Date:** 05 July 2022  
**Place:** Jodhpur

## स्वतंत्र लेखा परिक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – अ

(एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया के सदस्यों को हमारे द्वारा संबोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 1 "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुसार)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार हम कह सकते हैं कि

### 1. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संदर्भ में:

(i) (अ) कम्पनी ने स्थायी सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूरी सूचनाएं व उनकी स्थितियों का विवरण लेखा पुस्तकों में रखा है।

(ब) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ii) प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक वर्ष कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। प्रबन्धन द्वारा दी सूचनाओं के आधार पर सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगति नहीं पायी गयी। केवल एक कम्प्यूटर को छोड़कर जिसको रुपये 50000 में खरीदा गया था वह भौतिक सत्यापन के दौरान नहीं पाया गया जिसकी जांच की जा रही है।

(iii) अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्वनिर्मित भवन के संदर्भ में शीर्षक और अन्य सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार हैं और पट्टा समझौतों को पट्टादार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में खुलासा कंपनी के नाम पर तुलन पत्र की तारीख में आयोजित किया जाता है।

(iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। स्थायी सम्पत्तियों पर कम्पनी का स्वामित्व है।

(v) बेमानी संपत्ति लेनदेन (निषेध) 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कंपनी के खिलाफ 31 मार्च, 2022 तक कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए लंबित नहीं है।

(2) (अ) रहतियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल में किया जाता है। किसी भी प्रकार की विसंगति माल के भौतिक सत्यापन एवं लेखों के बीच नहीं पाई

## Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited of even date)

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

### i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

(a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) The Property, Plant and Equipment of the company are physically verified by the Management annually. As per the information given by the Management, no material discrepancies were noticed on such verification except one Computer having Purchase Cost of Rs 50,000 was not found during physical verification as on 31 March 2022. The investigation is under progress.

(c) Based on our examination of the records, we report that, the title in respect of self constructed buildings and title deeds of all other immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee), disclosed in the financial statements included under Property, Plant and Equipment are held in the name of the Company as at the balance sheet date.

(d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.

(e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

ii. (a) The management has conducted the physical verification of inventory at reasonable intervals. No material discrepancies noticed on verification between the physical stocks and book records except inventory valuing Rs 252,326 which had been written off and accordingly dealt in books of accounts..

गई। रु. 252,326 को छोड़कर जो बट्टे खाते में डाल दिया गया था और तदनुसार लेखा पुस्तकों में निपटाया गया था।

(ii) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और यहां धारा (iii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग की गई है। आदेश लागू नहीं है।

(3) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित, असुरक्षित ऋण किसी भी कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म एवं अन्य पक्षों को नहीं दिया है तदनुसार खण्ड 3(iii) (अ)से (द) तथा (क) (ख) तक कम्पनी पर लागू नहीं है, अतः कोई भी टिप्पणी नहीं दी जा रही।

(4) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, विनियोग, प्रतिभू, सुरक्षा किसी को नहीं दी है, अतः आदेश के खण्ड 3(iv) कम्पनी पर लागू नहीं है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(5) कम्पनी ने किसी भी प्रकार की कोई जमाएँ स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश के खण्ड 3(v) के तहत कोई भी टिप्पणी लागू नहीं है।

(6) हमने अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत लागत लेखों के रख रखाव के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और यह राय रखते हैं कि कम्पनी ने अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत कम्पनी लागत लेखा पुस्तकों का उचित रख-रखाव किया है।

(7) वैधानिक बकाया के संबंध में:

(अ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कम्पनी की लेखा पुस्तकों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, माल एवं सेवा कर, अधिशुल्क, उपकर एवं अन्य लागू वैधानिक देयताओं को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाती है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऊपर दिये गये कोई भी सांविधिक देय दिनांक 31 मार्च, 2022 तक छः महीने से अधिक आयकर से संबंधित बकाया नहीं है।

(ब) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार की आयकर, बिक्री कर, माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित राशि बकाया नहीं है।

(8) कम्पनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

iii. The Company has not made investments in, provided any guarantee, or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships during the year, hence reporting under clause 3(iii)(a),(b), (c), (d), (e) and (f) of the Order is not applicable:

iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, The Company has not granted any loans, made any investment and given any guarantees or security, hence reporting under clause 3(iv) of the Order is not applicable.

v. The Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

vi. We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148 of the Act, and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been made and maintained.

vii. In respect of statutory dues:

(a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Goods and Service Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date on when they become payable.

(b) According to information and explanations given to us, there are no dues of income tax, sales tax, goods and service tax outstanding on account of any dispute.

viii. There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or

की गई पूर्व में दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(9) (अ) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से किसी भी प्रकार का कोई ऋण या कोई उधार नहीं लिया है इसलिए आदेश के खण्ड 3 (ix)(a) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(ब) कंपनी किसी भी वित्तीय संस्थान, सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के किसी भी बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(स) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सांघि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सांघि ऋण नहीं है और इसलिए आदेश के खण्ड 3 (ix)(c) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी के समग्र वित्तीय विवरण की जांच के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया था इसलिए खण्ड 3 (ix)(d) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(क) कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और इसलिए खण्ड 3 (ix)(e) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(ख) कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और इसलिए खण्ड 3 (ix)(f) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(10) (अ) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का सार्वजनिक निर्गम, पुनः सार्वजनिक निर्गम एवं ऋण पत्र सहित अन्य ऋण उपबन्धों के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि अर्जित नहीं की गई है, इसलिए आदेश के खण्ड 3(x)(a) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है अतः किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी गई है।

(ब) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों और परिवर्तन डिबेन्चर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से नहीं किया है और इसलिए खण्ड 3 (x)(b) के तहत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

(11) (अ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है।

(ब) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत कोई रिपोर्ट फॉर्म ADT-4 में दायर की गई है, जैसा की कंपनी ऑडिट और ऑडिटर्स नियमों के नियम 13 के तहत निर्धारित किया गया है, 2014 केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक।

disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

ix. (a) The Company has not taken any loans or other borrowings from any lender. Hence reporting under clause 3(ix)(a) of the Order is not applicable.

(b) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.

(d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that no funds were raised on short-term basis and hence, reporting under clause 3(ix)(d) of the Order is not applicable.

(e) The Company does not have any subsidiaries, associate or joint venture and hence, reporting under clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.

(f) The Company does not have any subsidiaries, associate or joint venture and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

x. (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

xi. (a) No fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.



- (18) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (19) नोट 61 में बताए गए वित्तीय अनुपात के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के साथ, वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी निदेशक मण्डल और प्रबन्धन योजनाओं के हमारे ज्ञान और साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करते हुए, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि हम कह सकते हैं कि कंपनी की अपनी भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। जब वे देय हो जाती हैं।
- (20) (अ) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम को अनुसूची vii में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली अन्य तत्कालीन चल रही परियोजनाओं पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई व्यय राशि नहीं है। आदेश के खण्ड 3(xx)(a) के तहत पुनः प्रतिशोध के अनुसार वर्ष के लिए लागू नहीं है। इस मामले का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट 52 में किया गया है।
- (ब) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत कोई राशि अव्ययित नहीं है। किसी भी चल रहे परियोजना मामले के अनुसार वित्तीय विवरण के नोट 52 में खुलासा किया गया है।
- (21) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आदेश के खण्ड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xviii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- xix. On the basis of the financial ratios disclosed in note no.61, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx. (a) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR) on other than ongoing projects requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable for the year. This matter is disclosed in note no. 52 to the financial statements.
- (b) There is no amount remaining unspent under sub-section (5) of Section 135 of the said Act pursuant to any ongoing projects. This matter is disclosed in note no. 52 to the financial statements.
- xxi. The Company is not required to prepare Consolidated Financial Statements and hence reporting under Clause 3(xxi) of the Order is not applicable.

ओम पी माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स  
की ओर से

सनदी लेखाकार

एफ आर एन :- 011335C

(महेश कुमार राठी)

साझेदार

सदस्यता संख्या :-400791

स्थान :- जोधपुर

दिनांक:- 05 जुलाई 2022

For and on behalf of

**Om P. Maheshwari & Associates**

Chartered Accountants

F.R.N. 011335C

Mahesh Kumar Rathi

Partner

M. No. 400791

**Place:** Jodhpur

**Date:** 05 July 2022

**अनुलग्नक-ब**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:**

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर इंडस्ट्रीज पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर पैरा 2 में रिपोर्ट संदर्भित है।

अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उपनिर्देशों पर रिपोर्ट और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।

**I वर्ष 2021-22 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत दिशा-निर्देश:-**

(1) क्या कम्पनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेनदेन को लेखांकित करने की प्रक्रिया है। यदि हां तो आई टी प्रणाली से पृथक, लेखों के हिसाब-किताब के प्रसंस्करण में वित्तीय भार सहित खातों की अखण्डता के विषय में निर्दिष्ट किया जाए।

हां, आई टी प्रणाली से पृथक लेखों के हिसाब किताब के प्रसंस्करण में वित्तीय भार सहित खातों की अखण्डता पर समस्या नहीं है, क्योंकि कम्पनी स्वयं के आई टी प्रणाली के द्वारा लेखों के लेनदेन की उचित प्रणाली रखती है।

(2) क्या लेनदारों द्वारा कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण, कम्पनी को वितरित ऋण, उस पर छूट/ब्याज या ब्याज पर छूट का पुर्नगठन किया गया है ? यदि हां वित्तीय भार को स्पष्ट किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी निर्देश लागू होता है)

वर्ष के दौरान वर्तमान ऋणों अथवा त्यागे गये ऋणों अथवा उस पर ब्याज का लेनदारों द्वारा कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण पुर्नगठन नहीं किया गया है। कम्पनी एक ऋण मुक्त कम्पनी है।

(3) क्या भारत/राज्य सरकार से किसी विशेष स्कीम के लिए प्राप्त धन को उसी स्कीम पर व उन्ही शर्तों के साथ व्यय किया गया ? इस प्रकार के विचलित मामलों की सूची दे।

कम्पनी ने भारत/राज्य सरकार से किसी विशेष स्कीम के अन्तर्गत कोई धन प्राप्त नहीं किया है।

**ANNEXURE "B"**

**TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Referred to in Para 2 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in our Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Ind AS financial statements for the year ended March 31, 2022.

Report on the Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditors General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statement of the Company under Section 143(5) of the Act:

**I. Directions under section 143 (5) of Companies Act 2013 for the year 2021-22.**

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

Yes. There are no implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications thereof, as the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government Company, then directions is also applicable for statutory auditor of lender Company)**

There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan during the year. The company is a debt free company.

3. **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

No funds was received / receivable for specific schemes from Central/ State agencies during the year

**II. वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश**

लेखा पुस्तकों के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत है :

1. निगम कि भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण हो तो बताएं और उसे हटाने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन करें? हमें दिये गये स्पष्टीकरण एवं जानकारियों के आधार पर निगम कि भूमि पर अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।

**III. प्रबंधन पत्र पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणियाँ**

1. वर्ष 2007-08 से देय राशि के लिए आयकर विभाग द्वारा मांग का निपटान वर्ष 2021-22 के दौरान सुनिश्चित किया जाए।  
कंपनी ने वर्ष 2007-08 से देय राशि के लिए आयकर विभाग द्वारा मांग को निपटाने के लिए वर्ष के दौरान 35,060 रु दिए है।
2. रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सांवधि जमा को चालू परिसंपत्तियों/बजाय गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत नियमित करने की आवश्यकता है।  
रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सांवधि जमा को गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत बुक किया जाता है। वित्तीय विवरण का नोट 9 देखें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II द्वारा निर्धारित तुलन पत्र के प्रारूप के अनुसार आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताओं के संबंध में जानकारी को संशोधित करने की आवश्यकता है।  
कंपनी ने वित्तीय विवरण के नोट 45 में इस मामले का खुलासा किया है।
4. लेखापरीक्षक को भुगतान के संबंध में नोट कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार डिवीजन II इंडस्ट्रीज पर मार्गदर्शन के नोट के अनुसार होना चाहिए।  
कंपनी ने वित्तीय विवरण के नोट 42 में इसका खुलासा किया है।

ओम पी माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स  
की ओर से  
सनदी लेखाकार  
एफ आर एन :- 011335C  
(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या :-400791

दिनांक:- 05 जुलाई 2022  
स्थान :- जोधपुर

**II. Sub- Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year 2021-22.**

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information may be supplied:-

1. State the area of land under encroachment, if any and briefly explain the steps taken by the Company to remove the same?

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, there are no cases of encroachment of land.

**III. Comments on Action taken by the Company on Management Letter issued**

1. Settlement of demand by Income Tax Department for an amount payable since 2007-08 may be ensured during the year 2021-22.  
The Company has paid Rs 35,060 during the year to settle demand by Income Tax Department for an amount payable since 2007-08.
2. Fixed Deposits with original maturity of more than 12 Months after reporting date needs to be booked under Non Current Assets instead of Current Assets  
Fixed Deposits with original maturity of more than 12 Months after reporting date are booked under Non Current Assets. Refer note 9 of the Financial Statements
3. Information in respect of "Contingent Liabilities and Commitments" needs to be rectified as per format of Balance Sheet prescribed by Division II of Schedule III of the Companies Act, 2013  
The Company has disclosed the matter in note 45 of the Financial Statements".
4. Note regarding payment to auditors should be in accordance with Guidance Note on Division II – Ind AS Schedule to the Companies Act, 2013.  
The Company has disclosed the matter in note 42 of the Financial Statements".

For and on behalf of  
**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants  
F.R.N. 011335C  
Mahesh Kumar Rathi  
Partner  
M. No. 400791

Date: 05 July 2022  
Place: Jodhpur

### स्वतंत्र लेखा परिक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक –स

(एफ सी आई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया के सदस्यों को हमारे द्वारा संबोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 3(f) "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुसार)

### कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने एफ सी आई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड की 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण वित्तीय रिपोर्ट पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के साथ किया है।

### आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाये रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाये रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करना शामिल है।

### लेखापरीक्षकों का उत्तर दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) एवं ICAI के द्वारा जारी अंकेक्षक प्रमाणों के अन्तर्गत जहां तक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रयोज्यता है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करना हमारा दायित्व है। उन मानकों एवं अनुदेश के टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना को निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई है एवं अनुरक्षित हुई है और क्या ये नियंत्रण सभी भैतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित है।

### ANNEXURE "C" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in Para 3 (f) 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in our Independent Auditor's Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended March 31, 2022.

### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with respect to financial statements of FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LIMITED ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with respect to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with respect to Financial Statement based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with respect to financial Statement was

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आंकलन शामिल होता है, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिस्थितियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रभावित करती है, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्ति एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निवेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं चूक

established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with respect to financial Statement and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with respect to financial Statement included obtaining an understanding of internal financial controls with respect to financial statement, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system with respect to financial statement.

### Meaning of Internal Financial Controls with respect to Financial Statement

A Company's internal financial control with respect to financial statement is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with respect to financial statement includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls with respect to Financial Statement

Because of the inherent limitations of internal financial controls with respect to financial statement, including the possibility of collusion or improper management

का पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मुल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

### अभिमत

हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश के टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित है।

override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with respect to financial Statement to future periods are subject to the risk that the internal financial control with respect to financial statement may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial control with respect to financial statement system and such internal financial controls with respect to financial statement were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control with respect to financial statement criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.”

ओम पी माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स  
की ओर से  
सनदी लेखाकार  
एफ.आर .एन . :- 011335C

हस्ता /-  
(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या :-400791

दिनांक:- 05 जुलाई 2022  
स्थान :- जोधपुर

For and on behalf of  
**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants  
F.R.N. 011335C

Sd/-  
Mahesh Kumar Rathi  
Partner  
M. No. 400791

Date: 05 July 2022  
Place: Jodhpur

ओम पी. माहेश्वरी एवं एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

145, पत्रकार कालोनी  
न्यू टॉवर हाउस के निकट  
जोधपुर-342001, राजस्थान  
फोन : 0291-2641987  
मो. : 9829034021

**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants

145, Patrakar Colony  
Near New Tower House  
Jodhpur-342001, Rajasthan  
Ph. 0291-2641987  
Mob. : 9829034021

### अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में एफ सी आई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर के खातों का अंकेक्षण किया, यह अंकेक्षण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/उपनिर्देशों के अधीन किया गया है। हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों/उप-निर्देशों का पालन किया है।

**ओम पी माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स**  
की ओर से  
सनदी लेखाकार  
एफ आर एन :- 011335C

हस्ता/—  
(महेश कुमार राठी)  
साझेदार

सदस्यता संख्या :-400791

स्थान :- जोधपुर  
दिनांक:- 05 जुलाई 2022

### COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED, JODHPUR for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 in accordance with the directions/ sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub-directions issued to us.

For and on behalf of  
**Om P. Maheshwari & Associates**  
Chartered Accountants  
F.R.N. 011335C

Sd/-  
Mahesh Kumar Rathi  
Partner  
M. No. 400791

Place: Jodhpur  
Date: 05 July 2022

(दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन पत्र)

Balance Sheet as at 31 March 2022

Indian Rupees in Thousands

सम्पत्तियां	ASSETS	Note	31 March 2022	31 March 2021
अचल सम्पत्तियां:-	<b>Non-Current Assets</b>			
सम्पत्ति, संयन्त्र एवं उपकरण	Property, Plant And Equipment	3	228,311	90,076
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	Capital Work-In-Progress	4	66,134	144,704
अन्य अमूर्त सम्पत्तियां	Other Intangible Assets	5	88	176
<b>वित्तीय सम्पत्तियां:-</b>	<b>Financial Assets</b>			
विनियोग	Investments	6	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	7	-	-
ऋण	Loans	8	-	-
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	Other Financial Assets	9	1,891,962	236,163
अस्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	Deferred Tax Assets (Net)	10	12,304	11,892
अन्य अचल सम्पत्तियां	Other Non-Current Assets	11	4,480	21,065
			<b>2,203,279</b>	<b>504,076</b>
<b>चल सम्पत्तियां:-</b>	<b>Current Assets</b>			
रहतिया	Inventories	12	14,074	14,272
वित्तीय सम्पत्तियां:-	Financial Assets			
विनियोग	Investments	13	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	14	15,651	13,832
नकद व नकदी के समकक्ष	Cash and Cash Equivalents	15	8,323	5,591
नकद व नकदी के समकक्ष के अतिरिक्त बैंकों में शेष।	Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents	16	34,017	1,563,323
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	Other Financial Assets	17	334,749	509,490
चल कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	Current Tax Assets (Net)	18	6,200	9,487
अन्य चल सम्पत्तियां	Other Current Assets	19	87,025	71,843
			<b>500,039</b>	<b>2,187,838</b>
<b>कुल सम्पत्तिया</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>2,703,318</b>	<b>2,691,914</b>
<b>अंश एवं दायित्व समता</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
समता अंश	<b>EQUITY</b>			
अन्य अंश	Equity Share Capital	20	500,000	500,000
	Other Equity	21	2,008,172	2,016,090
			<b>2,508,172</b>	<b>2,516,090</b>
<b>दायित्व</b>	<b>LIABILITIES</b>			
अचल दायित्व	Non-Current Liabilities			
वित्तीय दायित्व	Financial Liabilities			
ऋण	Borrowings	22	-	-
पट्टा देनदारियां	Lease Liabilities	23	-	-
व्यापारिक देयताएं	Trade Payables	24	-	-
एम.एस.एम.ई. की देयताएं	-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
एम एस एम ई से भिन्न देयताएं	-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	25	18	18

(दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन पत्र)

Balance Sheet as at 31 March 2022  
Indian Rupees in Thousands

सम्पत्तियां	ASSETS	Note	31 March 2022	31 March 2021
दीर्घ कालीन प्रावधान	Long-Term Provisions	26	-	-
अन्य अचल दायित्व	Other Non-Current Liabilities	27	-	-
			18	18
<b>चल दायित्व</b>	<b>Current Liabilities</b>			
वित्तीय दायित्व	Financial Liabilities			
ऋण	Borrowings	22	-	-
पट्टा देनदारियां	Lease Liabilities	23	-	-
व्यापारिक देयताएं	Trade Payables	28		
एम.एस.एम.ई. की देयताएं	-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		11,814	-
एम एस एम ई से भिन्न देयताएं	-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		26,461	35,454
अन्य वित्तीय देयताएं	Other Financial Liabilities	29	19,851	18,509
अन्य चल दायित्व	Other Current Liabilities	30	122,431	103,718
अल्प कालीन प्रावधान	Short-Term Provisions	31	11,136	11,637
चल कर दायित्व (शुद्ध)	Current Tax Liabilities (Net)	32	3,435	6,488
			<b>195,128</b>	<b>175,806</b>
<b>कुल अंश एवं दायित्व</b>	<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>		<b>2,703,318</b>	<b>2,691,914</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

इसके साथ संलग्न नोट वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग हैं।

The accompanying notes forms an integral part of these Financial Statements.

निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date

For and on behalf of the Board  
of Directors

मै. ओम.पी. माहेश्वरी  
एसोसिएट्स सनदी  
लेखाकार  
एफ आर एन: 011335C

**Om P. Maheshwari  
& Associates**

**FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN:011335C

(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डी.आई.एन:08792652

(अनिल फुलवारी)  
निदेशक  
डी. आई.एन 09367508

(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या: 400791

(Brigadier Amar Singh Rathore)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR  
DIN: 08792652

(Anil Phulwari)  
DIRECTOR  
DIN: 09367508

Mahesh Kumar Rathi  
PARTNER  
M.No. 400791

दिनांक: 05 जुलाई 2022  
स्थान: जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(उर्वशी वर्मा)  
कम्पनी सचिव

DATED : 05 July 2022  
PLACE : Jodhpur

(Rajendra Singh Rathore) (Urvashi Verma)  
Chief Financial Officer Company Secretary

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

Statement of Profit and Loss  
for the Year Ended 31 March 2022

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	Note	31 March 2022	31 March 2021
1. प्रचलन से आय	I Revenue from Operations	33	414,370	378,135
2. अन्य आय	I Other Income	34	133,166	151,436
3. कुल आय	III <b>Total income (I+II)</b>		<b>547,536</b>	<b>529,571</b>
4. व्यय	IV <b>Expenses</b>			
खनन व्यय	Cost of Mining Operations	35	235,855	221,564
प्रयुक्त सामग्री की लागत	Cost of Material Consumed	36	15,232	7,046
तैयार माल की रहतियों में परिवर्तन	Changes in Inventories of Finished Goods	37	1,030	(3)
कर्मचारियों पर व्यय	Employee Benefits Expense	38	65,948	67,318
वित्तीय व्यय	Finance Cost	39	-	-
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	Depreciation and Amortisation Expense	40	6,422	2,568
अन्य व्यय	Other Expenses	41	49,781	55,776
कुल व्यय	<b>Total Expenses</b>		<b>374,268</b>	<b>354,269</b>
5. अपवादिक मद पूर्व लाभ	V <b>Profit Before Exceptional items (III-IV)</b>		<b>173,268</b>	<b>175,302</b>
6. जोड़ / (घटाना): अपवादिक मद आय / (व्यय)	VI Add / (less): Exceptional Item Income / (Expense)	43	(17,539)	6,892
7. कर पूर्व लाभ	VII <b>Profit Before Tax (V+VI)</b>		<b>155,729</b>	<b>182,194</b>
वर्तमान कर	Current Tax		40,725	46,073
अस्थिगत कर	Deferred Tax Charge / (Credit)		(1,135)	1,304
पिछले वर्षों के कर समायोजन	Taxation adjustment of earlier year		206	6
8. कुल कर व्यय	VIII <b>Total Tax Expense</b>		<b>39,796</b>	<b>47,383</b>
9. वर्ष के दौरान लाभ	IX <b>Profit for the year (VII-VIII)</b>		<b>115,933</b>	<b>134,811</b>
10. अन्य विस्तृत आय	X <b>Other Comprehensive Income</b>			
वे मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा	Items that will not be reclassified to profit or loss			
सेवायोजना के पश्चात दायित्वों का वर्गीकरण	Remeasurement of Post Employment Benefit obligations		2,872	5,858
उन मदों पर कर जिन्हें भविष्य में लाभ अथवा हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा	Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		(723)	(1,474)
कर के पश्चात् कुल अन्य विस्तृत आय	<b>Total Other Comprehensive Income, net of Tax</b>		<b>2,149</b>	<b>4,384</b>
11. वर्ष के लिए कुल अन्य विस्तृत आय	XI <b>Total Comprehensive Income for the year (IX+X)</b>		<b>118,082</b>	<b>139,195</b>
प्रति अंश आय	<b>Earnings per Equity Share</b>	50		
प्रति अंश नाममात्र मूल्य रु. 10 पर	Nominal value of Share Rs 10 each			
आधारभूत एवं द्रव्यित	Basic and Diluted		<b>2.32</b>	<b>2.70</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

इसके साथ संलग्न नोट वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग है।

The accompanying notes forms an integral part of these Financial Statements.

निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date

For and on behalf of the Board  
of Directors

मै. ओम.पी. माहेश्वरी  
एसोसिएट्स सनदी  
लेखाकार  
एफ आर एन: 011335C

**Om P. Maheshwari  
& Associates**  
FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN:011335C

**FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited**

(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डी.आई.एन:08792652

(अनिल फुलवारी)  
निदेशक  
डी. आई.एन 09367508

(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या: 400791

(Brigadier Amar Singh Rathore)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR  
DIN: 08792652

(Anil Phulwari)  
DIRECTOR  
DIN: 09367508

Mahesh Kumar Rathi  
PARTNER  
M.No. 400791

दिनांक: 05 जुलाई 2022  
स्थान: जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(उर्वशी वर्मा)  
कम्पनी सचिव

DATED : 05 July 2022  
PLACE : Jodhpur

(Rajendra Singh Rathore) (Urvashi Verma)  
Chief Financial Officer Company Secretary

**समता अंशों में परिवर्तन का विवरण:**
**Statements of Changes in Equity for the year ended 31 March 2022**

Indian Rupees in Thousands

अ. समता अंश पूंजी	A. EQUITY SHARE CAPITAL	
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को शेष	<b>Balance as at 1 April 2020</b>	300,000
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	Restated balance at the beginning of the current reporting period	-
वर्ष के दौरान समता अंशों में परिवर्तन (नोट 20 देखें)	Changes in Equity Share Capital during the year (Refer Note : 20)	200,000
<b>दिनांक 31.3.2021 को शेष</b>	<b>Balance as at 31 March 2021</b>	<b>500,000</b>
दिनांक 01.04.2021 को शेष	Balance as at 1 April 2021	500,000
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	Restated balance at the beginning of the current reporting period	-
वर्ष के दौरान समता अंशों में परिवर्तन (नोट 20 देखें)	Changes in Equity Share Capital during the year (Refer Note : 20)	-
<b>दिनांक 31.03.2022 को शेष</b>	<b>Balance as at 31 March 2022</b>	<b>500,000</b>
<b>ब. अन्य समता</b>	<b>B. OTHER EQUITY</b>	

विवरण	Particulars	सामान्य संचय General Reserve	विकास संचय Development Reserve	अधिशेष संचय Retained Earning	कुल Total
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को शेष	<b>Balance as at 1 April 2020</b>	316,461	1,431,668	453,866	2,201,995
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ	Profit for the year ended 31 March 2021	-	-	134,811	134,811
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष की आय विस्तृत आय	Other Comprehensive Income for the year ended 31 March 2021	-	-	4,384	4,384
<b>वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय</b>	<b>Total Comprehensive Income for the year</b>	-	-	<b>139,195</b>	<b>139,195</b>
सामान्य संचय में हस्तान्तरण	Transfer to General Reserve	13,481	-	(13,481)	-
विकास संचय में हस्तान्तरण	Transfer to Development Reserve	-	-	-	-
बोनस अंशों का निर्गमन (नोट 20 देखें)	Issue of Bonus shares (Refer Note : 20)	(200,000)	-	-	(200,000)
लाभभांश	Dividend Paid during the year	-	-	(125,100)	(125,100)

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	सामान्य संचय General Reserve	विकास संचय Development Reserve	अधिशेष संचय Retained Earning	कुल Total
दिनांक 31.03.2021 को शेष	<b>Balance as at 31 March 2021</b>	<b>129,942</b>	<b>1,431,668</b>	<b>454,480</b>	<b>2,016,090</b>
1 अप्रैल, 2021 को शेष	<b>Balance as at 1 April 2021</b>	129,942	1,431,668	454,480	2,016,090
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ	Profit for the year ended 31 March 2022	-	-	115,933	115,933
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष की अन्य विस्तृत आय	Other Comprehensive Income for the year ended 31 March 2022	-	-	2,149	2,149
<b>वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय</b>	<b>Total Comprehensive Income for the year</b>	-	-	<b>118,082</b>	<b>118,082</b>
सामान्य संचय को हस्तान्तरण	Transfer to General Reserve	11,593	-	(11,593)	-
विकास संचय को हस्तान्तरण	Transfer to Development Reserve	-	-	-	-
बोनस अंशों का निर्गमन (नोट 20 देखें)	Issue of Bonus shares (Refer Note : 20)	-	-	-	-
लाभांश	Dividend Paid during the year	-	-	(126,000)	<b>(126,000)</b>
<b>दिनांक 31.03.2022 को शेष</b>	<b>Balance as at 31 March 2022</b>	<b>141,535</b>	<b>1,431,668</b>	<b>434,969</b>	<b>2,008,172</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

इसके साथ संलग्न नोट वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग हैं।

The accompanying notes forms an integral part of these Financial Statements.

निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date

For and on behalf of the Board  
of Directors

मै. ओम.पी. माहेश्वरी  
एसोसिएट्स सनदी  
लेखाकार  
एफ आर एन: 011335C

**Om P. Maheshwari  
& Associates**  
FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN:011335C

**FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited**

(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डी.आई.एन:08792652

(अनिल फुलवारी)  
निदेशक  
डी. आई.एन 09367508

(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या: 400791

(Brigadier Amar Singh Rathore)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR  
DIN: 08792652

(Anil Phulwari)  
DIRECTOR  
DIN: 09367508

Mahesh Kumar Rathi  
PARTNER  
M.No. 400791

दिनांक: 05 जुलाई 2022  
स्थान: जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(उर्वशी वर्मा)  
कम्पनी सचिव

DATED : 05 July 2022  
PLACE : Jodhpur

(Rajendra Singh Rathore) (Urvashi Verma)  
Chief Financial Officer Company Secretary

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

Cash Flow Statements for the year  
ended 31 March 2022

Indian Rupees in Thousands

विवरण	PARTICULARS	31 March 2022	31 March 2021
प्रचलन क्रियाओं से नकदी प्रवाह	<b>Cash flow from Operating Activities:</b>		
कर पूर्व लाभ	Net Profit Before Tax	155,729	182,194
समायोजनाएं:-	Adjustment for:		
मूल्य ह्रास	Depreciation and Amortization	6,422	2,568
ब्याज से आय	Interest Income	(131,328)	(149,375)
फेगमिल पीएफ ट्रस्ट के निवेश की हानि के लिए प्रावधान	Provision for impairment of Investments of FAGMIL PF trust	13,312	-
उपार्जित सरकारी अनुदान बट्टे खाते में डाला गया	Accrued Government Grant written off	1,063	-
वापस लिए गये अधिक प्रावधान	Excess Provision written back	(8)	(6,892)
एसएसपी परियोजना के लिए विशेष रूप से किया गया व्यय बट्टे खाते में डाला गया	Expenditure incurred exclusively for SSP Project written off	-	3,404
बेची गई सम्पत्तियाँ, संयंत्र एवं उपकरण पर लाभ	Profit on disposal/discarding of property plant and equipment	(99)	(150,668)
<b>चल पूंजी परिवर्तन से पूर्व लाभ</b>	<b>Operating Profit before working capital changes</b>	<b>45,091</b>	<b>31,526</b>
समायोजनाएं:-	Adjustments for:		
रहतियों में (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	198	427
व्यापारिक प्राप्य में (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(1,819)	(11,094)
अन्य वित्तीय सम्पत्तियों में (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	1,341	2,168
अन्य सम्पत्तियों में (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Assets	(13,494)	(17,819)
व्यापारिक देयताओं में (बढ़ोतरी)/कमी	Increase/(Decrease) in Trade Payables	2,821	7,083
अन्य वित्तीय दायित्वों में (बढ़ोतरी)/कमी	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	(79)	(7,057)
अन्य दायित्वों में बढ़ोतरी/कमी	Increase/(Decrease) in Other Liabilities	5,409	(11,393)
अल्पकालीन प्रावधान में (बढ़ोतरी)/कमी	Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	(501)	(36,469)
<b>प्रचलन से प्राप्त नकद</b>	<b>Cash Generated From Operations</b>	<b>38,967</b>	<b>(4,943)</b>
भुगतान किए गए कर	Direct Taxes Paid, net of refunds	(40,697)	(34,285)
<b>संचालन क्रियाओं के उपरान्त शुद्ध आन्तरिक/ (बाह्य) नकद बहाव (अ)</b>	<b>Net Cash In flow/(Outflow) from Operating Activities (A)</b>	<b>(1,730)</b>	<b>(39,228)</b>
<b>विनियोजन क्रियाओं से नकद बहाव</b>	<b>Cash Flow from Investing Activity</b>		
सम्पत्तियों, संयंत्रों, उपकरणों की खरीद, कार्यप्रगति एवं इस पर पूंजीगत अग्रिम	Purchase of property plant and equipment including Capital work in progress and capital advances	(48,162)	(38,385)
सम्पत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय	Proceeds from sale of property, plant and equipment.	389	448
3 महीने से अधिक की जमाओं पर प्राप्त ब्याज	Deposits having original maturity more than 3 months	37,283	62,092
प्राप्त ब्याज	Interest Received	140,952	158,869

Cash Flow Statements for the year ended 31 March 2022

Indian Rupees in Thousands

विवरण	PARTICULARS	31 March 2022	31 March 2021
विनियोजन क्रियाओं के उपरान्त आन्तरिक एवं (बाह्य) रोकड़ बहाव (ब)	<b>Net Cash In flow/(Outflow) from Investing Activities (B)</b>	130,462	158,869
वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ बहाव	<b>Cash Flow from Financing Activities</b>		
लाभांश	Dividend Paid	(126,000)	(125,100)
वित्तीय क्रियाओं के उपरान्त आन्तरिक एवं (बाह्य) रोकड़ बहाव (स)	<b>Net Cash In flow/(Outflow) from Financing Activities (C)</b>	<b>(126,000)</b>	<b>(125,100)</b>
नकदी एवं नकदी के समकक्ष में बढ़ोतरी / (कमी) (अ. ब. स)	<b>Net Increase/Decrease(-) in Cash and Cash Equivalent (A+B+C)</b>	<b>2,732</b>	<b>(5,459)</b>
दिनांक 1 अप्रैल, को नकदी एवं नकदी के समकक्ष	Cash and Cash Equivalents as at 1 April	5,591	11,050
दिनांक 31 मार्च, को नकदी एवं नकदी के समकक्ष	Cash and Cash Equivalents as at 31 March	8,323	5,591
<b>नकदी एवं समकक्ष के घटक:-</b>	<b>Components of Cash and Cash Equivalents</b>		
हाथ में नकदी	Cash on hand	63	74
हाथ में चेक / ड्राफ्ट	Cheques, Drafts in hand	75	120
बैंक जमा	Balance with Banks in Current Accounts	8,185	5,397
		<b>8,323</b>	<b>5,591</b>

नोट:

- इण्डियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड-7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है, जिससे संचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं से प्राप्त नकद को शामिल किया गया है।
- ब्रैकेट से दिखाई गई गणना क्रमिकों को दर्शाता है
- जहां भी आवश्यकता हुई है पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकड़ों से समरूपता लाने के लिए, पुर्नगठित किया गया है।

Note :

- The Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Indian Accounting Standard (Ind AS) 7 on Cash Flow Statement and presents cash flows by operating, investing and financing activities.
- Figures in the Bracket are outflows / deductions.
- Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make it comparable to the current year presentation.

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Significant Accounting Policies

2

इसके साथ संलग्न नोट वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग है।

The accompanying notes forms an integral part of these Financial Statements.

निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date

For and on behalf of the Board of Directors

मै. ओम.पी. माहेश्वरी  
एसोसिएट्स ससनदी  
लेखाकार  
एफ आर एन: 011335C

**Om P. Maheshwari**  
& Associates  
FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN:011335C

FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited

(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डी.आई.एन:08792652

(अनिल फुलवारी)  
निदेशक  
डी.आई.एन 09367508

(महेश कुमार राठी)  
साझेदार  
सदस्यता संख्या: 400791

(Brigadier Amar Singh Rathore)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR  
DIN: 08792652

(Anil Phulwari)  
DIRECTOR  
DIN: 09367508

Mahesh Kumar Rathi  
PARTNER  
M.No. 400791

दिनांक: 05 जुलाई 2022  
स्थान: जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(जर्वशी वर्मा)  
कम्पनी सचिव

DATED : 05 July 2022  
PLACE : Jodhpur

(Rajendra Singh Rathore) (Urvashi Verma)  
Chief Financial Officer Company Secretary

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरण के नोट्स

FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2022

## 1. कम्पनी के विषय में सूचनाएं:—

एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड भारत स्थित एक सरकारी उपक्रम है जिसका समामेलन भारत में कम्पनी अधिनियम-1956 के अनुसार किया गया था। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। कम्पनी प्राकृतिक जिप्सम का खनन करने वाली एक अग्रणी कम्पनी है। 05 जुलाई, 2022 को निदेशको के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा और इसके शेरधारकों द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन हैं।

## 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

### 2.1. तैयारी का आधार

#### 2.1.1. अनुपालनाओं का विवरण:—

कम्पनी के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 133 के अनुसार Companies(IndAS) Rul मे. 2015 अन्तर्गत निर्गमित IndAS के प्रावधानों के अनुरूप एक चालू कम्पनी के रूप में प्रोद्भव लेखा प्रकृति के आधार तैयार किया गया है।

#### 2.1.2. तैयारी का आधार

परिभाषित लाभ योजनाओं को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पर तैयार किया गया है। परिभाषित लाभ योजनाओं को उचित मूल्य आधार पर मापा गया है।

उन स्थानों पर जहां लेखांकन परिमाण को प्रथम बार अपनाया गया अथवा वर्तमान के लेखांकन परिमाण में जहां संशोधन की आवश्यकता को छोड़कर लेखांकन नीतियों का नियमित रूप से पालन किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये में बनाया गया है जो कि कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है, जिसमें कम्पनी संचालित होती है। अंश एवं प्रति अंश कीमत को छोड़कर सभी वित्तीय सूचनाओं को रुपये की निकटतम हजार तक कर दर्शाया गया है।

#### 2.1.3. अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस मान्यता को माना गया है कि प्रबंधन ने कम्पनी की आय-व्यय, सम्पत्तियों-दायित्वों प्रकटीकरण एवं तुलन पत्र की तिथि पर आवश्यक संदिग्ध

## 1 Corporate information

FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited ("the Company") is a Government company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. The registered office of the Company is located at Jodhpur, Rajasthan, India. The Company is one of India's leading companies engaged in the mining and selling of Gypsum. The financial statements were authorized for issue in accordance with a resolution of the directors on 05 July 2022. The financial statements as approved by the Board of Directors are subject to audit by Comptroller and Auditor General of India and final approval by its Shareholders.

## 2 Significant accounting policies

### 2.1 Basis of preparation

#### 2.1.1 Statement of compliance

The financial statements have been prepared on accrual basis, as a going concern, comply in all material aspects with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (as amended) and other relevant provisions of the Act.

#### 2.1.2 Basis of preparation

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for defined benefit plans where plan assets measured at fair value.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly-issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The financial statements are presented in Indian rupees, which is the functional currency of the Company and the currency of the primary economic environment in which the entity operates. All financial information presented in Indian rupees has been rounded to the nearest thousands except share and per share data.

#### 2.1.3 Use of estimates

The preparation of the Company's financial

प्रकटीकरण के सम्बन्ध में सही निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएं को अंगीकृत किया है। यदि इन निर्णयों, अनुमानों, एवं मान्यताओं में अनिश्चितता होती है तो भविष्य में ले जाने वाली सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में बड़ी समायोजनाएं की जा सकती है। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन को तभी मान्यता दी जाती है जब उसे वर्तमान में अथवा भविष्य में संशोधित किया जाता है। महत्वपूर्ण निर्णयों एवं मान्यताओं के कुछ भाग जिनको प्रयोग में लिया गया है नोट संख्या 2.1.4 में दर्शाया गया है।

#### 2.1.4. मान्यताओं एवं अनुमानों में अनिश्चितता

जिन मान्यताओं एवं अनुमानों के सम्बन्ध में अनिश्चितताएं होती हैं एवं जिसमें महत्वपूर्ण जोखिम होता है उनसे सम्बन्धित समायोजनाएं अगले वर्ष निम्न नोट्स में शामिल की जाती हैं:-

##### अ. कर व्यय:-

अस्थगित कर सम्पत्तियों को उस सीमा तक उपलब्ध कर योग्य लाभ के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है, जिस सीमा तक स्थगित कर सम्पत्तियों को अप्रयुक्त कर क्रेडिट की तरह मान्यता दी जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की राशि निर्धारण करने में महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय निर्णयों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर इसको मान्यता दी जाती है। यह संभावित समय एवं भविष्य की कर योग्य राशि के साथ भविष्य की कर योजनाओं पर आधारित होता है।

##### ब. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ योजनाओं का मापन:-

परिभाषित लाभ योजनाएं (उपादान एवं छुट्टियों का नकदीकरण) की लागत एवं वर्तमान देयताओं का मूल्य निर्धारण बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकन मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल की जाती हैं जो भविष्य में वास्तविकताओं से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में परिश्रमिक में बढ़ोतरी एवं मृत्यु दर शामिल होती हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं, इसकी दीर्घकालीन प्रकृति एवं मान्यताओं में बदलाव के कारण परिभाषित लाभ दायित्व अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक मान्यताओं की रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है। छूट की दर सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है। तुलन पत्र की तिथि पर सरकारी ऋणपत्र पर आय की दर के अनुसार छूट की दर का निर्धारण किया जाता है। मृत्यु की दर का निर्धारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तालिकाओं के आधार पर किया जाता है। कम्पनी में भविष्य की वेतन वृद्धि को पिछले रुझानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities as at the Balance Sheet date. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods. Any revisions to the accounting estimates are recognized prospectively when revised, in current and future periods. Some of the significant judgements and assumptions exercised are given in Note no 2.1.4

#### 2.1.4 Assumptions and estimation uncertainties:

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment within the next financial year are included in the following notes.

##### a Tax expenses :

Deferred tax assets are recognised for unused tax credits to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which it can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

##### b Measurement of employee defined benefit obligations:

The cost of the defined benefit gratuity and leave encashment and the present value of the obligation are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date. The parameter most subject to change is the discount rate. Discount rate has been determined by reference to market yields on the government bonds as at the balance sheet date. The mortality rate is based on publicly available mortality tables. Future salary increases is based on Company's assessment based on past trends.

**स. सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण:-**

आवधिक मूल्यहास के संबंध में प्रभार किसी सम्पत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन का अनुमान और उसके जीवन के अंत में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित करने के बाद प्राप्त होता है। कम्पनी के सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण प्रबन्धन द्वारा सम्पत्तियों को क्रय करते समय किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में सम्पत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और इसके उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें समायोजित किया जाता है। सम्पत्तियों का जीवन घटनाओं के साथ भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा एवं ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होता है जो इसके जीवन को प्रभावित कर सकता है जैसे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन।

**द. अप्रचलन के लिए प्रावधान**

अप्रचलित/अधिशेष के प्रावधान को इस अनुमान के साथ प्रबन्धन द्वारा मान्यता दी जाती है कि वे निपटान पर अपने पुस्तक मूल्य का 10% प्राप्त कर सकते हैं।

**2.2. चल, अचल वर्गीकरण**

कम्पनी की सम्पत्तियों एवं देनदारियों को तुलन पत्र में चल अथवा अचल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सम्पत्तियों को उस समय चल माना जाता है जब कि उन्हें:-

- सामान्य व्यापार चक्र में वसूल किये जाने, बेचे जाने अथवा उपभोग में समाप्त हो जाने की संभावना हो।
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा हो।
- रिपोर्टिंग पीरियड के पश्चात 12 महीने के अंदर वसूल होने की संभावना हो।
- नकदी अथवा नकदी के समकक्ष जब तक कि वो नकदी रिपोर्टिंग अवधि के उपरान्त कम से कम बारह महीनों से अधिक किसी देयता को निपटान करने के लिए प्रयोग में न लिया जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी सम्पत्तियों को अचल सम्पत्ति माना गया है।

सम्पत्तियों का वर्गीकरण चल अथवा अचल आधार पर उस सम्पत्ति के रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के अंदर वसूल हो जाने के मानदण्ड को लागू करते हुए बनाया गया है।

दायित्वों को उस समय चल माना जाता है जब कि:-

- जबकि उन्हें सामान्य संचालन अवधि में निपटाने की आशा हो।
- वह मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अन्दर निपटान किया जाना हो।

**c Property, plant and equipment:**

The charge in respect of periodic depreciation is derived after determining an estimate of an asset's expected useful life and the expected residual value at the end of its life. The useful lives and residual values of Company's assets are determined by management at the time the asset is acquired. The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period. The lives are based on historical experience with similar assets as well as anticipation of future events, which may impact their life, such as changes in technology.

**d Provision for obsolescence**

Provision towards obsolete/surplus inventory are recognized as per management estimates under the assumption that they may fetch 10% of their book value upon disposal.

**2.2 Current versus non-current classification**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset as current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

The classification of an asset either current or non-current has been made applying the criteria of realization of such assets within a period of 12 months after the reporting date.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle.
- It is held primarily for the purpose of trading.
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the

- रिपोर्टिंग अवधि से कम से कम 12 महीने के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने की कोई शर्त न हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्पनी अपनी सभी देयताओं को अचल दायित्व मानती है।

### 2.3. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:—

फ्रीहोल्ड भूमि का ऐतिहासिक लागत के अनुसार लेखा किया गया है। अन्य सभी सम्पत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों का लेखा मूल्य ह्रास हटाकर दिखाया गया है। इसकी कीमत में क्रय की लागत व कर व इसको कार्यशील स्थिति में लाने में किये गये अन्य व्यय भी शामिल होते हैं। उसके उपरान्त लागतों को परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है अथवा एक अलग सम्पत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। यह तभी किया जाता है जब कि सम्पत्ति से भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद हो जिससे उसकी कीमत को सही रूप में मापा जा सके।

**रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रविष्ट किया जाता है।**

मूल्य ह्रास के तरीके, उपयोगी जीवन व अवशिष्ट मूल्य:— कम्पनी अधिनियम-2013 की अनुसूची-11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट मूल्यह्रास की गणना सम्पत्ति की लागत, उपयोगी जीवन व उसकी अवशिष्ट मूल्य के अनुसार सीधी दरों से की जाती है। दिनांक 31.03.2014 तक, कार्यशालाओं एवं संयंत्रों पर मूल्यह्रास की गणना उसकी लागत के 95% तक व भूमि को छोड़कर अन्य संयंत्रों पर एक रुपये छोड़कर 100% तक की जाती थी। हालांकि उसके पश्चात् भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की सम्पत्ति, संयंत्रों एवं उपकरणों पर मूल्य ह्रास की गणना 5% अवशिष्ट मूल्य छोड़कर 95% तक की जाने लगी।

जिस सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरणों की कुल कीमत रु. 5000 तक की होती है उस पर एक रुपये छोड़कर उसी प्राप्त करने के वर्ष में सम्पूर्ण रूप से मूल्य ह्रासित कर दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन व अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें समायोजित किया जाता है। सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ अथवा हानि की गणना उससे प्राप्त आय के अनुसार की जाती है। इस राशि को अन्य आय में लाभ अथवा हानि के साथ शामिल किया जाता है।

### पूँजीगत चालू कार्य:—

पूँजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उस पर होने वाली आय से सम्बन्धित व्यय को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया जाता है। पूँजीगत परियोजनाओं के निर्माण के उपरान्त उसको सम्पत्ति, संयंत्र अथवा उपकरणों के शीर्षक में उचित रूप से रखा जाता है।

settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

### 2.3 Property, plant and equipment

Freehold land is carried at historical cost. All other items of property, plant and equipment are stated at cost less depreciation. The cost comprises its purchase price net of recoverable taxes, and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

#### Depreciation methods, estimated useful lives and residual value

Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate their cost, net of their residual values, over their estimated useful lives which are aligned to useful life specified under Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation is provided upto 95% of the cost of Plant and Machinery and 100% in respect of other assets except for land retaining a balance of Re 1 upto 31 March 2014. Thereafter, Property, Plant and Equipment except for Land are depreciated upto 95% keeping residual value of 5%. Depreciation on Property, Plant and Equipment whose actual cost does not exceed five thousand rupees, are provided at the rate of 100% and residual value of Rupee one is retained. The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in profit or loss with in other Income.

#### Capital Work in Progress

Expenditure related to and incurred during implementation of capital projects to get the assets ready for intended use is included under "Capital Work in Progress". The same is allocated to the respective items of property plant and equipment on completion of construction / erection of the capital project/ property plant and equipment.

## 2.4. अमूर्त सम्पत्तियां

अमूर्त सम्पत्तियों को मूर्त सम्पत्तियों से अलग उसकी लागत से अवशिष्ट मूल्य घटाकर दिखाया जाता है। अमूर्त सम्पत्तियों की कीमत में इसका क्रय मूल्य व इसको उपयोग में लाने तक के कुल व्यय शामिल होते हैं। कम्पनी में अनन्त उपयोगी जीवन की कोई अमूर्त सम्पत्ति नहीं है। अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास की गणना कम्पनी में उसकी उपलब्धता के दिन से उसकी अनुमानित जीवन तक अनुपातिक रूप से सीधी दरों से किया जाता है। कम्पनी के प्रबन्धन ने साफ्टवेयर एप्लीकेशन का अनुमानित उपयोगी जीवन दस वर्ष माना है। सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ अथवा हानि की गणना उससे प्राप्त आय के अनुसार की जाती है। इस राशि को अन्य आय में लाभ अथवा हानि के साथ शामिल किया जाता है।

## 2.5. वित्तीय प्रपत्र:-

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिसमें किसी इकाई की वित्तीय सम्पत्तियां अथवा देयताओं को या अन्य संस्था के इक्विटी को जन्म देता है।

### वित्तीय सम्पत्तियों की लागत व माप

सभी वित्तीय सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। हालांकि जहां पर लाभ/हानि के द्वारा वित्तीय सम्पत्तियों को उचित मूल्य पर नहीं निर्धारित किया जाता, वहां पर वित्तीय सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए दी गई लागत को वित्तीय सम्पत्तियों की लागत माना जाता है एवं उसको वित्तीय सम्पत्तियों में जोड़ा जाता है।

### तदुपरान्त मूल्य निर्धारण:-

वित्तीय सम्पत्तियों का बाद में लागत निर्धारण, कम्पनी के परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन के व्यापार मॉडल व परिसम्पत्तियों के नकद प्रवाह की विशेषताओं पर निर्भर करता है। कुल तीन प्रकार की परिसम्पत्तियां हैं जिनके आधार पर कम्पनी अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों को वर्गीकृत करती है।

**परिशोधित मूल्य:-** जो सम्पत्तियां नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती है एवं उन नकदी में मूलधन व उसपर ब्याज शामिल होते हैं उन सम्पत्तियों को परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है।

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य:-** जो सम्पत्तियां नकद प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती है एवं उन सम्पत्तियों के विक्रय पर जहां मूलधन व ब्याज की वापसी होती है उन सम्पत्तियों का मूल्यांकन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

## 2.4 Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost, net of recoverable taxes. The cost of intangible assets comprises its purchase price, and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for the intended use. The Company has no intangible assets with infinite useful lives. Amortization of Intangible assets (i.e. software applications) having finite useful lives are amortized over their respective individual estimated useful lives on a STRAIGHT-LINE BASIS, prorata from the date the asset is available to the Company for its use. Management estimates the useful life of software applications identified as intangible assets as ten years. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.

## 2.5 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

### Financial assets Initial recognition and measurement

All financial assets are recognized initially at fair value. However in case of financial assets that are not recorded at fair value through profit or loss; the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of issue of such financial assets are added to the value of the financial assets.

### Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its financial assets:

**Amortised cost:** Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost.

**Fair value through other comprehensive income (FVOCI):** Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial

**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य:-** जो सम्पत्तियां ऊपर के दोनों मानदण्डों को पूरा नहीं करती उन्हें लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

**मान्यता न देना:**

कम्पनी वित्तीय सम्पत्तियों को तब मान्यता देना बंद कर देती है जब उन सम्पत्तियों से अनुबन्धात्मक नकदी प्रवाह समाप्त हो जाते हैं अथवा कम्पनी वित्तीय सम्पत्तियों को उसके सभी जोखिमों व पुरस्कारों सहित पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कर देती है।

**वित्तीय देनदारियां**

**प्रारम्भिक मान्यता एवं माप:-**

वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां शामिल होती हैं जिसे कि शुरुआत में उचित मूल्य पर मापा जाता है तदुपरान्त प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर आंका जाता है।

**मान्यता न देना:-**

वित्तीय दायित्वों को उस समय मान्यता देना बंद कर दिया जाता है जब कि उसके दायित्वों का निर्वहन अथवा रद्द अथवा समाप्त कर दिया जाता है।

**2.6. हानियां:-**

**अ. वित्तीय सम्पत्तियां**

कम्पनी मूल वित्तीय सम्पत्तियों से जुड़े हुए भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में रखकर वित्तीय सम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य पर निर्धारण करती है। लागू की गई विकृति पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं इसका विवरण नोट संख्या 46 में दिया गया है।

केवल व्यापारिक प्राप्ति के लिए कम्पनी वित्तीय प्रपत्रों पर जारी Ind.A.S 109 के नियम के अन्तर्गत सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है जिसमें सम्पत्तियों के सम्पूर्ण जीवनकाल में होने वाली नुकसान को प्राप्तियों को प्रारम्भिक काल से ही मान्यता दी जाती है।

**ब. गैर वित्तीय सम्पत्तियां:-**

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या इस बात के प्रमाण हैं कि गैर वित्तीय सम्पत्तियों में अथवा इसके समूह में क्षीणता आयी हैं। यदि ऐसा कोई संकेत है तो कम्पनी के नुकसान का आंकलन, हानि की गणना, परिसम्पत्ति

assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

**Fair value through profit or loss (FVTPL):** Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss.

**Derecognition**

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset.

**Financial liabilities**

**Initial recognition and measurement**

Financial liabilities at amortized cost represented by trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method.

**Derecognition**

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

**2.6 Impairment**

**a. Financial assets**

The Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. Note 46 details how the Company determines whether there has been a significant increase in credit risk. For trade receivables only, the Company applies the simplified approach permitted by Ind AS 109 Financial Instruments, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.

**b. Non-financial assets**

The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a non financial asset or a group of non financial assets is impaired. If any such indication exists, the Company estimates the amount of impairment loss. An impairment loss is calculated as the difference

की वहन राशि एवं वसूली योग्य राशि के अंतर के रूप में की जाती है।

हानि को लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है एवं भत्ते खाते में परिलक्षित होता है। जब कम्पनी यह मानती है कि परिसम्पत्ति की कोई वास्तविक वसूली की संभावनाएं नहीं हैं तो सम्बन्धित राशि को खारिज कर दिया जाता है। यदि बाद में हानि की मात्रा कम हो जाती है एवं खारिज की गई राशि से सम्बन्धित होती है तो पहले से मान्यता प्राप्त हानि, लाभ या हानि खाते में उलट दी जाती है।

परिसम्पत्तियों से वसूली योग्य राशि अथवा नकदी उत्पादक इकाई (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) इसके उपयोगी अथवा इसकी उचित कीमत इसकी बेचने की कीमत से अधिक होती है। उपयोग के लागत के निर्धारण में भविष्य में उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह को छूट की दर से समायोजित करते हुए उन्हें वर्तमान मूल्य के बराबर के बराबर लाया जाता है। इस तरह से प्राप्त मूल्य परिसम्पत्तियों से जुड़े जोखिमों सहित सम्पत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाता है। इस तरह हानि परिक्षण के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों को सम्पत्ति के छोटे समूह में एक साथ रखा जाता है जो निरन्तर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है एवं अन्य सम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

## 2.7. ग्राहकों से साथ अनुबंध से आय:-

Ind.A.S 115, ग्राहकों के अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच चरणों वाला मॉडल स्थापित करता है। इसके अन्तर्गत राजस्व की उस राशि को मान्यता दी जाती है, जबकि ग्राहकों को माल व सेवायें स्थानान्तरित की जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप, राजस्व के उस राशि को जिसके बदले माल अथवा सेवा में हस्तान्तरित किया जाना है, उस समय मान्यता दी जाती है जब माल अथवा सेवा का नियन्त्रण ग्राहकों के पास हो जाता है। कम्पनी अपने ग्राहकों को जिप्सम बेच कर मुख्यतः राजस्व प्राप्त करती है। ग्राहकों को माल का नियन्त्रण प्राप्त होने पर कम्पनी बीजक उत्पन्न करती है। विक्रय मूल्य से सम्बन्धित वर्तमान अनुबन्ध में सुधार को मूल अनुबंध ही समझा जाता है न कि कोई अलग अनुबंध होता है। मात्रात्मक छूट, मूल्य निर्धारण प्रोत्साहन और अन्य चर छूटें राजस्व से कम की जाती है।

**स्क़्रैप/अपशिष्ट पदार्थों की प्राप्त बिक्री से प्राप्त आय को उपर्युक्त पदार्थों के निपटान पर मान्यता दी जाती है।**

### ब्याज की आय:-

ब्याज से उत्पन्न आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए उस समय मान्यता दी जाती है जब कि वह लाभ-हानि खाते में अर्जित होती है।

between an asset's carrying amount and recoverable amount. Losses are recognised in profit or loss and reflected in an allowance account. When the Company considers that there are no realistic prospects of recovery of the asset, the relevant amounts are written off. If the amount of impairment loss subsequently decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, then the previously recognised impairment loss is reversed through profit or loss. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit (as defined below) is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For the purpose of impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups of assets (the "cash-generating unit").

## 2.7 Revenue from contract with customers

Ind AS 115 establishes a five step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under Ind AS 115 revenue is recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled for transferring goods or services to a customer. Consequent to the same revenue is recognized upon transfer of control of promised products to customers in an amount that reflects the consideration expected to be received in exchange for those product. The Company derives revenues primarily from the business of sale of Gypsum to its customers, where upon transfer of control, invoices are raised upon completion of sale. Modification in contracts with reference to price are considered as part of the existing contract and not as separate contract. Volume discounts pricing incentives and other variable rebates are reduced from revenue.

**Sale of scrap/ waste materials is recognized on disposal.**

### Interest Income

Interest income is recognized as it accrues in the statement of profit and loss, using the effective interest method.

## 2.8. आयकर

आयकर में वर्तमान व अस्थगित आय कर शामिल होते हैं। आयकर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से सम्बन्धित है। यदि ऐसा होता है तो इसे अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। वर्तमान और पूर्व की अवधि के वर्तमान आयकर को उस राशि पर मान्यता दी जाती है जो कर अधिकारियों द्वारा भुगतान की गई या वसूल की गई राशि का निर्धारण, कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो तुलनपत्र तिथि द्वारा अधिनियमित किये जाते हैं।

सभी कर आधार वाली सम्पत्तियों एवं दायित्वों और वित्तीय विवरण में ले जायी जाने वाली राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी अस्थायी अन्तरों के लिए आस्थगित आयकर सम्पत्तियों एवं दायित्वों को मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर सम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक कम कर दिया जाता है जब कि प्राप्ति हो जायेगी।

आस्थगित आयकर सम्पत्तियों और देनदारियों को तुलनपत्र भी तारीख पर अधिनियमित किये गये कानून के द्वारा कर की दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है एवं उन वर्षों में कर योग्य आय पर लागू होने उम्मीद की जाती है जिसमें उन अस्थायी अंतरों को वसूलने की उम्मीद की जाती है।

आस्थगित आय कर सम्पत्तियों एवं देनदारियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को आय अथवा व्यय के रूप में उस अवधि में मान्यता दी जाती है अधिनियमित अथवा मूल अधिनियमन की तारीख शामिल होती है। एक आस्थगित आयकर सम्पत्ति को इस हद तक मान्यता दी जाती है जब कि यह संभावना होती है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उत्पन्न होना जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। जहां पर इसे कानूनी रूप से लागू करने अथवा शुद्ध आधार पर समायोजित करने अथवा सम्पत्तियों को वसूल करने या दायित्वों को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त होता है, वहां कम्पनी वर्तमान कर सम्पत्तियों एवं वर्तमान कर दायित्वों को बंद कर देती है।

## 2.9. रहतियां

पैकेजिंग सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर्स को भारित औसत लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों को जो कम हो पर बताया जाता है। रहतियों की लागत में खरीद की लागत व वे सभी लागत शामिल होती है जिसमें की माल वर्तमान स्थान तक जाया जाता है। इसमें छूट शामिल नहीं होती है। व्यापार की सामान्य दशाओं में प्राप्त विक्रय राशि में से अनुमानित लागत कम करके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

## 2.8 Income taxes

Income tax comprises current and deferred income tax. Income tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case it is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively. Current income tax for current and prior periods is recognized at the amount expected to be paid to or recovered from the tax authorities, using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred income tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

Deferred income tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date and are expected to apply to taxable income in the years in which those temporary differences are expected to be recovered or settled.

The effect of changes in tax rates on deferred income tax assets and liabilities is recognized as income or expense in the period that includes the enactment or the substantive enactment date. A deferred income tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized. The Company offsets current tax assets and current tax liabilities, where it has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and where it intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

## 2.9 Inventories

Packaging materials and stores and spares are stated at the lower of weighted average cost and net realisable value. Cost of inventories comprises cost of purchase and also includes all other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition after deducting rebates and discounts. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

अप्रचलित/अधिशेष/गैर चलती वस्तुओं के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाता है एवं राजस्व में डाला जाता है।

तैयार माल को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों में जो कम हो पर मापा जाता है।

तीसरे पक्ष के पास रखी हुई रहतियों को उनकी पुष्टि के अनुसार लिया जाता है।

भौतिक सत्यापन से उत्पन्न होने वाली पैकिंग सामग्री, स्टोर और पुर्जों एवं तैयार स्टॉक की कमी एवं अधिकता को खपत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

## 2.10. प्रति अंश आय

### अ. प्रति अंश आधारभूत आय

प्रति अंश आय की निम्न तरीके से गणना की जाती है:-

- मालिकों को उपलब्ध लाभ
- वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया समता अंशों की भारत औसत संख्या

### ब. प्रति अंश द्रव्यित आय

प्रति अंश आधारभूत आय में निम्न समायोजनाएं की जाती हैं:-

- आयकर के पश्चात् संभावित समता अंश से जुड़े ब्याज एवं अन्य वित्तीय लागत
- सभी बकाया संभावित समता अंशों की भारत औसत संख्या

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर की संख्या पूर्वव्यापी रूप से समायोजित की जाती है।

## 2.11 पट्टा

### एक पट्टा धारक के रूप में:-

कम्पनी ने पट्टों के लिए अधिसूचित लेखा मानक 17 के स्थान पर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक-116 (1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी) को अपनाया है। ये भारतीय लेखा मानक दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से कम्पनी के सभी मौजूदा पट्टों पर लागू है।

कम्पनी पट्टे पर ली गई सम्पत्ति के लिए पट्टेदार के रूप में अनुबंध करती है। अनुबंध करते समय कम्पनी यह आंकलन करती है कि क्या अनुबंध में विचार की गई सम्पत्ति के बदले,

In case of identified Obsolete/Surplus/Non-moving items necessary provision is made and charged to revenue.

Finished goods are valued at lower of cost and net realizable value.

Inventories lying with third parties are taken as per third party confirmation.

Shortages/Excesses of Packing materials, stores and spares and finished stock arising from physical verification are charged/adjusted to consumption/production.

## 2.10 Earnings per equity share

### (a) Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing:

- the profit attributable to owners of the Company
- by the weighted average number of equity shares outstanding during the financial year.

### (b) Diluted earnings per share

Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic earnings per share to take into account:

- the after income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive potential equity shares, and
- the weighted average number of additional equity shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential equity shares.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any bonus shares issued during the financial year.

## 2.11 Leases

### Company as a lessee

Effective from 1 April 2019 (date of initial application), the Company has adopted the Indian Accounting Standard 116 on Leases ('Ind AS 116'), notified by the Ministry of Corporate Affairs, which replaces the existing lease standard Indian Accounting Standard 17 on Leases ('Ind AS 17'). The Company has applied the standard to all lease contracts existing on 1 April 2019.

The Company enters into contract as a lessee for assets taken on lease. The Company at the inception of a contract assesses whether the

किसी निश्चित अवधि के लिए, किसी अन्य सम्पत्ति के उपयोग को नियन्त्रित करने का अधिकार है। बारह महीने या उससे कम अथवा कम मूल्य के पट्टों, जिसे कि पट्टों की अवधि से अधिक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में माना जाता है, किसी अन्तर्निहित सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार पट्टा प्रारम्भ होने की तारीख से पट्टे की अवधि तक उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त होता है। कम्पनी ने लेखा मानक-116 की आवश्यकताओं को उन सभी अल्पकालिक पट्टों पर लागू नहीं किये हैं जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने अथवा उससे कम है अथवा ऐसे पट्टे जिनके लिए अन्तर्निहित सम्पत्ति कम मूल्य की है।

#### एक पट्टेदार के रूप में:-

कम्पनी में कोई भी सम्पत्ति नहीं है जो पट्टे पर दी जाये। कम्पनी ने वर्ष के दौरान पट्टे पर ली गई सम्पत्ति को किसी अन्य को लीज पर नहीं दिया है।

### 2.12. खण्डित रिपोर्टिंग

वर्ष के दौरान कम्पनी ने केवल जिप्सम एवं विक्रय का ही कार्य किया है। अतः कम्पनी के व्यवसाय के स्वभाव व मुख्य संचालन अधिकारी के संसाधन आवंटन या प्रदर्शन माप के निर्णय को देखते हुए सिर्फ एक खण्ड अर्थात् भारतीय लेखा मानक 108 (संचालन खण्ड) में रिपोर्टिंग की गई है।

### 2.13. कर्मचारी लाभ

#### अ. अल्पकालीन कर्मचारी लाभ:-

सभी कर्मचारी लाभों जिन्हें 12 महीने के अन्दर भुगतान किया जाता है उसे अल्पकालीन कर्मचारी लाभ के अन्तर्गत उस समय वर्गीकृत किया जाता है जिस समय सेवा दी गई हो। कम्पनी प्रदान की गई सेवाओं के बदले में पहले से भुगतान की गई राशि के कटौती के बाद शेष राशि को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के अंतर्गत मान्यता देती है।

#### ब. सेवानिवृत्त, सेवा समाप्ति एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

##### पेंशन स्कीम

पेंशन योजना के भुगतान को एक खर्च के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है। कम्पनी द्वारा पेंशन स्कीम में देय राशि को लाभ-हानि खाते से प्रोद्धभव के आधार पर डाला जाता है।

contract contains a lease by conveying the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. A Right-of-use asset is recognised representing its Right-of-use the underlying asset for the lease term at the lease commencement date except in case of short term leases with a term of twelve months or less and low value leases which are accounted as an operating expense on a straight line basis over the lease term. The Company has elected not to apply the requirements of Ind AS 116 Leases to short-term leases of all assets that have a lease term of 12 months or less and leases for which the underlying asset is of low value.

#### Company as a lessor

There are no assets of the Company which are given on lease. The Company has not sub let any of the assets taken on lease during the year.

### 2.12 Segment Reporting

The Company's activities during the year are related to mining and selling of Gypsum. Considering the nature of Company's business, as well as based on reviews by the chief operating decision maker to make decisions about resource allocation and performance measurement, there is only one reportable segment in accordance with the requirements of Ind AS - 108 - "Operating Segments".

### 2.13 Employee benefits

#### a. Short Term Employee Benefits:

All employee benefits payable within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits and they are recognized in the period in which the employee renders the related service. The Company recognizes the undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for services rendered as a liability (accrued expense) after deducting any amount already paid.

#### b. Retirement benefit costs and termination benefits and other long term employee benefits

##### Pension Scheme

Company's Contribution made to its Pension scheme is charged off to Statement of Profit and Loss on accrual basis.

### सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना में किए गए योगदान को प्रोद्धभवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

#### भविष्य निधि:-

भविष्य निधि में प्रोद्धभवन के आधार पर योगदान दिया जाता है। भविष्य निधि में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान को कम्पनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में किया जाता है। ट्रस्ट ईपीएफओ के दिशानिर्देशों एवं पैटर्न के अनुसार अपनी सम्पत्तियों को विनियोग करता है। ट्रस्ट के सदस्यों को देय ब्याज दर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासित की जाती है। ट्रस्ट के निवेश से प्रत्यय और अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करना कम्पनी का दायित्व होता है। इस तरह की पूरा की गई कमियों को लाभ-हानि में डाला जाता है।

भविष्य निधि के निवेश पर मूलधन के किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए कंपनी का दायित्व है इस तरह के नुकसान का पता लगाने पर असाधारण वस्तु के रूप में पहचाना जाता है।

#### उपादान:-

उपादान के परिभाषित लाभ योजना के लिए लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ एवं हानि, परिसम्पत्तियों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रभाव एवं परिसम्पत्तियों पर प्रत्यय तुलन पत्र में उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त क्रेडिट के साथ जिसमें वे होते हैं तुरन्त परिलक्षित होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः माप को संचित आय में तुरन्त वर्गीकृत किया जाता है। इसे लाभ-हानि खाते में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। योजना संशोधन अवधि में पिछले सेवा की लागत को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसम्पत्ति की अवधि की शुरुआत में छूट दर को लागू करके शुद्ध ब्याज की गणना की जाती है। परिभाषित लाभ लागत को निम्नानुसार वर्गीकृत किया।

- सेवा लागत (वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत, एवं भुगतान पर लाभ/हानि)
- शुद्ध ब्याज आय एवं व्यय
- service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on settlements);
- net interest expenses or income; and

### Post-retirement medical scheme

Company's Contribution made to its Post-retirement medical scheme is charged off to Statement of Profit and Loss on accrual basis.

#### Provident fund

Contribution to Provident Fund is accounted for on accrual basis. The Provident Fund contributions are made to a Trust administered by the Company (both the employer as well as employee). The Trust invests in specific designated instruments as the per pattern of investment mandated by EPFO guidelines. The interest rate payable to the members of the Trust are administered as per Government guidelines. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investments of the Trust and the notified interest rate. Such shortfall on account of interest is recognized in the Statement of Profit and Loss when ascertained and recouped to Trust by way of contribution. The Company has also obligation to make good any loss of principal on investment of PF trust. Such loss is recognized as Exceptional Item when ascertained.

#### Gratuity

For Defined Benefit plan of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Re-measurements, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding net interest), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

**अ पुनः माप**

कम्पनी परिभाषित लाभ लागत के प्रथम दो घटकों को कर्मचारियों के लाभ व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लाभ हानि खाते में दर्शाती है।

तुलन पत्र में दिखाई गई सेवानिवृत्त लाभ दायित्व कम्पनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटे या अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है। इससे प्राप्त होने वाला कोई भी अधिशेष योजनाओं से वापसी के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य या भविष्य में योगदान में कटौती के लिए सीमित हैं। परिभाषित लाभ उपादान योजना की लागत एवं इसके दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक तकनीक के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

**छुट्टियों का नकदीकरण**

रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्बन्ध में, अवकाश नकदीकरण सम्बन्धी देयताओं से कम्पनी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अनुमानित राशियों को (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है एवं मान्यता दी जाती है।

**2.14. सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों को उस समय तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह आश्वासन न हो जाये कि कम्पनी संलग्न शर्तों का अनुपालन करेगी।

सरकारी अनुदान को एक व्यवस्थित आधार पर लाभ हानि में मान्यता दी जाती है। कम्पनी इससे सम्बन्धित खर्चों को व्यय मानती है एवं अनुदान को अन्य आय शीर्षक में रखा जाता है।

सरकारी अनुदान जो कि पहले किये गये व्यय अथवा नुकसान के मुआवजे के रूप में अथवा भविष्य में कम्पनी को बिना किसी लागत के वित्तीय सहायता उपलब्ध देने के उद्देश्य से, उस अवधि में लाभ हानि खाते में दर्शाये जाते हैं जिस अवधि में वे प्राप्य होते हैं।

सम्पत्ति, संयन्त्र एवं उपकरण के क्रय से सम्बन्धित सरकारी अनुदान को अन्य अचल दायित्वों में शामिल किया जाता है एवं सम्पत्तियों के कुल जीवन के आधार पर सीधी रेखा की दर से निकाली गई राशि को लाभ हानि खाते में जमा पक्ष में प्रति वर्ष दिखाया जाता है। अपने अनुमानित जीवन से पूर्व इस तरह की सम्पत्ति को बेचे जाने पर, बकाये पूंजीगत अनुदान की राशि को बेचे जाने के वर्ष में लाभ-हानि खाते के जमा पक्ष दर्शायी जाती है।

**re-measurements**

The Company presents the first two components of defined benefit costs in the Statement of profit and loss in the line item 'Employee benefits expense'.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised directly in other comprehensive income.

The retirement benefit obligation recognized in the balance sheet represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans. The cost of the defined benefit gratuity plan and the present value of gratuity obligation are determined using actuarial valuation techniques.

**Leave Encashment**

Liabilities recognized in respect of leave encashment are measured at the present value of the estimated future cash outflows to be made by the Company (based on actuarial valuation) in respect of services provided by employees upto the reporting date.

**2.14 Government Grant**

Government grants are not recognized until there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognized in statement of profit and loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate and are presented within Other income.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognized in profit or loss in the period in which they become receivable.

Government grants relating to purchase of property, plant and equipment are included in Other non-current liabilities and are credited to profit or loss on a Straight-line basis over the expected lives of the related assets. In the event of such property, plant and equipment being disposed off before completion of its estimated useful life, the outstanding amount of such capital grant is fully credited to profit or loss in the year of its disposal.

### 2.15. नकद व नकदी के समकक्ष

तुलन पत्र में नकद व नकदी के समकक्ष में बैंकों में जमा, हाथ में नकद, तीन महीने या इससे कम की अल्पकालिक जमा, जिसमें मूल्य परिवर्तन का जोखिम बहुत कम होता है, शामिल होती है।

### 2.16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक सम्पत्तियां

कम्पनी उस समय प्रावधान को मान्यता देती है जब कि कम्पनी के पास पिछले आयोजन के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक संसाधनों के बर्हिवाह की आवश्यकता हो। अतः दायित्वों की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। जब किसी प्रावधान की प्रतिपूर्ति की उम्मीद की जाती है एवं यह प्रतिपूर्ति निश्चित होती है तो प्रतिपूर्ति को एक अलग सम्पत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। प्रावधान से सम्बन्धित व्ययों को लाभ-हानि खाते में दर्शाये जाते हैं।

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व होता है जो कि पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है एवं जिसके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य की घटना के होने या न होने पर निर्भर होती है। यह कम्पनी के निमन्त्रण से परे होती है। यह एक वर्तमान दायित्व होता है जिसकी केवल इसलिए मान्यता नहीं दी गई क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों के निपटान में आर्थिक संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता हो। आकस्मिक दायित्व वहां भी उत्पन्न होते हैं जहां दायित्व की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती हालांकि यह खुलासा किया जाता है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है। आकस्मिक देनदारियों एवं आकस्मिक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में वित्तीय प्रभाव का अनुमान जहां व्यवहारिक न हो का प्रकटीकरण नहीं किया जाता हालांकि इस बात का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

### 2.17. लाभांश

अंश धारकों के अनुमोदन के पश्चात् ही लाभांश की राशि को एक दायित्व की तरह माना जाता है एवं यह कम्पनी के विवके पर निर्भर नहीं करता है। भारत में लागू कारपोरेट कानून के अनुसार अंशधारकों के अनुमोदन के पश्चात् लाभांश का भुगतान किया जाता है। इस राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

### 2.15 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the balance sheet comprises cash at banks, cash on hand and short-term deposits with a maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

### 2.16 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When a provision is expected to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the Statement of Profit and Loss net of any reimbursement.

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events beyond the control of the company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. A contingent liability also arises where a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent assets are not recognized but are disclosed where an inflow of economic benefits is probable. The estimation of financial effect in respect of contingent liabilities and contingent assets wherever not practicable, is not disclosed and such fact is accordingly stated.

### 2.17 Cash Dividend

The Company recognizes a liability to make cash distributions to shareholders when the distribution is authorized and the same is no longer at the discretion of the Company. As per corporate laws in India, Final dividends on shares are recorded as a liability on the date of approval by the shareholders and interim dividends are recorded as a liability on the date of declaration by the Company's Board of Directors. A corresponding amount is recognized directly in equity.

## 2.18. पूर्व दत्त व्यय

रु. एक लाख तक के व्यक्तिगत व्यय को पूर्व दत्त व्यय में नहीं रखा जाता है।

## 2.19. दावे

परगमन के दौरान माल में हुई कमी के लिए कमी के प्रमाणपत्र के आधार पर जिस वर्ष यह दावे दर्ज किये गये हैं उस वर्ष सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर्स (रेलवे सहित) को जिम्मेदार माना जाता है।

## 2.20. अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान पर हुए व्यय को लाभ-हानि खाते में अलग से मान्यता दी जाती है। विकास गतिविधियों पर हुए व्यय को उस समय पूंजीकृत किया जाता है, जब इसके भविष्य के आर्थिक लाभों को यथोचित रूप से आश्वस्त किया जा सके।

## 2.21. हाल की घोषणाएं:—

एमसीए समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधित नियम 2022 में संशोधन किया है जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2022 से लागू है।

### IndAS 103 – वैचारिक ढांचे का संदर्भ:

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (वैचारिक ढांचे के तहत) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। अधिग्रहण की तारीख में चार्टर्ड अकाउंट के संशोधन IndAS 103 की आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

### IndAS 16 – इच्छित उपयोग से पहले आगे बढ़ें :

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय से अधिक है। यदि कोई हो तो उसे लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों से कटौती की जाएगी। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों में उसकी संपत्ति, योजना और उपकरणों की मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

## 2.18 Prepaid Expenses

Individual expense up to Rupees 1,00,000 is not considered in classifying prepaid expenses.

## 2.19 Claims

Claims on underwriters, transporters including Railways for goods in transit based on the shortage certificate from the respective transporters (or railways) are accounted for in the year of lodgment of monetary claims.

## 2.20 Research and Developments expenses

Revenue expenditure on Research activity is recognized separately and charged to Statement of Profit and Loss. Expenditure on development activities is capitalized when its future economic benefits can reasonably be regarded as assured.

## 2.21 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) notifies new standard or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, applicable from April 1, 2022, as below:

### Ind AS 103 – Reference to Conceptual Framework

The amendments specify that to qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework) issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. These changes do not significantly change the requirements of Ind AS 103. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

### Ind AS 16 – Proceeds before intended use

The amendment clarifies that excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognized in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The Company does not expect the amendments to have any impact in its recognition of its property, plant and equipment in its financial statements.

### IndAS 37– भारी अनुबंध–एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित है। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण के रूप में है और कंपनी यह उम्मीद नहीं करती है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

### IndAS 109 – वित्तीय प्रपत्र

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि एक इकाई में कौनसा शुल्क शामिल है, जब यह वित्तीय दायित्व को अमान्य करने का आकलन करने के लिए indAS 109 के रूप में के '10 प्रतिशत' परीक्षण को लागू करता है। indAS 109 में संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

### Ind AS 37 – Onerous Contracts - Costs of Fulfilling a Contract

The amendments specify that that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. The amendment is essentially a clarification and the Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements

### Ind AS 109 – Financial Instruments

The amendments clarifies which fees an entity includes when it applies the '10 percent' test of Ind AS 109 in assessing whether to derecognize a financial liability. The adoption of amendments to Ind AS 109 is not expected to have any material impact on the financial statements

नोट संख्या:-3 सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण

Note 3. Property, Plant And Equipment

Indian Rupees in Thousands

		फ्री होल्ड भूमि (Free Hold)	भवन Buildings	प्लांट एवं मशीनरी Plant and Machinery	पानी की व्यवस्था Water System	फर्नीचर एवं फिक्चर Furniture and Fixture	कम्प्यूटर Computer	अन्य उपकरण Other Equipments*	गाड़ियां Vehicles	सड़कें एवं पुलिया Roads and Culverts	कुल Total
<b>लागत अथवा मानी नई लागत</b>	<b>Cost or Deemed Cost</b>										
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को	As at 1 April 2020	70,723	2,480	9,309	39	1,178	926	1,646	6,820	159	93,280
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	940	-	-	931	704	99	1,549	-	4,223
पूर्णमूल्यांकन के कारण परिवर्तन	Changes due to revaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के कारण परिवर्तन	Changes due to impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कमियां	Deductions during the year	-	37	-	-	6	85	-	-	-	128
<b>दिनांक 31 मार्च, 2021 को</b>	<b>As at 31 March 2021</b>	<b>70,723</b>	<b>3,383</b>	<b>9,309</b>	<b>39</b>	<b>2,103</b>	<b>1,545</b>	<b>1,745</b>	<b>8,369</b>	<b>159</b>	<b>97,375</b>
दिनांक 1 अप्रैल, 2021	As at 1 April 2021	70,723	3,383	9,309	39	2,103	1,545	1,745	8,369	159	97,375
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	88,951	41,126	-	14,224	208	350	-	-	144,859
पूर्णमूल्यांकन के कारण परिवर्तन	Changes due to revaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के कारण परिवर्तन	Changes due to impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कमियां	Deductions during the year	-	-	445	-	1,031	91	117	-	33	1,717
<b>दिनांक 31 मार्च 2022 को</b>	<b>As at 31 March 2022</b>	<b>70,723</b>	<b>92,334</b>	<b>49,990</b>	<b>39</b>	<b>15,296</b>	<b>1,662</b>	<b>1,978</b>	<b>8,369</b>	<b>126</b>	<b>240,517</b>
<b>संचित मूल्य ह्रास</b>	<b>Accumulated Depreciation</b>										
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को	As at 1 April 2020	-	90	1,617	8	631	437	647	1,424	18	4,872
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	52	951	4	212	181	202	869	9	2,480
वर्ष के दौरान कमियां	Deductions during the year	-	37	-	-	-	16	-	-	-	53
<b>दिनांक 31 मार्च 2021</b>	<b>As at 31 March 2021</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>2,568</b>	<b>12</b>	<b>843</b>	<b>602</b>	<b>849</b>	<b>2,293</b>	<b>27</b>	<b>7,299</b>
दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को	As at 1 April 2021	-	105	2,568	12	843	602	849	2,293	27	7,299
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	766	3,139	4	983	315	151	968	8	6,334
वर्ष के दौरान कमियां	Deductions during the year	-	-	423	-	990	-	-	-	14	1,427
<b>दिनांक 31 मार्च, 2022</b>	<b>As at 31 March 2022</b>	<b>-</b>	<b>871</b>	<b>5,284</b>	<b>16</b>	<b>836</b>	<b>917</b>	<b>1,000</b>	<b>3,261</b>	<b>21</b>	<b>12,206</b>
<b>शुद्ध ब्लाक</b>	<b>Net block as at:</b>										
31 मार्च 2021	31 March 2021	70,723	3,278	6,741	27	1,260	943	896	6,076	132	90,076
31 मार्च 2022	31 March 2022	70,723	91,463	44,706	23	14,460	745	978	5,108	105	228,311
		'एक कम्प्यूटर को शामिल है जिसकी कीमत रुपये 50,000 हजार/- है संपत्ति के भौतिक सत्यापन के दौरान नहीं पाया गया है। जाँच जारी है।									
		* Includes one computer having a cost of Rs. 50 thousands found deficient during Physical Verification of assets. Investigation is under progress.									

नोट:-

1. सम्पत्तियों में कमी।

सम्पत्तियों में कोई भी कमी नहीं पायी गई है एवं इस पर हानि शून्य है।

2. कम्पनी के पास निम्न भूमि है जिसकी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हैं:-

- (अ) हमीरा जैसलमेर में 25.10 बीघा (41277.817 वर्ग मी.)
- (ब) रामसिंहपुर श्री गंगानगर में 1.02 बीघा (2780 वर्ग मी.)
- (स) औद्योगिक क्षेत्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 10000 वर्ग गज (8361 वर्ग मी.)
- (द) विवेक विहार जोधपुर में 1560 वर्ग मी

Notes :

1. Impairment of assets

There are no impaired assets in the Company and the accumulated impairments are NIL.

2. Free hold land measuring

- (a) 25.10 Bigha (41,277.817 Square Meters) at Hamira, District Jaisalmer,
- (b) 1.02 Bigha (2,780 Square Meters) at Ramsinghpur, District Sriganganagar and
- (c) 10,000 Square Yards (8,361 Square Meters) at industrial area of Suratgarh City Distt. Sri Ganga Nagar ,
- (d) 1560.00 square meters at Vivek Vihar, Jodhpur (Rajasthan) are in the possession of the Company and documentation is complete in all respect.

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. कंपनी के पास अपनी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 (1988 का 45) के तहत बेनामी संपत्ति की कोई भी कार्यवाही कंपनी पर न तो शुरू की गई है और न ही कोई लंबित है।</p> <p>4. <b>अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख</b></p> <p>अचल संपत्तियों के शीर्षक 'विलेख' कंपनी के नाम पर नहीं है। तदनुसार न तो स्वामित्व विलेख से संबंधित सूचना और न ही कंपनी के नाम पर धारित सूचना लागू नहीं होती है।</p> | <p>3. The Company does not have any Benami Property and no proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.</p> <p>4. <b>Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company.</b> All title deeds of immovable properties are held in name of the Company. Accordingly information related to title deeds not held in the name of the Company is Not applicable</p> |
|---|---|

समस्त अचल संपत्तियों के शीर्षक 'विलेख' जो कंपनी के नाम पर नहीं है का विवरण।

**Details of all the immovable properties whose title deeds are not held in the name of the Company**

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन सामग्री	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम से	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर निदेश या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या निदेशक/निदेशक का कर्मचारी	संपत्ति किस तारीख से धारित है।	कंपनी
Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative# of promoter*/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण Property, Plant and Equipment	समस्त शीर्षक विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं है लागू नहीं है। Not applicable as all title deeds are in the Name of the Company					

- |   |  |
|---|--|
| <p>5. सभी अचल संपत्तियों का उपयोग प्रशासनिक उद्देश्य के माल या सेवा के उत्पादन या आपूर्ति में किया जाता है। अचल संपत्ति में से कोई भी निवेश संपत्ति नहीं है।</p> <p>6. वर्ष के दौरान और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी की कोई भी संपत्ति खराब नहीं हुई थी।</p> | <p>5. All immovable properties are used in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Accordingly, none of the immovable property qualifies to be investment property.</p> <p>6. None of the assets of the Company were revalued and impaired during the year and as on reporting date.</p> |
|---|--|

नोट संख्या:—4 पूंजीगत कार्य—  
प्रगति पर

4 Capital Work-In-Progress

Indian Rupees in Thousands

	PARTICULARS	31 March 2022	31 March 2021
एस. एस. पी परियोजना	SSP Project	68,188	68,188
सफेद सीमेन्ट परियोजना	White Cement Project	1,350	1,350
विवेक विहार में कार्यालय भवन	Office Building at Vivek Vihar	-	78,570
विशेष रूप से एस एस पी परियोजना के लिए खर्च की गई सीमा तक बढ़े खाते में डाला गया व्यय	Less: Expenditure written off to extent incurred exclusively for SSP Project	3,404	3,404
		<b>66,134</b>	<b>144,704</b>

1. एस एस पी परियोजना:— कंपनी ने सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) का प्रोजेक्ट वर्ष 2012 में रुपये 816,000 हजार की शुरुआती लागत से शुरू किया था जिसे बाद में नवंबर 2017 में संशोधित कर रुपये 987000 हजार कर दिया गया था, चित्तौड़गढ़ में 11.01 हेक्टेयर भूमि राजस्थान सरकार से रुपये 53782 हजार (स्टाम्प शुल्क सहित) की कुल लागत पर 22 जनवरी 2014 को खरीदी गई थी। परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का कार्य मेसर्स पीडीआई को रुपये 28,500 हजार की लागत से 24 फरवरी 2016 को प्रदान किया गया था। हमारे परियोजना सलाहकार मेसर्स पीडीआई की सलाह के अनुसार 3 अनुबंधों के लिए कार्रवाई शुरू की गई 31 मार्च 2021 को उसी की स्थिति निम्नानुसार है।

(अ) चारदीवारी का निर्माण – 23 मार्च 2018 को रुपये 18,914 हजार मूल्य का कार्यादेश दिया गया जिसे बाद में संशोधित कर रुपये 19449 हजार कर दिया गया। 31 मार्च 2021 को कार्यपूर्ण की राशि रुपये 6585 हजार पूरे हो चुके हैं।

(ब) संयंत्र और मशीनरी के लिए एलएसटीके निविदा— निविदा के 3 दौर के बाद एलएसटीके अनुबंध के लिए मूल्य बोली 4 अक्टूबर 2018 को खोली गई थी, जहां एल-1 प्रस्ताव रुपये 1,353,000 हजार था, जो कि रुपये 42,9900 हजार के स्वीकृत अनुमान से 215 प्रतिशत अधिक था।

(स) सिविल कार्य के लिए गैर एलएसटीके निविदा (अनुमानित मूल्य रुपये 67900 हजार) निविदा के दूसरे दौर के बाद गैर एलएसटीके निविदा की तकनीकी बोली 04 अक्टूबर 2018 को खोली गई थी पीडीआईएल ने 15 दिसंबर 2018 को 2 पार्टियों की मूल्य बोली खोलने के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की एलएसटीके अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया और अंततः 20 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी 92वीं बैठक में बोर्ड द्वारा इसे बंद कर दिया गया।

इस एसएसपी परियोजना पर 31 मार्च, 2022 तक रुपये 68,188 हजार का कुल व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है।

1. SSP Project: The Company started the project of Single Super Phosphate (SSP) in the year 2012 at an initial cost of Rs.816,000 thousands which was later on revised to Rs.987,000 thousands in November 2017. 11.01 Hectare land at Chittorgarh was purchased from Government of Rajasthan at a total cost of Rs.53,782 thousands (including of stamp duty) on 22 January 2014. The job of Project Management Consultancy (PMC) was awarded to M/s PDIL at a cost of Rs.28,500 thousands on 24 February 2016. As per advice of our project Consultant M/s PDIL, action initiated for 3 contracts, the status of the same, as on 31 March 2022 is as under:

(i) Construction of Boundary Wall – Work order was awarded for a value of Rs.18,914 thousands on 23 March 2018 which was later on revised to Rs.19,449 thousands. As on 31 March 2022, job amounting to Rs. 6,585 thousands has been completed.

(ii) LSTK tender for Plant and Machinery – after 3 round of tendering the price bid for LSTK contract was opened on 4 October 2018, where L-1 offer was Rs.1,353,000 thousands which was 215% higher than the approved estimate of Rs.429,900 thousands.

(iii) Non LSTK tender for Civil Work (Estimated Value Rs.67,900 thousands) – After 2 round of tendering the technical bid of Non LSTK tender was opened on 04 October 2018. PDIL submitted their recommendation for opening the price bid of 2 parties on 15 December 2018. Considering the very high cost of LSTK contract, Non LSTK contract was not pursued further and it was finally closed by Board in its 92nd meeting held on 20 September 2019.

The breakup of total expenditure of Rs. 68,188 thousands incurred on this project upto 31 March 2022 on this SSP project is as under:

## Indian Rupees in Thousands

विवरण	S.No	Particulars	Amount
<b>1. जमीन के लिए</b>	<b>1</b>	<b>For Land</b>	
पाण्डोली में भूमि		- Land at Pandoli	52,291
स्टाम्प शुल्क / अधिभार / पंजीकरण		- Stamp duty/ surcharge/ Registration fee	1,491
पट्टे का भुगतान		- Lease payment	330
			<b>54,112</b>
<b>2. सामान्य व्यय</b>	<b>2</b>	<b>Common Expenditure</b>	
चरदीवारी		-Boundary Wall	6,585
बिजली लाइन		-Electricity line	1,419
स्थलाकृति सर्वेक्षण		-Topographical Survey	138
भू तकनीक सर्वेक्षण		-Geo Tech Survey	451
पानी की रेखा		-Water line	253
अन्य खर्चे		-Other Expenses	1,826
			<b>10,672</b>
<b>3. विशेष रूप से एसएसपी 3 परियोजना के लिए किया गया व्यय</b>	<b>3</b>	<b>Expenditure incurred exclusively for SSP Project</b>	
टीईएफआर अध्ययन		- TEFR Study	748
पर्यावरण मंजूरी		- Environment clearance	1,138
जनसुनवाई आयोजित करने के लिए		- For conducting public hearing	30
स्थापित करने के लिए सहमति		- Consent to establish	277
पीएमसी प्रभार		- PMC Charge	1,211
			<b>3,404</b>
<b>कुल योग</b>		<b>Total</b>	<b>68,188</b>

उद्योगों द्वारा क्षमता उपयोग के मानदण्ड, सलाहकार की सिफारिशों तथा बाजार परिदृश्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एसएसपी परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी, इसलिए इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तदनुसार एसएसपी परियोजना राशि के लिए व्यय राशि रुपये 3404 हजार करे बट्टे खाते में डाला गया है। हालांकि कंपनी ने राज्य सरकार से हमें किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है और प्रारंभिक चर्चा के आधार पर राज्य सरकार भी बदलाव की अनुमति देने के लिए इच्छुक है और उन्होंने कंपनी द्वारा की जाने वाली वैकल्पिक परियोजना का विवरण मांगा है। कंपनी एसएसपी और अन्य परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य विकल्पों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है।

Considering the industry capacity utilization norms, recommendation of consultant and changes in market scenario, the Board concluded that SSP project will not be viable, therefore this project should not be pursued any further. Accordingly expenditure incurred exclusively for SSP Project amount to Rs 3,404 thousands has been written off. However, the Company has requested State Government to allow us to use the land for some other purposes and based on initial discussion, State Government is also interested to allow the change and they asked the details of alternative project which the Company want to pursue. The Company is in process of evaluation of viable options for SSP and other projects.

4. पूंजी कार्य प्रगति पर (जारी)
2. सफेद सीमेंट परियोजना : 31 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य में सफेद सीमेंट परियोजना की स्थापना के लिए रुपये 1,350 हजार रुपये की राशि (31 मार्च 2021 रुपये 1,350 हजार) रुपये 312 हजार सहित टीईएफआर अध्ययन खर्च किया गया था, सफेद सीमेंट परियोजना हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक के कारण रुकी हुई है। कंपनी स्टे को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है।
3. विवेह विहार, जोधपुर में कार्यालय भवन: 31 मार्च 2022 तक रु. कार्यालय भवन के निर्माण संबंधी गतिविधियों पर रुपये 78,557 हजार (31 मार्च 2021) खर्च किया गया। कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

- 4 Capital Work-In-Progress (Continued)
2. White Cement Project: As at 31 March 2022, an amount of Rs.1,350 thousands (31 March 2021 : Rs 1,350 thousands) including Rs. 312 thousands on TEFR study was spent towards installation of White Cement Project in the state of Himachal Pradesh. As on 31 March 2022, the White Cement Project is on hold due to stay granted by Honourable High Court of Himachal Pradesh. The Company is actively pursuing the matter in Honourable High Court for removal of stay.
3. Office Building at Vivek Vihar, Jodhpur: Office Building is completed and capitalised during the year ending 31 March 2022. As at 31 March 2021, an amount of Rs.78,557 thousands was incurred on construction related activities of office building.

Indian Rupees in Thousands

31 मार्च 2022 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर CWIP aging schedule as at 31 March 2022						
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	Capital Work-In-Progress	पूंजीगत कार्य प्रगति पर समयावधि के लिए Amount in CWIP for a period of				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजना प्रगति पर है।	Projects in progress	-	2,399	-	63,735	66,134
परियोजना अस्थाई रूप से लंबित	Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर CWIP aging schedule as at 31 March 2021						
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	Capital Work-In-Progress	पूंजीगत कार्य प्रगति पर समयावधि के लिए Amount in CWIP for a period of				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजना प्रगति पर है।	Projects in progress	51,835	27,619	206	65,044	144,704
परियोजना अस्थाई रूप से लंबित	Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

उन परियोजनाओं के लिए सीडब्यूलूआइपी पूर्णतः अनुसूची जिनकी पूर्णतः अतिदेय है या इसके मूल योजना की तुलना में इसकी लागत 31 मार्च 2022 की तुलना में अधिक हो गई है।

**CWIP completion schedule for projects whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as at 31 March 2022**

पूँजीगत कार्य प्रगति पर	Capital Work-In-Progress	समयावधि में पूर्ण हो चुके कार्य To be completed in				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजना प्रगति पर	Project in-Progress					
कार्यालय भवन विवेक, विहार जोधपुर	Office Building at Vivek Vihar	-	-	-	-	-
एसएसपी परियोजना	SSP Project	-	-	-	-	-
सफेद सीमेंट परियोजना	White Cement Project	-	-	-	-	-
परियोजनाएं जो अस्थाई रूप से लंबित हैं	Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
<p>उन परियोजनाओं के लिए सीडब्यूलूआइपी पूर्णतः अनुसूची जिनकी पूर्णतः अतिदेय है या इसके मूल योजना की तुलना में इसकी लागत 31 मार्च 2021 की तुलना में अधिक हो गई है।</p> <p><b>CWIP completion schedule for projects whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as at 31 March 2021</b></p>						

पूँजीगत कार्य प्रगति पर	Capital Work-In-Progress	समयावधि में पूर्ण हो चुके कार्य To be completed in				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजना प्रगति पर	Project in-Progress					
कार्यालय भवन विवेक, विहार जोधपुर	Office Building at Vivek Vihar	-	-	-	-	-
एसएसपी परियोजना	SSP Project	-	-	-	-	-
सफेद सीमेंट परियोजना	White Cement Project	-	-	-	-	-
परियोजनाएं जो अस्थाई रूप से लंबित हैं	Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण।

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2022

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

5 Other Intangible Assets

Indian Rupees in Thousands

लागत या मानित लागत	Cost or Deemed Cost	
<b>1 अप्रैल, 2020 तक</b>	<b>As at 1 April 2020</b>	<b>440</b>
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	Additions during the year	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	Changes due to revaluation	-
हानि के कारण परिवर्तन	Changes due to impairment	-
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-
<b>31 मार्च 2021 तक</b>	<b>As at 31 March 2021</b>	<b>440</b>
<b>1 अप्रैल, 2021 तक</b>	<b>As at 1 April 2021</b>	<b>440</b>
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	Additions during the year	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	Changes due to revaluation	-
हानि के कारण परिवर्तन	Changes due to impairment	-
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-
<b>31 मार्च 2022 तक</b>	<b>As at 31 March 2022</b>	<b>440</b>
<b>संचित परिशोधन</b>	<b>Accumulated Amortisation</b>	
<b>1 अप्रैल, 2020 तक</b>	<b>As at 1 April 2020</b>	<b>176</b>
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	Additions during the year	88
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-
<b>31 मार्च 2021 तक</b>	<b>As at 31 March 2021</b>	<b>264</b>
<b>1 अप्रैल, 2021 तक</b>	<b>As at 1 April 2021</b>	<b>264</b>
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	Additions during the year	88
वर्ष के दौरान कटौती	Deductions during the year	-
<b>31 मार्च 2022 तक</b>	<b>As at 31 March 2022</b>	<b>352</b>
कुल ब्लॉक के रूप में	Net block as at:	
<b>31 मार्च 2021</b>	<b>31 March 2021</b>	<b>176</b>
<b>31 मार्च 2022</b>	<b>31 March 2022</b>	<b>88</b>
नोट-1 कंपनी की किसी भी संपत्ति के वर्ष के दौरान और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पुनर्मूल्यांकन और हानि नहीं हुई थी।	Note 1: None of the assets of the Company were revalued and impaired during the year and as on reporting date.	
नोट-2 विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं थी। इसलिए विकास के तहत अचल संपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण या तो शून्य है या लागू नहीं है।	Note 2: There were no Intangible assets under development. Therefore disclosure relating to Intangible Assets under Development are either nil or not applicable.	

**6. विनियोग:-**
**6 Investments**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
विनियोग		-	-
<b>कुल</b>		<u>-</u>	<u>-</u>

कम्पनी ने किसी भी समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, सरकारी अथवा ट्रस्ट की प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों, म्यूचुअल फंड्स, साझेदारी फण्ड अथवा किसी भी अन्य प्रतिभूतियों सुरक्षित अथवा असुरक्षित, खुले बाजार में, सहायक/सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों में अथवा विशेष प्रयोजन के लिए बनी कम्पनियों में निवेश नहीं किया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि III में निर्धारित इसके अन्तर्गत शून्य प्रकटीकरण है।

The Company has not invested in Equity instruments, Preference Shares, Government or Trust Securities, Debentures or Bonds, Mutual Funds, Partnership Funds or any other instruments whether secured or not in open market or in subsidiaries, associates, Joint Ventures or Controlled Special Purpose Entities. Therefore, the disclosure under this head as stipulated in the Schedule III of Company's Act, 2013 is Rs. Nil.

**7.. व्यापारिक प्राप्य:**
**7 Trade Receivables**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
अच्छे समझे गये सुरक्षित	-Secured, considered good	-	-
अच्छे समझे गये असुरक्षित	-Unsecured considered good	-	-
जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और	-which have significant increase in credit risk; and	-	-
क्रेडिट बिगड़ा	-Credit impaired	<u>-</u>	<u>-</u>

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

**Trade Receivables ageing schedule as at 31 March 2022**

विवरण	Particulars	Less than 6 months छह महीने से कम	6 months -1 year छह माह- 1 वर्ष	1-2 Years 1-2 वर्ष	2-3 years 2-3 वर्ष	More than 3 years 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
1. निर्विवाद व्यापार प्रायः अच्छा माना जाता है।	(i) Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2. अविवादित व्यापार प्राप्य जिनमें ऋण जोखिम	(ii) Undisputed Trade Receivables- which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
3. अविवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(iii) Undisputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
4. विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा माना जाता है	(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
5. विवादित व्यापार प्राप्य जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	(v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
6. विवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2021 तक व्यापारिक प्राप्य एजिंग शेड्यूल

Trade Receivables ageing schedule as at 31 March 2021

विवरण भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया	Particulars Outstanding for following periods from due date of payment	Less than 6 months छह महीने से कम	6 months -1 year छह माह-1 वर्ष	1-2 Years 1-2 वर्ष	2-3 years 2-3 वर्ष	More than 3 years 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
1. निर्विवाद व्यापार प्रायः अच्छा माना जाता है।	(i) Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2. अविवादित व्यापार प्राप्य जिनमें ऋण जोखिम	(ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
3. अविवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(iii) Undisputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
4. विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा माना जाता है	(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
5. विवादित व्यापार प्राप्य जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	(v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
6. विवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई भत्ता नहीं था।		-	-	-	-	-	-
कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा क्रमशः कोई ऋण नहीं है। जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार या निदेशक या सदस्य है जैसा कि 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2021 तक है।	There were no allowance for Bad and Doubtful debts as at 31 March 2022 and 31 March 2021. There are no debts due by directors or officers of the Company or any of them either severally or jointly with others or by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or Member as at 31 March 2022 and 31 March 2021.						

8. ऋण

8 Loans

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>अ. सम्बन्धित पक्षकारों को ऋण</b>	<b>a. Loans to related Parties</b>		
अच्छे समझे गये सुरक्षित	Secured, considered good	-	-
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good	-	-
संदिग्ध	Doubtful	-	-
घटाव:- संदिग्धों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful	-	-
<b>ब. अन्य ऋण</b>	<b>b. Other Loans</b>		
अच्छे समझे गये सुरक्षित	Secured, considered good	-	-
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good	-	-
संदिग्ध	Doubtful	-	-
घटाव:- संदिग्धों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful	-	-
		-	-

## 9. अन्य वित्तीय सम्पत्तियां

## 9 Other Financial Assets

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सुरक्षित जमाएं:-	<b>Security Deposits</b>		
अच्छे समझे गये सुरक्षित	Secured, considered good	-	-
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good	14	14
संदिग्ध	Doubtful	-	-
घटाव:- संदिग्धों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful	-	-
		14	14
<b>12 महीने से अधिक समय की बैंको के समक्ष शेष:-</b>	<b>Deposit with banks for guarantee having original maturity of more than 12 months and maturing after 12 months of reporting date</b>		
-खनन विभाग के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged with Mining Departments	12,480	13,381
-MSTL गाड़ी के लिए कृषि विभाग राजस्थान के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged with Agriculture Department of Rajasthan for hiring MSTL Van	-	212
- ई-भाड़े के लिए रेलवे के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged for dedicated Railway E-freight A/c	7,200	-
-प्रदर्शन गारंटी के लिए ग्राहक FDRs	- Deposit with bank pledged with Customers for performance guarantee	-	-
- राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के समक्ष FDRs	Deposit with bank pledged with RSPCB	963	1,147
12 महीने से अधिक की बैंक मूल परिपक्वता वाली अन्य जमा राशि	Other Deposit with bank having original maturity of more than 12 months and maturing after 12 months of reporting date	1,787,419	218,930
		1,808,062	233,670
सवधि जमा पर अर्जित ब्याज	Interest Accrued on Fixed Deposits	83,886	2,479
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,891,962</b>	<b>236,163</b>

10. आयकर

10 Income Tax

Indian Rupees in Thousands

31 मार्च, 2022 व 31 मार्च 2021 के मुख्य आयकर घटक निम्न है:-

The major component of income tax expense for the years ended 31 March 2022 and 31 March 2021 are :

**Particulars**

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>वर्तमान कर</b>	<b>Current tax</b>		
-वर्तमान वर्ष के लिए	- for current year	40,725	46,073
-पिछले वर्ष के लिए	- for earlier year	206	6
		40,931	46,079
<b>अस्थगित कर</b>	<b>Deferred Tax</b>		
-अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित अस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	Deferred Tax expense/ (credit) relating to origination and reversal of temporary difference	(1,135)	1,304
		(1,135)	1,304
<b>लाभ हानि खाते में दिखाया गया आयकर</b>	<b>Income Tax expense reported in the Statement of Profit and Loss</b>	39,796	47,383
<b>अ. घरेलू कर की दर में लेखा लाभ का गुणनफल एवं कर व्ययों का सामंजस्य विवरण</b>	<b>A Reconciliation of Tax Expense and the Accounting Profit multiplied by Domestic Tax Rate</b>		
संचालन से उत्पन्न कर पूर्व लेखा लाभ	<b>Accounting Profit Before Tax from Continuing Operations</b>	155,729	182,194
अधिनियमित कर की दर	Enacted Tax Rate	25.17%	25.17%
संगणित अपेक्षित कर व्यय	Computed Expected Tax Expense	39,197	45,858
<b>समायोजनाएं:-</b>	<b>Adjustments</b>		
गैर कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	Effect of non-deductible expenses	1,164	1,519
कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव	Effect of change in Tax Rate	-	-
पिछले वर्ष का कर व्यय	Tax expenses for earlier year	206	6
अन्य	Others	(771)	-
		39,796	47,383

**10. आयकर (जारी)**
**10 Income Tax (Continued)**

Indian Rupees in Thousands

**ब. स्थगित कर:-**
**B Deferred Tax**

महत्वपूर्ण अस्थायी अंतरों जो स्थगित आयकर परिसम्पत्तियों और देनदारियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं पर करों का प्रभाव:-

The tax effects of significant temporary differences that resulted in deferred income tax assets and liabilities are as follows:

विवरण	Particulars	Balance as at 1.04.2020 बकाया 1.04.2020 तक	Recognised in profit and loss लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त	Recognised in OCI OCI में मान्यता प्राप्त	Balance as at 31.03.2021 बकाया 31.03.2021 तक	Recognised in profit and loss लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त	Recognised in OCI OCI में मान्यता प्राप्त	Balance as at 31.03.2022 बकाया 31.03.2022 तक
<b>अस्थगित आयकर सम्पत्तियां:-</b>	<b>Deferred Income Tax Assets</b>							
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Advances	6,058	-	-	6,058	-	-	6,058
भण्डार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	Provision for Obsolescence of Stores	62	-	-	62	-	-	62
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान	Provision for Research and Development	34	-	-	34	-	-	34
भूमि कर के लिए प्रावधान	Provision for Land tax	1,206	-	-	1,206	-	-	1,206
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य अन्य अस्थायी अंतर	Other temporary difference allowable on payment basis	8,413	(1,759)	-	6,654	3,611	-	10,265
<b>कुल अस्थगित आयकर सम्पत्तियां</b>	<b>Total Deferred Income</b>	<b>15,773</b>	<b>(1,759)</b>	<b>-</b>	<b>14,014</b>	<b>3,611</b>	<b>-</b>	<b>17,625</b>
<b>अस्थगित आयकर दायित्व</b>	<b>Deferred Income Tax Liabilities</b>							
आयकर अधिनियम के अनुसार स्थायी सम्पत्तियों पर निकाले गये मूल्य ह्रास की खातों में दिखाये गये मूल्य ह्रास की राशि पर अधिकता	Excess of depreciation and amortisation on fixed assets under income-tax law over amortisation provided in accounts.	(1,034)	(40)	-	(1,074)	(3,187)	-	(4,261)
परिभाषित लाभ दायित्व की योजनाकृत सम्पत्तियों पर अधिकता	Excess of plan assets over defined benefit obligation	(69)	495	(1,474)	(1,048)	711	(723)	(1,060)
<b>कुल अस्थगित आयकर दायित्व</b>	<b>Total Deferred Income Tax Liabilities</b>	<b>(1,103)</b>	<b>455</b>	<b>(1,474)</b>	<b>(2,122)</b>	<b>(2,476)</b>	<b>(723)</b>	<b>(5,321)</b>
शुद्ध अस्थगित कर सम्पत्तियां/(दायित्व)	Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	14,670			11,892			12,304
अस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	Deferred Tax Charge / (Credit)		1,304	1,474		(1,135)	723	

स. अस्थगित कर सम्पत्तियों/(दायित्वों) का मिलान-शुद्ध

**C Reconciliation of Deferred Tax Assets/(Liabilities), net**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
दिनांक 1 अप्रैल को शेष	Balance as at April 1	11,892	14,670
आरम्भिक संचय के माध्यमों से समायोजन	Ind AS adjustment through Opening Reserve	-	-
वर्ष के दौरान लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त कर प्रभार / (क्रेडिट)	Tax Charge / (Credit) during the year recognised in Profit or Loss	(1,135)	1,304
OCI में मान्यता प्राप्त कर प्रभार / (क्रेडिट)	Tax Charge / (Credit) during the year recognised in OCI	723	1,474
दिनांक 31 मार्च को शेष	Balance as at 31 March	<b>12,304</b>	<b>11,892</b>

11. अन्य अचल सम्पत्तियां

11 Other Non-Current Assets

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
पूंजीगत अग्रिम	Capital Advances	1,978	18,684
पूर्वदत्त व्यय	Prepaid Expenses	1,324	1,446
खनन विभाग के समक्ष शेष	Balance with Mining authorities	879	879
सुरक्षित जमाएं	Security Deposits	299	56
		<b>4,480</b>	<b>21,065</b>

12. रहतियां:-

12 Inventories

Indian Rupees in Thousands

(क्रय की लागत व शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर)

(at lower of cost and net realisable value)

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
कच्चा माल	Raw materials	-	-
पैकिंग सामग्री <sup>^</sup>	Packing Material <sup>^</sup>	11,150	10,478
कार्य प्रगति पर	Work in Progress	-	-
तैयार माल-जिप्सम <sup>^^</sup>	Finished Goods - Gypsum <sup>^^</sup>	2,234	3,264
बिक्री के लिए माल	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	-	-
ढीले उपकरण	Loose Tools	-	-
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	Stores and Spare Parts	935	775
-अप्रचलन के लिए प्रावधान	Less: Provision for Obsolescence for Stores and Spare Parts	(245)	(245)
		<b>14,074</b>	<b>14,272</b>

<sup>^</sup> इसमें 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को क्रमशः रुपये 897 हजार और 529 हजार की राशि तीसरे पक्ष के पास मौजूद इन्वेंट्री शामिल है।

<sup>^^</sup> जिप्सम के भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई 1794.82 मिलीयन टन (31 मार्च 2021 9.17 मिलीयन टन) की कमी के कारण रुपये 252 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 1 हजार) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाल दिया गया है।

<sup>^</sup> includes inventory lying with third parties amounting to Rs 897 thousands and Rs 529 thousands as at 31 March 2022 and 31 March 2021 respectively.

<sup>^^</sup> net of Rs 252 thousands (31 March 2021: Rs 1 thousand) on account of shortage of 1,794.82 MT(31 March 2021: 9.17 MT) found during physical verification of Gypsum is written off during the year ended 31 March 2022.

**13. विनियोग**
**13 Investments**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
विनियोग		-	-
कुल		-	-
<p>कम्पनी ने किसी भी प्रकार का व्यापारिक, गैर-व्यापारिक, सूचीबद्ध, गैर-सूचीबद्ध प्रपत्रों में विनियोग नहीं किया है। समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी अथवा ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में कम्पनी का कोई भी निवेश नहीं है। अतः इस तरह की प्रतिभूतियों के मूल्यों में कमी शून्य है।</p> <p>The Company has neither invested in Trade Investments nor in Non-Trade Investments (Quoted or Un Quoted). There is no investment in equity instruments, preference shares, debentures / bonds, Mutual Funds, Govt. or Trust Securities. Therefore, the diminution in value of such instruments is NIL.</p>			

**14. व्यापारिक प्राप्यः**
**14 Trade Receivables**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
अच्छे समझे गये सुरक्षित	-Secured, considered good	-	-
अच्छे समझे गये असुरक्षित	-Unsecured considered good	15,651	13,832
जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और	-which have significant increase in credit risk; and	-	-
क्रेडिट बिगड़ा	-Credit impaired	-	-
कुल	<b>Total</b>	<b>15,651</b>	<b>13,832</b>

**31 मार्च 2022 तक व्यापारिक प्राप्य एजिंग शेड्यूल Trade Receivables ageing schedule as at 31 March 2022**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	Less than 6 months छह महीने से कम	6 months - 1 year छह माह- 1 वर्ष	1-2 Years 1-2 वर्ष	2-3 years 2-3 वर्ष	More than 3 years 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य: अच्छा माना जाता है।	(i) Undisputed Trade receivables-considered good	15,238	-	-	-	413	15,651
2. अविवादित व्यापार प्राप्य जिनमें ऋण जोखिम	(ii) Undisputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
3. अविवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(iii) Undisputed Trade Receivables- credit impaired	-	-	-	-	-	-
4. विवादित व्यापार प्राप्यां अच्छा माना जाता है	(iv) Disputed Trade Receivables-considered good -	-	-	-	-	-	-
5. विवादित व्यापार प्राप्य जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	(v) Disputed Trade Receivables-which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
6. विवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(vi) Disputed Trade Receivables- credit impaired	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2021 तक व्यापारिक प्राप्य एजिंग शेड्यूल

Trade Receivables ageing schedule as at 31 March 2021

Indian Rupees in Thousands

विवरण भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया	Particulars Outstanding for following periods from due date of payment	Less than 6 months छह महीने से कम	6 months -1 year छह माह- 1 वर्ष	1-2 Years 1-2 वर्ष	2-3 years 2-3 वर्ष	More than 3 years 3 वर्ष से अधिक	Total कुल
1. निर्विवाद व्यापार प्रायः अच्छा माना जाता है।	(i) Undisputed Trade receivables-considered good	13,419	-	-	-	413	13,832
2. अविवादित व्यापार प्राप्य जिनमें ऋण जोखिम	(ii) Undisputed Trade Receivables — which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
3. अविवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(iii) Undisputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
4. विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा माना जाता है	(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
5. विवादित व्यापार प्राप्य जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	(v) Disputed Trade Receivables- which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
6. विवादित व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	(vi) Disputed Trade Receivables- credit impaired	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई भत्ता नहीं था।	There were no allowance for Bad and Doubtful debts as at 31 March 2022 and 31 March 2021.						
कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा क्रमशः कोई ऋण नहीं है। जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार या निदेशक या सदस्य है जैसा कि 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2021 तक है।	There are no debts due by directors or officers of the Company or any of them either severally or jointly with others or by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or Member as at 31 March 2022 and 31 March 2021.						

15 Cash and Cash Equivalents

15. नकद व नकदी के समकक्ष

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
बैंकों के समकक्ष चालू खाते में शेष	Balance with Banks in Current Accounts	8,185	5,397
हाथ में नकद	Cash on hand	63	74
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	Cheques, Drafts in hand	75	120
तीन महीनों से कम की बैंकों के समकक्ष सावधि जमाएं	Deposit with bank having original maturity of less than 3 Months	-	-
		<b>8,323</b>	<b>5,591</b>

16 Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents

16. नकद एवं नकदी के समकक्ष के अतिरिक्त बैंकों में शेष

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
3 महीने से अधिक व 12 महीने व इससे कम की बैंकों के समकक्ष सावधि जमाएं 3	Bank deposits with original maturity more than 3 months but less than equals to 12 months	34,017	1,563,323
		<b>34,017</b>	<b>1,563,323</b>

## 17. अन्य वित्तीय सम्पत्तियां

## 17 Other Financial Assets

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>सुरक्षित जमाएं</b>	<b>Security Deposits</b>		
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good	891	2,232
		891	2,232
12 महीने से अधिक समय की बैंको के समक्ष शेष:-	Deposit with banks for guarantee having original maturity of more than 12 months but maturing within 12 months of reporting date		
-खनन विभाग के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged with Mining Departments	6,445	4,077
-डैज्- गाड़ी के लिए कृषि विभाग राजस्थान के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged for dedicated Railway E-freight A/c	11,088	10,362
- ई-भाड़े के लिए रेलवे के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged with Agriculture Department of Rajasthan for hiring MSTL Van	212	-
-प्रदर्शन गारंटी के लिए ग्राहक FDRs	- Deposit with bank pledged with Customers for performance guarantee	2,699	-
- राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के समक्ष FDRs	- Deposit with bank pledged with RSPCB	184	-
		20,628	14,439
12 महीने से अधिक की बैंक मूल परिपक्वता वाली अन्य जमा राशि	Other Deposit with bank having original maturity of more than 12 months but maturing within 12 months of reporting date	309,682	398,240
सवधि जमा पर अर्जित ब्याज	Interest Accrued on Fixed Deposits	3,548	94,579
		<b>334,749</b>	<b>509,490</b>

## 18. अन्य कर सम्पत्तियां

## 18 Current Tax Assets (Net)

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
कर के प्रावधान के निवल आयकर आस्तियां	Income Tax Assets net of provision for tax	6,200	9,487
		<b>6,200</b>	<b>9,487</b>

19. अन्य चल सम्पत्तियां

19 Other Current Assets

Indian Rupees in Thousands

क्रेताओं को अग्रिम

Advances to Suppliers

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good	25,858	24,700
संदिग्ध	Doubtful*	24,069	24,069
—संदिग्धों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful	(24,069)	(24,069)
		25,858	24,700
संबंधित पक्षों को ऋण अथवा अग्रिम (नोट 46 देखें)	<b>Loans and Advances to Related Parties (refer note 46)</b>		
अच्छे समझे गये असुरक्षित	Unsecured considered good -		
(अ) मांग पर चुकाने योग्य	(a) Repayable on demand^	-	10
(ब) पुनः भुगतान की कोई शर्त निर्दिष्ट किए बिना	(b) Without specifying any terms or period of repayment		
	कर्जदार का प्रकार ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि		कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत
	<b>Type of borrower</b>	<b>Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding</b>	<b>Percentage to the total loans and advances in the nature of loans</b>
		31 March 2022	31 March 2021
प्रोत्साहक (प्रमोटर)	Promoters	-	-
निर्देशकों	Directors	-	-
KMPs	KMPs	-	-
संबंधित दल	Related parties	-	-
“ये अग्रिम KMP को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कर्मचारियों की क्षमता में दी गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है। यात्रा भत्ता व महंगाई भत्ता बिल जमा करने के माध्यम से अग्रिमों का निपटान किया जाएगा।	^ These advances represents amount given to KMP in their capacity of employees for discharging their duties and responsibilities. Advances will be settled through submission of TA DA bills.		
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम— असुरक्षित को अच्छा माना जाता है।	Loans and advances to Employees - Unsecured considered good	10	72
उपार्जित सरकारी अनुदान नोट-43 की अनुपालना	Accrued Government Grants (refer note 43)	-	1,063
प्री-पेड खर्च	Prepaid Expenses	1,038	705
RDSDE राजस्थान से प्राप्य	Receivable from RDSDE, Rajasthan	22	-
जीएसटी प्राप्य	GST Receivable	55,884	41,129
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की अधिकता उपहार (नोट 47 की देखें)	Excess of fair value of plan assets over present value of defined benefit obligation - Gratuity (refer note 47)	2,349	2,012
नकदीकरण छोड़ो (नोट 47 की देखें)	- Leave Encashment (refer note 47)	1,864	2,152
<b>कुल</b>		<b>87,025</b>	<b>71,843</b>

दिनांक 30 मार्च 2007 को जारी अध्यादेश से राजस्थान सरकार ने दिनांक 1.4.2006 से 31.03.2007 तक रु. 55/- में टन की दर से प्रत्यापित विकास शुल्क को वापस ले लिया गया था। अतः इस पर पिछले वर्ष के दौरान बकाया रु. 51113 हजार राजस्थान सरकार से प्राप्य है। परन्तु राजस्थान सरकार से लगातार लिखित संवाद के बावजूद भी कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में वर्ष 2010-11 के दौरान उपर्युक्त राशि रु. 51113 हजार का प्रावधान किया गया। हालांकि कठिन परिश्रम के उपरान्त दिनांक 27.12.2012 को उपर्युक्त राशि में से कुछ राशि कम्पनी अधिकार शुल्क व सेवा शुल्क के विरुद्ध समायोजित करवाने में रही। खनन विभाग ने उपर्युक्त राशि में से रु. 24069 हजार पुराने अधिकार व सेवा शुल्क व उन पर ब्याज के रूप में विनियोजित करते हुए शेष राशि रु. 27043 हजार को समायोजित करने के लिए कम्पनी को आज्ञा दे दी। कम्पनी ने इस राशि को पिछले वर्षों में समायोजित भी कर दिया। परन्तु रु. 24069 हजार के लिए कम्पनी ने वाद भी प्रस्तुत कर दिया, जिसको अगले 12 महीने में वसूल होने के संभावना है।

\* On 30 March 2007 the Government of Rajasthan had withdrawn development charges @ Rs.55/- per MT being levied on dispatches on Gypsum w.e.f. 1 April 2006 for which a claim, for the period from April 2006 to March 2007, amounting to Rs. 51,113 thousands was pending with the Government of Rajasthan. Despite constant follow-up there was no favourable response from the State Government. Therefore, a provision of Rs. 51,113 thousands was made in the books during 2010-11 on this account. However due to vigorous follow-up, we could get the sanction of the Govt. of Rajasthan, to get the amount adjusted against the Royalty and service charges payable, on 27 December 2012. However, the DMG authorities have appropriated Rs. 24,069 thousands towards old dues against royalty and interest on royalty etc. after allowing the same, the Company adjusted Rs. 27,043 thousands towards royalty in the previous years. The Company has contested the claim for Rs. 24,069 thousands, which are expected to be realised within 12 months.

**20. समता अंश पूंजी**
**20 Equity Share Capital**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
	<b>Authorised</b>		
50,000,000 (31 मार्च 2021 50,000,000) 10रु. वाले इक्विटी शेयर	50,000,000 (31 March 2021: 50,000,000) equity shares of Rs 10 each	500,000	500,000
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
निर्गमित, स्वीकृत व प्रदत्त अंश पूंजी 50,000,000 (31 मार्च 2021 50,000,000) 10 रु. वाले इक्विटी शेयर	Issued, Subscribed and Paid up 50,000,000 (31 March 2021: 50,000,000) equity shares of Rs 10 each fully paid up	500,000	500,000
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>अ. रिपोर्टिंग वर्ष के आरम्भ व अंत में अंश पूंजी का मिलान विवरण</b>	<b>A. Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of reporting year</b>		
दिनांक 1.04.2020 को समता अंश वर्ष के दौरान निर्गमित	<b>Equity Shares at the 1 April 2020</b>		30,000,000
	Add: Equity Shares issued during the year <sup>^</sup>		20,000,000
दिनांक 31.03.2021 को समता अंश	<b>Number of Shares at the 31 March 2021</b>		<b>50,000,000</b>
दिनांक 01.04.2021 को समता अंश वर्ष के दौरान निर्गमित	<b>Equity Shares at the 1 April 2021</b>		50,000,000
	Add: Equity Shares issued during the year <sup>^</sup>		-
दिनांक 31.03.2022 को समता अंश	<b>Number of Shares at the 31 March 2022</b>		<b>50,000,000</b>
कंपनी ने 31.03.2022 (मार्च 2021, 20,000,000) को समाप्त वर्ष के दौरान पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में प्रत्येक 10 रुपये के शून्य इक्विटी शेयर जारी किए हैं।	<sup>^</sup> The Company has issued Nil (31 March 2021: 20,000,000) equity shares of Rs 10 each as fully paid bonus shares.		

**ब. समता अंशों के साथ जुड़े हुए अधिकार, पूर्वाधिकार व प्रतिबन्ध:-**

कम्पनी में केवल एक प्रकार के समता अंश है। अतः सभी समता अंश कम्पनी की अवशिष्ट सम्पत्ति व लाभांश के सम्बन्ध में समान है। कम्पनी के सभी 100% अंश भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों के नाम हैं। समय-समय उद्घोषित लाभांश के लिए अंशधारी हकदार होते हैं। अंशधारियों के वोटिंग अधिकार अंशधारियों के द्वारा धारित किये गये वोटिंग के अनुपात में होते हैं। कम्पनी के समापन की दशा में, अधिमान्य अंशधारियों के वितरण के पश्चात् जो सम्पत्ति शेष होगी उसमें समता अंशधारकों को समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

**स. 5%से अधिक अंश धारण करने वाले अंश धारकों का विवरण:-**

अंशधारकों का नाम	Name of the Share Holder	31 March 2022		31 March 2021	
		Number of Shares अंशों की संख्या	% held of total Shares प्रतिशत अंश	Number of Shares अंशों की संख्या	% held of total Shares प्रतिशत अंश
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	President of India and his nominees	50,000,000	100	50,000,000	100

**द. तुलन पत्र की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्षों के दौरान नकद के अलावा निर्गमित अंश**

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021	31 March 2020	31 March 2019	31 March 2018	31 March 2017
		रु. 10 वाले बोनस अंश	Bonus Shares of Rs 10 each	-	20,000,000	-	-

**य. वर्ष के अंत में प्रवर्तकों की शेयरधारीता**

प्रोत्साहकों (प्रमोटकों) का नाम	Name of the Promoter	31 March 2022		31 March 2021	
		अंशों की संख्या Number of Shares	प्रतिशत अंश % held of total Shares	अंशों की संख्या Number of Shares	प्रतिशत अंश % held of total Shares
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	President of India and his nominees	50,000,000	100	50,000,000	100
वर्ष के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।	There is no change in shareholding of Promoter during the year				

**इ. लाभांश**

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>ए. वर्ष के दौरान भुगतान और मान्यता प्राप्त लाभांश</b>	<b>a. Dividends paid and recognised during the year</b>		
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश रु. 2.52 (31 मार्च 2020, रु. 4.17 रुपये) प्रति पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक।	Final dividend for the year ended 31 March 2021 of Rs 2.52 (31 March 2020: Rs 4.17) per fully paid equity share of Rs 10 each.	126,000	125,100
बी. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई।	<b>b. Dividends not recognised at the end of the reporting period</b>		
सी. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 2.51 रुपये (31 मार्च 2021, 2.52 रुपये) प्रति पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक।	c. Final dividend for the year ended 31 March 2022 of Rs 2.51 (31 March 2021: Rs 2.52) per fully paid equity share of Rs 10 each.	125,500	126,000

## 21. अन्य समता

## 21 Other Equity

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>अ. सामान्य संचय</b>	<b>A. General reserve</b>		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	Balance at the beginning of reporting period	129,942	316,461
+संचित आय से हस्तान्तरण	<b>Add:</b> Transferred from Retained Earnings	11,593	13,481
-बोनस शेयर जारी करना (नोट देखें 20)	<b>Less:</b> Issue of Bonus shares (Refer Note : 20)	-	(200,000)
<b>रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि</b>	<b>Balance at the end of reporting period</b>	<b>141,535</b>	<b>129,942</b>
<b>ब. विकास संचय</b>	<b>B. Development Reserve</b>		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	Balance at the beginning of reporting period	1,431,668	1,431,668
+संचित आय से हस्तान्तरण	<b>Add:</b> Transferred from Retained Earnings	-	-
<b>रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि</b>	<b>Balance at the end of reporting period</b>	<b>1,431,668</b>	<b>1,431,668</b>
<b>स. संचित आय</b>	<b>C. Retained Earnings</b>		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	<b>Balance at the beginning of reporting period</b>	454,480	453,866
वर्ष के दौरान लाभ	Profit for the year	115,933	134,811
परिभषित लाभ योजना का पुर्ननाप	Remeasurement of Defined Benefit Plans (Net of Tax)	2,149	4,384
सामान्य संचय को हस्तान्तरण	Transfer to General Reserve	(11,593)	(13,481)
विकास संचय को हस्तांतरण	Transfer to Development Reserve	-	-
लाभांश	Dividend Paid during the year	(126,000)	(125,100)
<b>रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि</b>	<b>Balance at the end of reporting period</b>	<b>434,969</b>	<b>454,480</b>
कुल अन्य इक्विटी	Total Other Equity	2,008,172	2,016,090
कम्पनी 2003-04 से ही अपने कर पश्चात लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तान्तरित कर रही है। तदनुसार 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर पश्चात लाभ का 10% अर्थात् रु. 11593 हजार (31.03.2021 को रु. 13481 हजार) सामान्य संचय में हस्तान्तरित किया। वर्ष 2004-05 के पश्चात् से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण के बाद लाभ की उपलब्धता और उस पर लाभांश, लाभांश कर के आधार पर, निर्देशक मण्डल कर लाभांश और के बाद लाभ के 70 प्रतिशत तक की सिफारिश करने का	The Company has been transferring not less than 10% of Profit after Tax (PAT) to the General Reserve every year starting from 2003-04. Accordingly, during the year ended 31 March 2022, a 10% of PAT amounting to Rs. 11,593 thousands (31 March 2021: Rs. 13,481 thousands) has been transferred to the General Reserve. From the year 2004-05 onwards, depending upon the availability of the profits after transfer to the General Reserve, and the Dividend, Dividend tax thereon, the Board of Directors shall endeavour to recommend up to 70% of the profit after tax, dividend and dividend		

प्रयास करेगा। विकास के लिए लाभांश कर। तदनुसार कंपनी ने रुपये शून्य (31 मार्च 2021 को रुपये शून्य) को विकास रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया है।

tax thereon to Development Reserve. Accordingly, the Company has transferred Rs Nil (31 March 2021: Rs. Nil) to Development Reserve.

DIPAM गाइडलाइन के अनुसार, प्रत्येक CPSE को 5 प्रतिशत के पीएटी का न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा। निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 2.51 प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, (31 मार्च 2021 रुपये 2.52 प्रति शेयर के लिए) जो DIPAM गाइडलाइन के अनुसार है और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन। इसके अलावा यह लाभांश वितरण कर के अधीन नहीं है।

As per DIPAM guideline, every CPSE shall pay a minimum of 30% of PAT or 5% or net worth whichever is higher. The Board of Directors have recommended a dividend of Rs 2.51 per share (31 March 2021: Rs. 2.52 per share) for the year ended 31 March 2022 for equity shares outstanding on that date which is in line with DIPAM guideline and subject to approval of the shareholders. Further the same is not subject to dividend distribution tax.

## 22. उधारी

## 22 Borrowings

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
दीर्घ कालीन उधारी	Long Term Borrowings	-	-
अल्प कालीन उधारी	Short Term Borrowings	-	-
		-	-
कंपनी के पास गैर-चालू परिसंपत्तियों और चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है। तदनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।	The company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of non current assets and current assets. Accordingly following disclosure are not applicable:		
अ. क्या कंपनी द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप है- लागू नहीं है।	a) Whether quarterly returns or statements of current assets filed by the company with banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts- Not applicable		
ब. यदि नहीं तो सुलह का सारांश और भौतिक विसंगतियों के कारण, यदि कोई हो, पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाना है-लागू नहीं है।	b) If not, summary of reconciliation and reasons of material discrepancies, if any to be adequately disclosed: Not applicable		
ऐसी कोई "दीर्घकालिक उधारी की वर्तमान परिपक्वता नहीं है जिसे अल्पावधिक उधारों के अंतर्गत प्रकट किया जाना है।	There are no "Current maturities of long-term borrowings" which are to be disclosed under Short Term Borrowings.		
उधार ली गई नीधियों के उपयोग के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के दौरान कोई उधार नहीं दिया गया था।	Disclosure regarding Utilization of borrowed funds is not applicable to the Company as there were no borrowings during the year, at the beginning and at the end of the year.		

## 23. पट्टा देनदारियां

## 23 Lease Liabilities

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
दीर्घ कालीन पट्टा देनदारियां	Long Term Lease Liabilities	-	-
अल्प कालीन पट्टा देनदारियां	Short Term Lease Liabilities	-	-
		-	-
वर्ष के दौरान, वर्ष के आरंभ में और अंत में कोई लागू पट्टे नहीं थे	There were no applicable Leases during the year, at the beginning and at the end of the year.		

## 24. व्यापारिक देनदारियां

## 24 Trade Payables

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सूक्ष्म उद्योगों और लघु उद्योगों की कुल बकाया राशि (नोट 51 देखें)	Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 51)	-	-
सूक्ष्म उद्योगों और लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	-	-
<b>31 मार्च 2022 तक व्यापारिक देनदारियां एजिंग शेड्यूल</b>	<b>Trade Payables aging schedule as at 31 March 2022</b>		
		Indian Rupees in Thousands	
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया	<b>Outstanding for following periods from due date of payment</b>		
एक वर्ष से कम		Less than 1 year	
1-2 वर्ष		1-2 years	
2-3 वर्ष		2-3 years	
3 वर्ष से अधिक		More than 3 years	Total
1. MSME (नोट 51 देखें)	(i) MSME (refer note 51)	-	-
2. अन्य	(ii) Others	-	-
3. विवादित बकाया (MSMEs) और	(iii) Disputed dues (MSMEs) and	-	-
4. विवादित बकाया (अन्य)	(iv) Disputed dues (Others)	-	-
<b>31 मार्च 2021 तक व्यापारिक देनदारियां एजिंग शेड्यूल</b>	<b>Trade Payables aging schedule as at 31 March 2021</b>		
		Indian Rupees in Thousands	
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया	<b>Outstanding for following periods from due date of payment</b>		
एक वर्ष से कम		Less than 1 year	
1-2 वर्ष		1-2 years	
2-3 वर्ष		2-3 years	
3 वर्ष से अधिक		More than 3 years	Total
1. MSME (नोट 51 की अनुपालना)	(i) MSME (refer note 51)	-	-
2. अन्य	(ii) Others	-	-
3. विवादित बकाया (MSMEs) और	(iii) Disputed dues (MSMEs) and	-	-
4. विवादित बकाया (अन्य)	(iv) Disputed dues (Others)	-	-

25. अन्य दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व

25 Other Financial Liabilities

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
कर्मचारी लाभ का दीर्घ कालीन वित्तीय दायित्व	Long Term Liability for Employee Benefits	-	-
अन्य दीर्घ कालीन दायित्व	Other Long Term Liabilities	18	18
		<b>18</b>	<b>18</b>

26. दीर्घ कालीन प्रावधान

26 Long-Term Provisions

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
दीर्घ कालीन प्रावधान	Long-Term Provisions	-	-

27. अन्य अचल दायित्व

27 Other Non-Current Liabilities

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सरकारी विभाग को देय	Payables related to Government Departments	-	-
देय वैधानिक दायित्व	Payables relating to Statutory Liabilities	-	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Customers	-	-
		-	-

28. व्यापारिक देय

28 Trade Payables

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का कुल बकाया (नोट संख्या-51)	Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 51)	11,814	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से अतिरिक्त लेनदारों को कुल बकाया	Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	26,461	35,454
		<b>38,275</b>	<b>35,454</b>

**31 मार्च 2022 तक व्यापारिक देनदारियां एजिंग शेड्यूल**
**Trade Payables aging schedule as at 31 March 2022**

Indian Rupees in Thousands

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया एक वर्ष से कम 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष 3 वर्ष से अधिक कुल	Outstanding for following periods from due date of payment	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1. MSME (नोट 51 की अनुपालना)	(i) MSME (refer note 51)	11,814	-	-	-	11,814
2. अन्य	(ii) Others	13,768	947	882	10,864	26,461
3. विवादित बकाया (MSMEs) और	(iii) Disputed dues (MSMEs) and	-	-	-	-	-
4. विवादित बकाया (अन्य)	(iv) Disputed dues (Others)	-	-	-	-	-

**31 मार्च 2021 तक व्यापारिक देनदारियां एजिंग शेड्यूल**
**Trade Payables aging schedule as at 31 March 2021**

Indian Rupees in Thousands

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया एक वर्ष से कम 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष 3 वर्ष से अधिक कुल	Outstanding for following periods from due date of payment	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1. MSME (नोट 51 की अनुपालना)	(i) MSME (refer note 51)	-	-	-	-	-
2. अन्य	(ii) Others	23,642	890	761	10,161	35,454
3. विवादित बकाया (MSMEs) और	(iii) Disputed dues (MSMEs) and	-	-	-	-	-
4. विवादित बकाया (अन्य)	(iv) Disputed dues (Others)	-	-	-	-	-

**29. अन्य वित्तीय दायित्व**
**29 Other Financial Liabilities**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
कर्मचारी सम्बन्धित देयताएं	Payables related to Employees	2,877	3,520
बयाना धन एवं सुरक्षा जमा	Earnest Money and Security Deposit	15,553	14,989
पूँजीगत वस्तुओं के लिए लेनदार	Creditor for capital goods	1,421	-
		<b>19,851</b>	<b>18,509</b>

30. अन्य चल दायित्व

30 Other Current Liabilities

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सरकारी विभागों से सम्बन्धित देयताएं	Payables related to Government Departments	15,251	11,443
वैधानिक दायित्व	Payables relating to Statutory Liabilities	26,150	11,468
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Customers	81,030	80,807
		<b>122,431</b>	<b>103,718</b>

31. अल्प कालीन प्रावधान

31 Short-Term Provisions

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	11,136	11,637
		<b>11,136</b>	<b>11,637</b>

32. वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)

32 Current Tax Liabilities (Net)

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
आय के लिए प्रावधान	Provision for Income Tax	3,435	6,488
		<b>3,435</b>	<b>6,488</b>

आयकर का प्रावधान अग्रिम कर से शुद्ध है, रुपये 37,290 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 39,585 हजार) Provision for Income Tax is net of advance tax Rs 37,290 thousands (31 March 2021 : Rs 39,585 thousands)

33. संचालन से आय

33 Revenue from Operations

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
अ. ग्राहकों के साथ अनुबन्ध से आय	a. Revenue from Contracts with Customers		
उत्पादों की बिक्री	Sale of Products- Gypsum	414,370	378,135
संचालन से प्राप्त कुल आय	<b>Total Revenue from Operations</b>	<b>414,370</b>	<b>378,135</b>
अनुबंध की कीमत के साथ राजस्व का मिलान:-	Reconciliation of Revenue		
	Recognised with Contract Price:	31 March 2022	31 March 2021
अनुबंध	<b>Contract Price</b>	441,412	430,691
छूट के लिए समायोजना	Adjustments for: Discounts	27,042	52,556
ग्राहकों के साथ अनुबन्ध से आय	<b>Revenue from Contracts with Customers</b>	414,370	378,135
निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों, अनुबंध से परिसम्पत्तियों व अनुबंध से देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।	The following table provides information about receivables, contract assets and contract liabilities from the contracts with customers.		

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
व्यापारिक प्राप्तियां	Trade Receivables	5,651	13,832
अनुबन्धात्मक दायित्व	Contract Liabilities	81,030	80,807
अनुबन्धात्मक सम्पत्तियां	Contract Assets	-	-
रिपोर्टिंग तिथि पर कम्पनी की व्यापारिक प्राप्तियां मुख्यतः बेचे गये माल व उसके विरुद्ध उत्पन्न किये गये बिल से सम्बन्धित हैं। अनुबन्धात्मक दायित्वों में मुख्यतः ग्राहकों से लिए गये अग्रिम शामिल हैं। अनुबन्ध की संपत्ति मुख्य रूप से पूरी की गई आपूर्ति के लिए कंपनी के विचार के अधिकार से संबंधित हैं। लेकिन पुनः प्रस्तुत करने की तिथि पर भुगतान नहीं किया गया है। जब अधिकार बिना शर्त हो जाते हैं तो अनुबंध की संपत्ति प्रायः में स्थानांतरित कर दी जाती है। यह आमतौर पर तब होता है जब कंपनी ग्राहक को चालान जारी करती है। दिनांक 31.03.2022 दिनांक 31.03.2021 को कोई भी अनुबन्धात्मक सम्पत्तियां नहीं थी।	The Trade receivables primarily relate to the Company's right to consideration for supplies completed and billed at the reporting date.  The contract liabilities primarily relate to the advance consideration received from the customers.  The contract assets primarily relate to the Company's right to consideration for supplies completed but not billed at the reporting date. The contract assets are transferred to receivables when the rights become unconditional. This usually occurs when the company issues an invoice to the Customer. As 31 March 2022 and 31 March 2021, there were no contract assets.		

**34. अन्य आय**
**34 Other Income**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सवाधि जमाओं से प्राप्त ब्याज	Interest Income on Bank Deposits	131,328	149,375
स्क्रेप की बिक्री	Scrap Sales	1,069	51
स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त	Profit on Sale of Fixed Assets	99	373
अन्य विविध आय	Miscellaneous Other Income	670	1,637
		<b>133,166</b>	<b>151,436</b>

**35. खनन कार्यों की लागत**
**35 Cost of Mining Operations**

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
संचालन लागत	Operation Cost	51,043	38,717
राज्य सरकार को अधिकार शुल्क	Royalty To State Government	74,714	95,552
माल ढुलाई भाड़ा	Freight and Handling Charges	107,197	83,426
पर्यावरण व्यय	Environment Expenses	699	2,407
खनन योजना व्यय	Mining Plan Expenditure	890	30
संचालन एवं स्थापना के लिए सहमति शुल्क	Fee For Consent To Operate and Establishment	896	966
खनन से सम्बन्धित अन्य व्यय	Miscellaneous Expenses for Mining Operations	416	466
		<b>235,855</b>	<b>221,564</b>

36. खपत हुए माल की लागत

36 Cost of Material Consumed

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
माल की खपत	Raw Material Consumed	-	-
पैकिंग सामग्री	Packing Material		
आरम्भिक रहतियां	Opening Stock	10,478	11,355
+क्रय	<b>Add : Purchases</b>	15,514	5,795
-निर्गमित	<b>Less : Issued for Disposal</b>	-	-
-अंतिम रहतियां	<b>Less : Closing Stock</b>	11,150	10,478
पैकिंग सामग्री की खपत	Packing Material Consumed	14,842	6,672
+निरीक्षण व्यय	<b>Add : Inspection Charges</b>	70	184
-ठेकेदारों से वसूली	<b>Less : Recoveries from Contractor</b>	102	51
पैकिंग सामग्री की खपत (शुद्ध)	Packing Material Consumed (Net)	14,810	6,805
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	Stores and Spares		
आरम्भिक रहतियां	Opening Stock	775	328
+क्रय	<b>Add : Purchases</b>	598	688
-निर्गमित	<b>Less : Issued for Disposal</b>	-	-
-अंतिम रहतियां	<b>Less : Closing Stock</b>	935	775
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	Stores and Spares Consumed	438	241
-ठेकेदारों से वसूली	<b>Less : Recoveries from Contractor</b>	16	-
		<b>15,232</b>	<b>7,046</b>

कम्पनी जिप्सम के खनन का कार्य करती है जो कि ऊपरी सतह पर पाया जाता है अतः इसका अधिकांश संचालन आउटसोर्स किया जाता है। इसलिए कच्चे माल की कोई भी खपत नहीं है। हालांकि कृषि योग्य जिप्सम के पैकिंग में HDPE बैग की आवश्यकता होती है, जिसका आरम्भिक रहतिया, क्रय व अंतिम रहतिया रूपर दी गई है।

The Company is doing open cast mining of mineral Gypsum and most of the operations are outsourced, therefore, no raw material is consumed. However, the Agriculture Grade Gypsum powder requires HDPE Bags for packing, the details of which i.e. opening stock, closing stock and purchases is given as above.

37. तैयार माल के रहतियों में परिवर्तन

37 Changes in Inventories of Finished Goods

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
तैयार माल की आरम्भिक रहतियां	Opening Inventories of Finished Goods	3,264	3,261
तैयार माल की अंतिम रहतियां	Closing Inventories of Finished Goods	2,234	3,264
		<b>1,030</b>	<b>(3)</b>

## 38. कर्मचारी पर व्यय

## 38 Employee Benefit Expenses

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
वेतन, मजदूरी तथा बोनस	Salaries, Wages and Bonus	53,471	52,471
भविष्य तथा अन्य निधियों में योगदान (नोट-47)	Contribution to Provident and Other Funds (Refer note 47)	7,398	9,471
कर्मचारियों को शेयर आधारित भुगतान	Share based payment to employees	-	-
उपादान (नोट-47)	Gratuity Expenses (Refer note 47)	1,521	1,588
कर्मचारी कल्याण व्यय (नोट-47)	Staff Welfare Expenses (Refer note 47)	3,558	3,788
		<b>65,948</b>	<b>67,318</b>

## 39. वित्तीय लागत

## 39 Finance Cost

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
ब्याज	Interest	-	-
प्रतिदेय वरीयता शेयरों पर लाभांश	Dividend on redeemable preference shares	-	-
विनिमय अंतर की उधार लेने की लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है	Exchange differences regarded as an adjustment to borrowing costs	-	-

## 40. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

## 40 Depreciation and Amortisation Expense

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
मूल्यह्रास	Depreciation	6,334	2,480
परिशोधन	Amortisation	88	88
		<b>6,422</b>	<b>2,568</b>

## 41. अन्य व्यय

## 41 Other expenses

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
मरम्मत एवं रखरखाव	Repairs and Maintenance	1,176	932
शक्ति व ईंधन	Power and fuel	7,571	6,884
बीमा	Insurance	252	248
किराया (नोट 44)	Rent (refer note 44)	2,526	3,013
दरें और कर	Rates and Taxes	-	-
यात्रा व्यय	Travelling Expenses	906	693

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
ट्रान्सफर पर यात्रा व्यय	Travelling Expenses On Transfer	203	66
निदेशक यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses	433	393
विशेषज्ञ परामर्श शुल्क	Expert Consultancy Fee	2,591	3,453
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	8,853	8,797
विज्ञापन व्यय	Advertisement	21	908
दूरभाष व्यय	Telephone Charges	366	477
बिजली पर व्यय	Electricity Charges	1,018	803
वाहन किराया व्यय	Hire Charges On Vehicle	120	44
निदेशकों का बैठक शुल्क	Sitting Fee Of Directors	160	80
सी.एस.आर. पर व्यय(नोट-52)	Expenditure On CSR (refer note 52)	4,614	6,214
लेखापरीक्षक को भुगतान (नोट-42)	Payment to Auditor (refer note 42)	160	160
टैक्स एवं अन्य आडिट शुल्क	Tax Audit & Other Audit Fees	43	140
अनुबंधित श्रम की लागत	Cost of Contract Labour Deployed	15,066	16,443
विक्रय सम्वर्धन व्यय	Sale Promotion Expenses	14	-
पंजीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	Registration and Licence Fee	224	152
एसएसपी परियोजना के लिए विशेष रूप से किया गया व्यय बट्टे खाते में डाला गया (नोट-4)	Expenditure incurred exclusively for SSP Project written off (refer note 4)	-	3,404
अन्य विविध व्यय	Other Miscellaneous Expenses	3,464	2,472
		<b>49,781</b>	<b>55,776</b>

#### 42. लेखा परीक्षक को भुगतान

#### 42 Payments to the auditor

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में	As Statutory Auditor	140	140
कराधान मामले के लिए	For taxation matters	-	-
कंपनी कानून मामले के लिए	For Company Law matters	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	For Other Services	-	-
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	For reimbursement of expenses	20	20
		<b>160</b>	<b>160</b>

## 43. अपवादात्मक मदें / आय (खर्च)

## 43 Exceptional Item - Income / (Expense)

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
FAGMIL पीएफ ट्रस्ट के निवेश हानि का प्रावधान	Provision for impairment of Investments of FAGMIL PF trust	(13,312)	-
पीएफ ट्रस्ट के निवेश के नुकसान की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Loss of Investment of PF trust	(3,172)	-
उपार्जित सरकारी गारंट बट्टे में डाला गया	Accrued Government Grant written off	(1,063)	-
वापस लिए गये अधिक प्रावधान	Excess Provision Written Back	8	6,892
		<b>(17,539)</b>	<b>6,892</b>

**फेगमिल पीएफ ट्रस्ट के निवेश की हानि के लिए प्रावधान**

कंपनी ईपीएफओ को पीएफ ट्रस्ट सरेंडर करने की प्रक्रिया में है। ट्रस्ट ने कुछ कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश किया था, जिन्होंने ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक की थी। पीएफ नियमों के अनुसार, ट्रस्ट को किसी भी नुकसान की स्थिति में कंपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगी, इसलिए कंपनी ने रुपये 13312 हजार (31 मार्च 2021 रुपये शून्य हजार) प्रदान किए हैं। स्वतंत्र मूल्य द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर

**पीएफ ट्रस्ट के नुकसान निवेश की प्रतिपूर्ति**

कंपनी पीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ को सौंपने की प्रक्रिया में है। ट्रस्ट ने रुपये 6,200 हजार की डीएचएफएल की प्रतिभूतियों में निवेश किया था जिसमें ब्याज में चूक थी और मूलधन का पुनर्भुगतान में चूक थी। चूक के बाद डीएचएफएल को कुल मूलधन से अधिक और बाहर ले लिया गया था रुपये 3,028 हजार पीएफ नियमों के अनुसार पीएफ ट्रस्ट द्वारा अंतिम निपटान के रूप में प्राप्त किए गए थे। पीएफ नियमों के अनुसार ट्रस्ट को नुकसान होने की स्थिति में कंपनी पीएफ ट्रस्ट को भुगतान करने कंपनी द्वारा रुपये 3172 हजार (31 मार्च 2021 रुपये शून्य हजार) के मूलधन के नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।

**उपार्जित सरकारी अनुदान बट्टे खाते में डाला गया**

कंपनी को डीओएफ से पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि धन का आवंटन न होने की स्थिति में सरकारी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए, पिछले वर्षों में अर्जित अनुदान को बट्टे खातें डाल दिया गया।

**अतिरिक्त प्रावधान पुनः लिखित**

वर्ष के दौरान लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान में पहले के वर्षों में बनाए गए अतिरिक्त प्रावधानों का लेखन शामिल है।

1. रुपये 8 हजार (31 मार्च, 2021, रुपये 51 हजार) विभिन्न खर्चों और

**Provision for impairment of Investments of FAGMIL PF trust**

The Company is in process of surrendering PF Trust to EPFO. The Trust had invested in securities of certain Companies which had defaulted interest and re payment of principal. As per PF rules, in the event of any loss to Trust, the Company shall be liable to make good the loss. Therefore, the Company has provided Rs 13,312 thousands (31 March 2021 : Rs Nil thousands) on the basis of valuation carried out by Independent Valuer.

**Reimbursement of Loss of Investment of PF trust**

The Company is in process of surrendering PF Trust to EPFO. The Trust had invested in securities of DHFL amounting Rs 6,200 thousands which had defaulted interest and re payment of principal. Subsequent to default, DHFL was taken over and out of total principal, Rs 3,028 thousands was received as final settlement by PF trust. As per PF rules, in the event of any loss to Trust, the Company shall be liable to make good the loss. Loss of principal Rs 3,172 thousands (31 March 2021 : Nil thousands) was made good by the Company by making payment to PF trust.

**Accrued Government Grant written off**

The Company received letter from DoF stating that Government Grant will not be paid due to non-allocation of funds. Therefore, grants accrued in previous years has been written off

**Excess Provision Written Back**

Excess Provision written back during the year includes writing back of excess provision created in earlier years i.e.

i. Rs.8 thousands (31 March 2021: Rs.51 thousands) towards various expenses; and

2. कंपनी ने रुपयों का एक समूह बनाया है। वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ के लिए पिछले वर्षों के दौरान रुपये 10,000 हजार बोर्ड ने पोस्ट रिटायरमेंटल मेडिकल बेनिफिट योजना (योजना) को मंजूरी दे दी है, जो कि एक 1 जनवरी 2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पोस्ट रिटायरमेंटल मेडिकल लाभ के लिए आवश्यक योजना के अनुसार, रुपये 3159 हजार जो की रिटैन और बैलेंस कॉर्पस की राशि है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रुपये 6841 हजार पुनः लिखा गया है।

#### 44. अल्पकालीन पट्टे

कम्पनी ने 12 से 24 महीने की अवधि के लिए रेलवे से कामर्शियल भूमि व अन्यो से कार्यालय भवन किराये पर लिया है। ये सभी पट्टे 2 से 12 महीने की नोटिस पर समाप्त किये जा सकते हैं एवं पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत किराये की राशि बढ़ाने के साथ-साथ नवीनीकृत किये जा सकते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेलवे प्लॉट की लीज सरेंडर कर दी गई है। रुपये 2526 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 3013 हजार) को लीज एग्रीमेंट के तहत किए गए कुल खर्च को वर्ष के दौरान लाभ और हानि में व्यय के रूप में दिखाया गया है।

#### 45. संदिग्ध दायित्व एवं प्रतिबद्धताएं

(रु. हजार में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
(1) संदिग्ध दायित्व (जिस सीमा तक इन्हें दिखाया नहीं गया है)	—	—
कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	—	—
— कम्पनी के खिलाफ श्रम व अन्य मामलों से सम्बन्धित कानूनी केस, जिनकी राशि पता नहीं लगायी जा सकती।	—	—
(ब) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी	—	—
(स) अन्य धन जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	5,246	5,246

महानिदेशक कार्यालय विदेश व्यापार जयपुर ने सूचित किया कि रु. 2726 हजार की राशि जो कि वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 के लिए मानित आयात पर ड्यूटी ड्रा बैक के रूप में मंजूरी की गई थी, कम्पनी से वसूली योग्य है। अतः जे.डी.जी.एफ.

ii) The Company has created a corpus of Rs 10,000 thousands during previous years for Post retirement Medical benefits. During the year, the Board has approved Post Retirement Medical benefits scheme (the "Scheme"). According to the Scheme actual corpus required, for Post Retirement Medical benefits for the employees who retired prior to 1 January 2007, is Rs 3,159 thousands which is retained and balance corpus amounting Rs 6,841 thousands has been written back during the year ended 31 March 2021.

#### 44 Short Term Leases

The Company has taken office buildings and railway commercial plots on leases having lease period ranging from 12 months to 24 months. These leasing arrangements are cancellable with notice ranging from 2 to 12 months, and are renewable on a periodic basis by mutual consent on mutually accepted terms including escalation of lease rent. During the year ended 31 March 2021, lease of railway plot has been surrendered. Total expense incurred under lease agreement recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss during the year is Rs. 2,526 thousands ( 31 March 2021: Rs.3,013 thousands)

#### 45 Contingent Liabilities and Commitments

Indian Rupees in Thousands

Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>i. Contingent Liabilities (to the extent not provided for)</b>		
<b>a. Claims against the Company not acknowledged as debts</b>		
- Claims in respect of legal cases filed against the Company for labour and other matters, amount whereof is not ascertainable	-	-
<b>b. Guarantees excluding financial guarantees</b>	-	-
<b>c Other money for which the Company is contingently liable</b>	5,246	5,246

The Office of the Director General Foreign Trade, Jaipur have intimated that an amount of Rs.2,726 thousands which was granted as duty drawback on deemed exports for the year 31 March 1999, 31 March 2000 and 31 March 2001 is recoverable from Company. In view of the demand

टी. की मांग को देखते हुए रुपये 2726 हजार लाख को निश्चित देनदारी माना गया है एवं वर्ष 1994-95, 1996-97, 1997-98 और 2001-02 के लिए ड्यूटी ड्रा बैक के रूप में प्राप्त हुए शेष राशि रुपये 52.46 हजार लाख को जिसकी कोई मांग जे डी जी एक ही ने नहीं की है, संभावित देनदारी के रूप में माना गया है। 2005 से 2016-17 तक के वर्षों के लिए रुपये 28377 हजार के उपरोक्त शुल्क वापसी के दावे के कारण प्राप्त नहीं माना गया है और तदनुसार शुल्क ड्रॉबैक प्राप्त करने में अनिश्चितता को देखते हुए आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। कंपनी जेडीजीएफटी और मंत्रालय स्तर पर मामले पर विचार कर रही है। रुपये 28377 हजार के दावे के निपटान के लिए मामला 5 फरवरी 2021 को उर्वरक विभाग को भेजा गया है।

नोट i(a) और i(b) और i(c) के संबंध में कंपनी के लिए निम्न मुद्दों को बंद करने और नगदी प्रवाह के परिणामी समय, यदि कोई हो, का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

## (2) पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
अ. शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खातों पर निष्पादित की जानी है और इसके लिए प्रदान नहीं की गई है।	—	—
विवेक विहार जोधपुर में कार्यालय भवन का निर्माण	—	73,504
	—	73,504
ब. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेश पर अनावश्यक देयता	—	—
स. अन्य प्रतिबद्धताएं	—	—

## 46. सम्बन्धित पक्षों से लेन-देन

(रु. हजार में)

सम्बन्धित पक्षों से लेन-देन का विवरण नीचे दिया गया है:-

### अ. मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
<b>परिश्रमिक</b>		
ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़ (23 जुलाई 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	4,896	1,649
श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा	—	—

by JDGFT, the amount of Rs.2,726 thousands have been provided as confirmed liability and the rest of the amount received towards duty drawback for the year 1994-95, 1996-97, 1997-98 and 2001-02 amounting to Rs.5,246 thousands for which there is no demand from JDGFT, have been treated as contingent liability. Owing to above, duty drawback claim amounting to Rs. 28,377 thousands for the years from 2005 to 2016-17 has not been considered as receivable and accordingly, not recorded as income considering the uncertainty in receiving duty drawback. The Company is perusing matter with JDGFT and at Ministry level. The matter has been referred to Department of Fertilizers for settlement of claim of Rs 28,377 thousands.

In respect of note i(a), i(b) and i(c) it is not practicable for the Company to estimate the closure of these issues and the consequential timing of cash flows, if any

## ii. Capital and Other Commitments (net of advances)

Particulars	31 March 2022	31 March 2021
a. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for		
- Construction of Office Building at Vivek Vihar, Jodhpur	-	73,504
		<b>73,504</b>
b. Uncalled liability on shares and other investments partly paid	-	-
c. Other commitments	-	-

## 46 Related Party Transactions

Indian Rupees in Thousands

Disclosure for Related Party transactions is given below:

### a Key Management Personnel

Particulars	31 March 2022	31 March 2021
<b>i Remuneration</b>		
Brigadier Amar Singh Rathore, Chairman & Managing Director (with effect from 23 July 2020)	4,896	1,649
Shri Partha Sarthi Sen Sharma,	-	-

(दिनांक 22 जुलाई 2020 से पूर्व  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, 3,394 4,160  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
(दिनांक 31 अगस्त 2021 तक)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, 2,178 -  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
(दिनांक 27 जनवरी, 2022 से)

श्री सिद्धार्थ कुमार 740 1368  
कम्पनी सचिव  
(दिनांक 31 जुलाई 2021 तक)

सुश्री उर्वशी वर्मा 1043 -  
कम्पनी सचिव,  
(27 जनवरी 2022 से)

इसमें वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में योगदान पेंशन, छुट्टियों के नकदीकरण चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नियमानुसार गैर मौद्रिक अनुलाभ शामिल होते हैं। प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण के लिए किए गए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमाकित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। '31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पारिश्रमिक का प्रतिनिधित्व करने वाली जानकारी पारिश्रमिक की तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि वे 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान KMP नहीं थे।

## (2) मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों को अग्रिम

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (23 जुलाई 2020 से)	-	8
श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 अगस्त 2021 तक)	-	2
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>10</b>

## 47. कर्मचारी कल्याण

### अ. उपादान:-

कम्पनी पर उपादान भुगतान अधिनियम-1972 लागू होता है एवं कम्पनी के सभी कर्मचारी उपादान स्कीम के अन्तर्गत आते हैं। उपादान के दायित्वों का भुगतान करने के लिए कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा से समूह उपादान योजना ली है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त अथवा अलग होने की दशा में (दोनों में जो पहले हो),

Chairman & Managing Director  
(upto 22 July 2020)

Shri Surendra Singh Shekhawat, 3,394 4,160  
Chief Financial Officer  
(upto 31 August 2021)

Shri Rajendra Singh Rathore, 2,178 -  
Chief Financial Officer  
(from 27 January 2022)\*

Shri Siddharth Kumar, 740 1,368  
Company Secretary  
(upto 31 July 2021)

Miss Urvashi Verma, 1,043 -  
Company Secretary  
(from 27 January 2022)\*

The above amount includes salaries and allowances, contribution to Provident fund, pension etc. and actual payments towards leave encashment, medical reimbursement if any, in addition to the above they are eligible for non-monetary perquisites as per Government of India guidelines. The remuneration to key management personnel does not include the provisions made for gratuity, leave encashment as they are determined on actuarial basis for the Company as a whole.

\* Information represent remuneration for the year ended 31 March 2022. Comparative information of remuneration is not presented as they were not KMP during the year ended 31 March 2021

## ii Advance to KMP

Particulars	31 March 2022	31 March 2021
Brigadier Amar Singh Rathore, Chairman & Managing Director (with effect from 23 July 2020)	-	8
Shri Surendra Singh Shekhawat, Chief Financial Officer (upto 31 August 2021)	-	2
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>10</b>

## 47 Employee Benefits

### a. Gratuity Plan

The Gratuity Act 1972 applies to the Company and all the employees on the rolls of the Company are covered under Gratuity scheme. To meet the requirement of the gratuity liability the Company has taken a Group Gratuity Scheme under defined benefit plan of LIC of India. Gratuity



(9) नियोक्ता द्वारा अंशदान	ix Contributions by Employer	959	1,937
(10) देय लाभ	x Benefits Paid	(6,292)	(4,000)
<b>(11) योजनाकृत सम्पत्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष</b>	<b>xi Closing Fair Value of Plan Assets (vi+vii+viii+ix+x)</b>	<b>24,091</b>	<b>27,593</b>
शुद्ध सम्पत्तियां/(दायित्व)	Net Asset/(Liability)	2,349	2,012
मान्यता प्राप्त व्यय:—	Expense/(gain) recognised in:		
लाभ/हानि खाते में	Statement of Profit and Loss	<b>1,521</b>	<b>1,588</b>
अन्य विस्तृत आय विवरण में	Statement of Other Comprehensive Income	<b>(899)</b>	<b>(1,526)</b>
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त:—	Amount recognised in the Balance Sheet		
वर्ष के अंत में योजनाकृत सम्पत्ति का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	24,091	27,593
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present value of Defined Benefit Obligation as at the end of the year	21,742	25,581
वर्ष के अंत में शुद्ध योजनाकृत सम्पत्ति/(दायित्व)	<b>Net plan Assets / \ (Obligation) as at end of year</b>	<b>2,349</b>	<b>2,012</b>
अचल	Non Current	-	-
चल	Current	2,349	2,012
कम्पनी की योजनाओं के लिए ग्रेच्युटी लाभ दायित्वों का निर्धारण करने में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं निम्न हैं:—	The principal assumptions used in determining gratuity benefit obligations for the Company's plans are shown below:		

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
छूट की दर	Discount Rate	7.16%	6.80%
भविष्य में वेतन वृद्धि	Future Salary Increase	9.00%	9.00%
मृत्यु दर की तालिका	Mortality Table	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
सेवानिवृत्त आयु	Retirement Age in years	60	60
उम्र में निकासी (निकासी की दर%)	Attrition at Ages (Withdrawal Rate (%))		
30 वर्ष	Up to 30 Years	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	From 31 to 44 years	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	Above 44 years	1.00%	1.00%

परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमाकिक धारणाएँ छूट की दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि है। सभी अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली सम्बन्धित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर नीचे दिये गये संवेदशीलता विश्लेषणों को निर्धारित किया गया है।

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

**47 कर्मचारी कल्याण (जारी)**
**47 Employee Benefits (Continued)**

रुपये हजार में

Indian Rupees in Thousands

**संवेदनशीलता विश्लेषण**
**Sensitivity Analysis**

रिपोर्टिंग तिथि पर अन्य मान्यताओं को स्थिर करते हुए किसी एक प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में संभावित परिवर्तन, परिभाषित लाभ दायित्व की राशि को निम्न तरह प्रभावित करता है:-

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below :

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation at the end of the year	21,742	25,581
कल्पना की गई छूट की दर में 0.5% की वृद्धि	Effect of 0.5% Increase in the Assumed Discount Rate	(1,003)	(1,042)
कल्पना की गई छूट की दर में 0.5% की कमी	Effect of 0.5% Decrease in the Assumed Discount Rate	1,083	1,128
कल्पना की गई वेतन दर में 0.5% की वृद्धि	Effect of 0.5% Increase in the Assumed Salary Rate	445	548
कल्पना की गई वेतन दर में 0.5% की कमी	Effect of 0.5% Decrease in the Assumed Salary Rate	(496)	(583)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन के प्रतिनिधि नहीं हो सकते क्योंकि कुछ धारणायें सहसंबद्ध होने के कारण यह संभव नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है, जो कि बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त लाभ परिभाषित लाभ योजना की तरह ही है। पूर्व के वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग किये जाने वाले तरीकों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

The sensitivity analyses presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated. Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the balance sheet. There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

दायित्वों को, छूट की दर का उपयोग करके (जो सरकारी बान्ड पर बाजार की पैदावार के सन्दर्भ में निर्धारित होती है एवं दायित्व के अनुमानित शर्तों के अनुरूप होती है) अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

The obligations are measured at the present value of estimated future cash flows by using a discount rate that is determined with reference to the market yields at the Balance Sheet date on Government Bonds which is consistent with the estimated terms of the obligation.

मुद्रास्फिति, सुरक्षा, पदोन्नति, और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान बीमांकन मूल्यांकन में लिया जाता है।

The estimate of future salary increase, considered in the actuarial valuation, takes account of inflation, security, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.

**परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल**
**Maturity Profile of Defined Benefit Obligation**

वर्ष	31.03.2022	31.03.2021
0-1 वर्ष	362	5823
1-2 वर्ष	395	361

YEARS	31 March 2022	31 March 2021
0 to 1 Year	362	5,823
1 to 2 Year	395	361

2-3 वर्ष	3261	364	2 to 3 Year	3,261	364
3-4 वर्ष	2017	2847	3 to 4 Year	2,017	2,847
4-5 वर्ष	1324	1695	4 to 5 Year	1,324	1,695
5-6 वर्ष	261	1158	5 to 6 Year	261	1,158
6 वर्ष से अधिक	14122	13333	6 Year onwards	14,122	13,333

**ब. छुट्टियों का नकदी करण:-**

कम्पनी में छुट्टियों के नकदीकरण की एक नीति है। सेवा के दौरान एवं सेवा से अलग होते समय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार छुट्टियों का नकदी करण किया जाता है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिनों तक छुट्टियों के नकदीकरण की राशि (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) का प्रावधान लाभ हानि खाते में किया जाता है। इन 300 दिनों के छुट्टियों के नकदीकरण के अतिरिक्त, अर्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है, हालांकि समग्र नकदीकरण वाले छुट्टियों की संख्या 300 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्ध वेतन अवकाश के लिए देय राशि छुट्टियों के नकदीकरण की राशि के आधे होगी, जिसमें आधा मूल वेतन एवं आधा मंहगाई भत्ता शामिल होगा। यह अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करेगा। अर्ध वैतनिक अवकाश का विनिमय नहीं किया जा सकता। दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया गया है। कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा से समूह रोककरण की पालिसी ली है ताकि इससे उत्पन्न दायित्व को पूरा किया जा सके। कम्पनी भारतीय जीवन बीमा द्वारा प्रबन्धित फण्ड में वार्षिक योगदान करती है जिसे वेतन तथा मजदूरी में शामिल किया जाता है। योजनाकृत सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

दिनांक 31.03.2022 व 31.03.2021 को वित्तीय विवरणों में IndAS के प्रावधानों के अनुसार रोककरण की राशि व फण्ड की स्थिति को निम्न तालिका में दिखाया गया है:-

**b. Leave Encashment**

The Company has an Earned Leave Encashment policy and encashment is given during the service and the time of separation as per prescribed guidelines. Provision for Encashment of Earned Leave equivalent to maximum 300 days (basic plus dearness allowance is provided) at the year end and charged to Statement of Profit and Loss. The encashment of half pay leave is allowed in addition to encashment of earned leave subject to overall limit of 300 days (including earned leave) at the time of separation from the Company. The cash equivalent payable for Half pay leave would be equal to leave salary as admissible for half pay plus DA and to make up the shortfall in earned leave. No commutation of Half pay leave shall be allowed for this purpose. The liability for the year ended 31 March 2022 is accounted for on the basis of Actuarial Valuation. The company has taken a Group Leave Encashment policy with LIC of India to meet the liability of Encashable leave and the annual contributions to the fund which is managed by LIC, are included in the Salaries and Wages. The details of the plan assets are as given in the note below.

The following tables set out the funded status of the leave encashment and the amounts recognised in the Company's Ind AS financial statements as at 31 March 2022 and 31 March 2021.

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
(1) परिभाषित लाभ दायित्व का आरम्भिक शेष	i Opening defined benefit obligation	27,318	29,328
वर्तमान सेवा मूल्य	Current Service Cost	2,407	2,327
ब्याज की लागत	Interest Cost	1,858	1,994
भूतपूर्व सेवा लागत	Past Service Cost	-	-
(2) लाभ/हानि खाते में शामिल	ii Sub-total included in Statement of Profit and Loss (ii+iii+iv)	4,265	4,321
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ/हानि)	Actuarial (Gain)/Loss on arising from Change in Demographic Assumption	-	-



विवरण छुट्टियों का नगदीकरण

Leave encashment (Funded)

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
छूट की दर	Discount Rate	7.16%	6.80%
भविष्य में वेतन वृद्धि	Future Salary Increase	9.00%	9.00%
मृत्यु की दर तालिका	Mortality Table (LIC)	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
सेवानिवृत्त आयु	Retirement Age	60 Years	60 Years
उम्र में निकासी (निकासी की दर%)	Attrition at Ages (Withdrawal Rate (%))		
30 वर्ष तक	Up to 30 Years	3.00%	3.00%
31 वर्ष से 44 वर्ष तक	From 31 to 44 years	2.00%	2.00%
44 से अधिक	Above 44 years	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता विश्लेषण

Sensitivity Analysis

रिपोर्टिंग तिथि पर अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए किसी एक प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में संभावित परिवर्तन, नीचे दिये गये राशियों के परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करता है:-

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below :

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation at the end of the year	23,681	27,318
कल्पना की गई छूट की दर में 0.5% की वृद्धि	Effect of 0.5% Increase in the Assumed Discount Rate	(1,442)	(1,449)
कल्पना की गई छूट की दर में 0.5% की कमी	Effect of 0.5% Decrease in the Assumed Discount Rate	1,602	1,648
कल्पना की गई वेतन दर में 0.5% की वृद्धि	Effect of 0.5% Increase in the Assumed Salary Rate	1,551	1,569
कल्पना की गई वेतन दर में 0.5% की कमी	Effect of 0.5% Decrease in the Assumed Salary Rate	(1,433)	(1,447)

परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल

Maturity Profile of Defined Benefit Obligation

वर्ष	Year	31 March 2022	31 March 2021
0-1 वर्ष	0 to 1 Year	504	5,348
1-2 वर्ष	1 to 2 Year	446	435
2-3 वर्ष	2 to 3 Year	1,600	415
3-4 वर्ष	3 to 4 Year	1,864	1,574
4-5 वर्ष	4 to 5 Year	880	1,271
5-6 वर्ष	5 to 6 Year	338	710
6 वर्ष से अधिक	6 Year onwards	18,049	17,565



कंपनी के पास निर्दिष्ट योगदान करने के अलावा कोई दायित्व नहीं है, जैसाकि वे अर्जित करते हैं, लाभ और हानि के विवरण के यह शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2009 के लिए कुल-मिलाकर सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों में योगदान के लिए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रुपये 1047 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 2009 हजार)

#### 48. खंडित रिपोर्टिंग

##### प्राथमिक खण्ड:-

वर्ष के दौरान कम्पनी की गतिविधियां जिप्सम के खनन और बिक्री से सम्बन्धित है। मुख्य संचालन अधिकारी के संसाधनों के आवंटन व कम्पनी के व्यवसाय के स्वभाव को देखते हुए IndAS(108 संचालन खण्ड) के आवश्यकतानुसार कम्पनी में केवल एक रिपोर्टिंग खण्ड है:-

##### भौगोलिक खण्ड:-

कम्पनी का संचालन केवल भारत में किया जाता है अतः कोई अलग से रिपोर्ट करने हेतु भौगोलिक खण्ड नहीं है।

##### प्रमुख ग्राहक:- वर्ष 31.03.2022 के दौरान

कम्पनी के प्रमुख ग्राहकों अ, ब, स, द, इ से कुल राजस्व क्रमशः रुपये 17379 हजार (31.03.221 को रुपये 75864 हजार), रुपये 71780 हजार (31.03.2021 को रुपये शून्य हजार), रुपये 78417 हजार (31.03.2021 को रुपये 143148 हजार), रुपये 32968 हजार (दिनांक 31.03.2021 को रुपये 41432 हजार), रुपये 21486 हजार (31.03.2021 को रुपये 48249 हजार) रुपये 141425 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 25019 हजार) का रहा, जो कि कम्पनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है:-

charged to the statement of profit and loss as they accrue. The amount recognized as an expense towards contribution to Post-retirement medical benefits for the year aggregated to Rs 1,047 thousands (31 March 2021 : Rs 2,009 thousands)

#### 48 Segment Reporting

##### Primary Segment:

The Company's activities during the year are related to mining and selling of Gypsum. Considering the nature of Company's business, as well as based on reviews by the chief operating decision maker to make decisions about resource allocation and performance measurement, there is only one reportable segment in accordance with the requirements of Ind AS - 108 – "Operating Segments".

##### Geographical Segment:

The operations of the Company are conducted within India and there is no separate reportable geographical segment.

##### Major Customer

Revenue from customers A, B, C, D, E and F which account for Rs 17,379 thousands (31 March 2021: Rs 75,864 thousands), Rs 71,780 thousands (31 March 2021: Rs. Nil thousands), Rs. 78,417 thousands (31 March 2021: Rs 143,148 thousands), Rs 32,968 thousands(31 March 2021: Rs. 41,432 thousands ), Rs 21,486 thousands (31 March 2021: Rs. 48,249 thousands) and Rs 141,425 thousands(31 March 2021: Rs. 25,019 thousands) of the Company's revenue respectively during the year ended 31 March 2022 which is more than 10 percent of the Company's total revenue.

49 वित्तीय प्रपत्र

49 Financial Instruments

श्रेणीनुसार वित्तीय प्रपत्र:- निम्न तालिका वित्तीय सम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की उचित मात्रा और उचित मूल्यों को दर्शाती है जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में उनका स्तर दिनांक 31.03.2022 तक शामिल है:-

**Financial Instruments by category:** The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their levels in the fair value hierarchy as at 31 March 2022:

Indian Rupees in Thousands

विवरण Particulars	परिशोधन लागत Amortised cost	लाभ-हानि खातों में बताये गये वित्तीय सम्पत्तियों एवं दायित्वों का उचित मूल्य Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss		OCI के द्वारा बताये गये वित्तीय सम्पत्तियों / दायित्वों का उचित मूल्य Financial assets/ liabilities at fair value through OCI		कुल आगे ले जाये गये मूल्य Total carrying value	कुल उचित मूल्य Total fair value	उचित मूल्य स्तर Fair value level
		प्रारंभिक मान्यता पर मानित Designated upon initial recognition	प्रारंभिक मान्यता पर मानित अनिवार्य Mandatory	इक्विटी उपकरण Equity instruments designated upon initial recognition	अनिवार्य Mandatory			
<b>सम्पत्तियां:-</b>	<b>Assets:</b>							
<b>अचल:</b>	<b>Non current:</b>							
विनियोग	Investments	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	Loans	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	Other Financial Assets	1,891,962	-	-	-	1,891,962	-	-
<b>चल:</b>	<b>Current:</b>							
विनियोग	Investments	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	15,651	-	-	-	15,651	-	-
नकद व समतुल्य	Cash and Cash Equivalents	8,323	-	-	-	8,323	-	-
उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents	34,017	-	-	-	34,017	-	-
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	Other Financial Assets	334,749	-	-	-	334,749	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2,284,702</b>	-	-	-	<b>2,284,702</b>	-	-
<b>दायित्व</b>	<b>Liabilities:</b>							
<b>अचल:</b>	<b>Non current:</b>							
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-	-	-
लीज देनदारिया	Lease Liabilities	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देनदारिया	Trade Payables	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	18	-	-	-	18	-	-
<b>चल:-</b>	<b>Current:</b>							
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-	-	-
लीज देनदारिया	Lease Liabilities	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	Trade Payables	38,275	-	-	-	38,275	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	19,851	-	-	-	19,851	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>58,144</b>	-	-	-	<b>58,144</b>	-	-

Indian Rupees in Thousands

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि इसकी वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जैसे नकद और नकद समकक्ष व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय संपत्ति, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाती हैं।

The management has assessed that its financial assets and liabilities like cash and cash equivalents, trade receivables, other financial assets, trade payables and other current liabilities approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

49 वित्तीय प्रपत्र (जारी)

निम्न तालिका का वित्तीय सम्पत्तियों और दायित्वों की उचित मात्रा और उचित मूल्यों को दर्शाती है, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में उनका स्तर दिनांक 31.03.2021 तक शामिल है:-

49 Financial Instruments (Continued)

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their levels in the fair value hierarchy as at 31 March 2021:

विवरण Particulars	परिशोधन लागत Amortised cost	लाभ-हानि खातों में बताये गये वित्तीय सम्पत्तियों एवं दायित्वों का उचित मूल्य Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss		OCI के द्वारा बताये गये वित्तीय सम्पत्तियों / दायित्वों का उचित मूल्य Financial assets/ liabilities at fair value through OCI		कुल आगे ले जाये गये मूल्य Total carrying value	कुल उचित मूल्य Total fair value	उचित मूल्य स्तर Fair value level
		प्रारंभिक मान्यता पर मानित Designated upon initial recognition	प्रारंभिक मान्यता पर मानित अनिवार्य Mandatory	इक्विटी उपकरण Equity instruments designated upon initial recognition	अनिवार्य Mandatory			
<b>सम्पत्तियाँ:</b>	<b>Assets:</b>							
<b>अचल:</b>	<b>Non current:</b>							
विनियोग	Investments	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	Loans	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	Other Financial Assets	236,163	-	-	-	236,163	-	-
<b>चल:</b>	<b>Current:</b>							
विनियोग	Investments	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	13,832	-	-	-	13,832	-	-
नकद व समतुल्य	Cash and Cash Equivalents	5,591	-	-	-	5,591	-	-
नकद व समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents	1,563,323	-	-	-	1,563,323	-	-
अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	Other Financial Assets	509,490	-	-	-	509,490	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2,328,399</b>	-	-	-	<b>2,328,399</b>	-	-
<b>दायित्व</b>	<b>Liabilities:</b>							
<b>अचल:</b>	<b>Non current:</b>							
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-	-	-
लीज देनदारियाँ	Lease Liabilities	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	Trade Payables	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	18	-	-	-	18	-	-
<b>चल:</b>	<b>Current:</b>							
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-	-	-
लीज देनदारियाँ	Lease Liabilities	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	Trade Payables	35,454	-	-	-	35,454	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	18,509	-	-	-	18,509	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>53,981</b>	-	-	-	<b>53,981</b>	-	-

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि इसकी वित्तीय संपत्ति और देनदारियाँ जैसे नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय संपत्ति, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देनदारियाँ इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणी राशि का अनुमान लगाती हैं।

The management has assessed that its financial assets and liabilities like cash and cash equivalents, trade receivables, other financial assets, trade payables and other current liabilities approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

## 49 वित्तीय प्रपत्र (जारी)

आदान के प्रकार निम्न है:-

**इनपुट स्तर-1 (प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य)** जिसमें समान परिसम्पत्तियों के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य शामिल है जैसे सुरक्षा एक्सचेंजों पर इक्विटी सुरक्षा के लिए उद्धृत मूल्य

**इनपुट स्तर-2 (अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य)** जिसमें समान बाजारों के लिए सक्रिय बाजार की कीमतें शामिल हैं जैसे कि सक्रिय बाजार में समान परिसम्पत्तियों के लिए उद्धृत मूल्य, समान व्यवस्थाओं आदि को शामिल किये गये लेन देन में कीमतों से प्राप्त कई मूल्यांकन

**इनपुट स्तर-3 (जिन्हें पहचाना न जा सके):-** जिसमें उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रबन्धन की अपनी धारणाएँ शामिल हैं जैसे किसी व्यवसाय आदि को महत्व देने के लिए उपयोग किये जाने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह।

### वित्तीय जोखिम प्रबन्धन

कम्पनी में वित्तीय प्रपत्रों से जुड़े निम्न जोखिम है:-

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम
- बाजार जोखिम

### जोखिम प्रबंधन ढांचा

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देनदारियों में व्यापारिक देय व अन्य देनदारियां शामिल होती हैं। इन देनदारियों का उद्देश्य कम्पनी के कार्यों का वित्त पोषण करना होता है। कम्पनी के प्रमुख वित्तीय सम्पत्तियों में व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य, नकद व समकक्ष बैंक शेष शामिल होते हैं जो सीधे संचालन से प्राप्त होते हैं। कम्पनी क्रेडिट जोखिम, तरलता, जोखिम एवं बाजार जोखिम के अधीन में है।

#### 1. ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कम्पनी की वित्तीय नुकसान का वह जोखिम है जिससे कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, एवं यह मुख्य रूप से ग्राहकों से व कम्पनी की प्राप्तियों से जुड़े हुए होते हैं

निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों की अग्रणीत राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है।

#### अन्य वित्तीय सम्पत्तियां:-

कम्पनी अपने नकद व नकद के समकक्ष, बैंक जमाएं अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड व अच्छी प्रतिष्ठा वाले जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, बैंकों के पास रखती है और साथ समय-समय पर उनके क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा भी करती रहती है।

## 49 Financial Instruments (Continued)

Types of inputs are as under:

**Input Level I (Directly Observable)** which includes quoted prices in active markets for identical assets such as quoted price for an equity security on Security Exchanges.

**Input Level II (Indirectly Observable)** which includes prices in active markets for similar assets such as quoted price for similar assets in active markets, valuation multiple derived from prices in observed transactions involving similar businesses etc.

**Input Level III (Unobservable)** which includes management's own assumptions for arriving at a fair value such as projected cash flows used to value a business etc.

### Financial Risk Management

The Company has exposure to the following risks arising from financial instruments:

- Credit Risk ;
- Liquidity Risk ; and
- Market Risk

### Risk Management Framework

The Company's principal financial liabilities, comprise of trade payables and other liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations. The Company's principal financial assets include trade and other receivables, cash and cash equivalents and other bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to credit risk, liquidity risk and market risk.

#### (i) Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's receivables from customers.

The carrying amount of following financial assets represents the maximum credit exposure:

#### Other Financial Assets

The Company maintains its Cash and cash equivalents and Bank deposits with banks having good reputation, good past track record and high quality credit rating and also reviews their credit-worthiness on an on-going basis.

**व्यापारिक एवं अन्य प्राप्यः—**

कम्पनी का ऋण जोखिम विशेष रूप से प्रत्येक ग्राहक की विशेषताओं से प्रभावित होता है। हालांकि प्रबंधन अन्य कारकों पर भी विचार करता है जो ग्राहकों के ऋण जोखिम को प्रभावित कर सकता है। उपरोक्त प्राप्य जो पिछले देय हैं लेकिन न्यून नहीं है व्यक्तिगत मामले के आधार पर सहायता करते हैं और राज्य सरकार की एजेंसियों से संबंधित है, जिनसे डिफॉल्ट का कोई हालिया इतिहास नहीं है। प्रबंधन का विचार है कि ये न्यून हुई संपत्तियां नहीं है क्योंकि इनके साथ में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है एवं ये ग्राहकों के साथ गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर जिनसे वह संबंधित है पुर्न प्राप्त करने योग्य है। अतः प्राप्यों की क्रेडिट हानि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2022, दिनांक 31.03.2021 को कम्पनी में कोई भी न्यून हुई संपत्ति नहीं है जिसका पिछले वर्षों का प्राप्य बकाया हो।

**2. तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कम्पनी को अपने वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होता है जो नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों को वितरित करके तय किये जाते हैं। तरलता प्रबंधन के लिए जहां तक संभव हो कि कम्पनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या देय होने की तिथि पर कम्पनी अपने देनदारियों के भुगतान को सामान्य अथवा तनावग्रस्त माहौल में बिना किसी नुकसान अथवा कम्पनी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाये, कर पाने में सक्षम है।

**तरलता जोखिम के लिए जोखिम**

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय दायित्वों के लिए निम्नलिखित शेष संविदात्मक परिपक्वताएं हैं:— राशियाँ सकल और बिना छूट वाली हैं

**Trade and Other Receivables**

The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. However, management also considers the factors that may influence the credit risk of its customer base. The above receivables which are past due but not impaired are assessed on individual case to case basis and relate to a State Government Agencies from whom there is no recent history of default. Management is of the view that these financial assets are not impaired as there has not been a significant change in credit quality and are recoverable based on the nature of the activity with the respective customer to which they belong and the type of customers. Consequently, no provision has been created on account of expected credit loss on the receivables. There are no other classes of financial assets that are past due but not impaired as at 31 March 2022 and 31 March 2021.

**(ii) Liquidity Risk**

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Company's reputation.

**Exposure to Liquidity Risk**

The following are the remaining contractual maturities of financial liabilities at the reporting date. The amounts are gross and undiscounted.

विवरण	31 March 2022	Contractual cash flows/ अनुबन्धात्मक नकद प्रवाह				
		आगे ले जाये गयी राशि Carrying amount	12 महीने से कम Less than 12 months	1-2 वर्ष 1-2 years	2-5 वर्ष 2-5 years	5 वर्ष से अधिक More than 5 years
गैर व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व	<b>Non-derivative Financial Liabilities</b>					
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	Trade payables	38,275	38,275	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	19,869	19,851	18	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>58,144</b>	<b>58,126</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

विवरण	31 March 2022	Contractual cash flows/ अनुबन्धात्मक नकद प्रवाह				
		आगे ले जाये गयी राशि Carrying amount	12 महीने से कम Less than 12 months	1-2 वर्ष 1-2 years	2-5 वर्ष 2-5 years	5 वर्ष से अधिक More than 5 years
गैर व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व	Non-derivative financial liabilities					
ऋण	Borrowings	-	-	-	-	-
व्यापारिक देय	Trade payables	35,454	35,454	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	Other Financial Liabilities	18,527	18,509	18	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>53,981</b>	<b>53,963</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(iii) बाजार जोखिम**

बाजार के कीमतों में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार का जोखिम उत्पन्न होता है इसमें विदेशी विनिमय दर, ब्याज दर एवं समता अंशों के मूल्य में परिवर्तन शामिल होता है जो कि न केवल कम्पनी के आय को प्रभावित करता है बल्कि कम्पनी के वित्तीय धारिताओं के कुल मूल्य को भी प्रभावित करता है बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण ब्याज दरों में जोखिम उत्पन्न होता है जिसके कारण भविष्य के नकद प्रवाह अथवा वित्तीय प्रपत्रों की धारिताओं का कुल मूल्य प्रभावित होता है। कम्पनी अपने अधिक्व की राशि को बैंक सवाधियों में जमा करती है। इन जमा सांवधियों पर बैंक एक निश्चित दर पर ब्याज देता है चूंकि बैंक द्वारा देय ब्याज दर निश्चित होती है। अतः कम्पनी में ब्याज की दरों कोई जोखिम नहीं होता है।

**पूंजी प्रबंधन**

कम्पनी की पूंजी में अंश पूंजी व अंशधारियों के लिए उपलब्ध सामान्य संचय शामिल होते हैं। पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कम्पनी को चालू संस्था के रूप में सुरक्षा प्रदान करना व अंशधारकों के कुल धारिताओं का मूल्य बढ़ाना होता है। दिनांक 31.03.2022 को कम्पनी में केवल समता अंश थे एवं कोई ऋण नहीं था। इस तरह के पूंजी संरचना में बाहरी पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

**50. प्रति अंश आय****प्रति अंश आधारभूत एवं द्रव्यित आय:**

आधारभूत एवं द्रव्यित प्रति अंश आय की गणना करने के लिए अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभ अंशों की संख्या एवं भारत आधार पर औसत अंशों की संख्या निम्न तरीके से निकाली जाती है।

**(iii) Market Risk**

Market risk is the risk that changes in market prices – such as foreign exchange rates, interest rates and equity prices – will affect the Company's income or the value of its holdings of financial instruments. Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The company quite often deposits surplus of bank balances in fixed deposits. Such deposits carries interest rate offered by banks. Since the interest rates on fixed deposits are fixed, the Company does not have any interest rate risk.

**Capital Management**

For the purpose of the Company's capital management, capital includes issued capital and all other equity reserves attributable to the equity shareholders of the Company. The primary objective of the Company when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern and to maintain an optimal capital structure so as to maximize shareholder value. As at 31 March 2022, the Company has only one class of equity shares and has no debt. Consequent to such capital structure, there are no externally imposed capital requirements.

**50 Earnings Per Shares****Basic and Diluted Earnings Per Share**

The calculations of profit attributable to equity shareholders and weighted average number of equity shares outstanding for purposes of basic/diluted earnings per share calculation are as follows:

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
अंशधारकों को देय लाभ	Profit for the year attributable to the Equity Holders (Indian Rupees in Thousand)	115,933	134,811
भारित आधार पर समता अंशधारकों की संख्या	Weighted average number of Equity Shares	50,000,000	50,000,000
प्रति अंश लागत (रु.)	Face value per Share (in Rupees)	10	10
<b>आधारभूत व द्रव्यित आय</b>	<b>Basic and Diluted Earning Per Share (in Rupees)</b>	<b>2.32</b>	<b>2.70</b>

#### 51. सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों को बकाया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसमेड) के तहत जो 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ता से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना और रिकॉर्ड के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ता को कोई बकाया नहीं है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रकटीकरण निम्न है:-

सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

#### 51 Dues to Micro Small and Medium Enterprises

Under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 (MSMED) which came into force from 2 October 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro and Small suppliers. On the basis of the information and records available with the management, there are no outstanding dues to the Micro and Small suppliers as defined in the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006.

Disclosure under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

Indian Rupees in Thousands

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता की बकाया मूल राशि	Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the year end.	11,814	-
वर्ष के अंत में मूल राशि के ब्याज का बकाया	Interest due on principal remaining unpaid at the end of the year	-	-
MSMED अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत देय ब्याज	Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act	-	-
वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई मूल राशि का भुगतान	The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year	-	-
सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलम्बित भुगतानों के लिए वर्ष के दौरान देय भुगतान और उस पर ब्याज	Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms	-	-
वर्ष के दौरान कुल अर्जित और बकाया ब्याज	Total interest accrued during the year and remaining unpaid	-	-
बाद के वर्षों में देय एवं बकाया ब्याज	Amount of further interest remaining due and payable even in succeeding years	-	-

**52. सी.एस.आर गतिविधियों से सम्बन्धित प्रकटीकरण:-**

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार खर्च की जाने वाली राशि रुपये 4,612 हजार (31 मार्च 2021 रुपये 6,189 हजार)

सी.एस.आर. गतिविधियों का कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नुसार है:-

**52 Disclosure relating to Corporate Social Responsibility "CSR" Activities:**

Amount required to be spent as per section 135 of the Companies Act Rs 4,612 thousands (31 March 2021: Rs. 6,189 thousands).

The functional classification of the same is as under:-

**Indian Rupees in Thousands**

विवरण	Particulars	31 March 2022		31 March 2021	
		सम्पत्ति का निर्माण व अधिग्रहण Construction / Acquisition of any assets (i)	(1) के अतिरिक्त उद्देश्य On the purpose other than (i)	सम्पत्ति का निर्माण व अधिग्रहण Construction / Acquisition of any assets (i)	(1) के अतिरिक्त उद्देश्य On the purpose other than (i)
पीने के पानी की सुविधा	Making available safe Drinking Water	-	-	-	132
निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	Promoting healthcare including preventive health care	-	2,461	-	1,574
शिक्षा को बढ़ावा	Promotion of Education	-	878	-	3,090
आर एंड डी परियोजना सिलिकस चाक	R&D Project- Silicious Chalk	-	1,275	-	-
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं की स्थापना	Setting up of facilities for senior citizen	-	-	-	45
PM CARE फंड में योगदान और आपात स्थितियों में राहत कोष में योगदान	Contribution to The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund	-	-	-	1,373
		-	<b>4,614</b>	-	<b>6,214</b>
इस सम्बन्ध में अन्य प्रकटीकरण निम्न है।	The other disclosures are as under:-				

विवरण	Particulars	31 March 2022	31 March 2021
वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय किया जाने वाला आवश्यक व्यय	i. amount required to be spent by the company during the year	4,612	6,189
व्यय की गई राशि	ii. amount of expenditure incurred	4,614	6,214
वर्ष के अंत में कमी	iii. shortfall at the end of the year	-	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	iv. total of previous years shortfall	-	-
कमी का कारण	v. reason for shortfall	Not applicable	Not applicable
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	vi. nature of CSR activities	Making available safe Drinking Water, Promoting healthcare including preventive health care, Promotion of Education, R&D Project- Silicious Chalk, Setting up of facilities for senior citizen and Contribution to The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund	
सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास परियोजना- सिलिकियस चॉक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा की स्थापना और प्रधान मंत्री नागरिक सहायता में योगदान और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत।			

संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण का प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट का सरल उदाहरण है।	vii. details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard	Not applicable	Not applicable
जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है वर्ष के दौरान प्रावधान में आंदोलनों को अलग से दिखाया जाएगा।	viii. where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	Nil	Nil

### 53. बंद कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

### 54. अघोषित आयक के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने अपने सभी लेनदेन को खातों की किताबों में दर्ज किया गया है। ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अन्य कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरंज रख या प्रकटीकरण किया गया हो (जैसे खोज या सर्वेक्षण या आय के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान कर अधिनियम, 1961 के अनुसार)

वर्ष के दौरान पहले से कोई अलिखित आय और संबंधित संपत्तियां नहीं हैं जिन्हें बहीखाते में दर्ज करने की आवश्यकता है।

### 55. ऋण और अग्रिम के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है। (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) इस समझ के साथ की लिखित रूप में दर्ज किया गया है या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से पहचान की गई संस्थाओं में निवेश करेगा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें।

इसके अलावा कंपनी ने विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई फंड नहीं लिया है। इस समझ के साथ की लिखित रूप में दर्ज किया गया है या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करेगी। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा किसी व्यक्ति या फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से पहचान की गई संस्थाओं में निवेश करेगा द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें।

### 56. क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

### 53 Relationship with struck off companies

Company has no transactions with Companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956

### 54 Disclosure in relation to undisclosed income

The Company has recorded all its transactions in the books of accounts. There are no transactions that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961) There are no previously unrecorded income and related assets that are required to be recorded in the books of account during the year.

### 55 Disclosure in relation to Loans and Advances

The Company has not advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to or in any other person or entity, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

Further, the Company has not received any funds from any person or entity, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

### 56 Details of Crypto Currency or Virtual Currency

The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

**57. विलफुल डिफॉल्टरों का विवरण**

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

**58. कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण**

वर्ष के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। क्योंकि वर्ष के दौरान और अंत में शुरुआत में कोई सुधार नहीं लिया गया था।

**59. व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन**

कंपनी के संबंध में व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

**60. कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन**

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और 100 प्रतिशत शेयरधारिता अध्यक्ष और उनके नामांकित व्यक्तियों के पास है, इसलिए कंपनियों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

**57 Details of Wilful defaulters**

The Company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

**58 Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies**

During the year no charge were created on the assets of the Company as there were no borrowings at the beginning, during and at the end of the year.

**59 Compliance with approved scheme of arrangement**

There are no approved scheme of arrangement in relation to the Company.

**60 Compliance with number of layers of companies**

There is no subsidiary company of the Company and 100% shareholding is held by the President and his nominees. Therefore compliance with number of layer of companies is not applicable.

61 Disclosure of ratios

Ratio	Numerator	Denominator	31 March 2022	31 March 2021	Variance %	Reason for Variance if >25%
Current ratio (in times)	Total current assets	Total current liabilities	2.56	12.44	<b>-79.42%</b>	Decrease is due to increase in Bank Deposits of More than 12 Months
Debt-Equity ratio (in times)	Debt consists of borrowings and lease liabilities	Total equity	Refer Note i below			
Debt service coverage ratio (in times)	Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses + Interest + Other non-cash adjustments	Debt service = Interest and lease payments + Principal repayments	Refer Note i below			
Return on equity ratio (in %)	Profit for the year less Preference dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	4.61	5.37	<b>-14.15%</b>	Not applicable
Inventory turnover ratio (in times)	Sales	Average Inventory	29.24	26.10	<b>12.03%</b>	Not applicable
Trade receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	8.28	7.34	<b>12.81%</b>	Not applicable
Trade payables turnover ratio (in times)	Net Credit Purchases/ Expenses= Total Expenses - Finance Cost - Depreciation and Amortisation Expense – Employee Benefit Expenses – Other expenses with respect to Royalty, Rates & Taxes, Provision for Doubtful Debts & Advances, Loss on sale of Items of Property, plant and equipment	Average Trade Payables	6.14	5.89	<b>4.24%</b>	Not applicable
Net capital turnover ratio (in times)	Net Sales	Working Capital	1.36	0.19	<b>615.79%</b>	Increase is due to increase in Bank Deposits of More than 12 Months
Net profit ratio (in %)	Net Profit after tax	Net Sales	27.98	35.65	<b>-21.51%</b>	Not applicable
Return on capital employed (in %)	Earning before interest and taxes	Capital Employed = Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	6.21	7.24	<b>-14.23%</b>	Not applicable
Return on investment (in %)	Market Value at End of time period + Market Value at Beginning of time period- Sum of Cash inflow, cash outflow on specific date	Market Value at Beginning of time period+ Sum of Product of Cash inflow, cash outflow on specific date Weight of the net cash flow	Refer Note ii below			

Note i: The Company does not have any borrowings at the beginning, during and at the end of the year, accordingly information for Debt-equity ratio (in times) and Debt service coverage ratio (in times) is not presented.

Note ii: The Company does not have any investments at the beginning, during and at the end of the year, accordingly information for Return on investment (in %) is not presented.

## 61. अनुपात का प्रकटीकरण

अनुपात	मीटर	भाजक	31.03.2022	31.03.2021	विचरण प्रतिशत	विचरण का कारण यदि >25 %
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल वर्तमान संपत्तियां	कुल मौजूदा देनदारिया	2.56	12.44	-79.42%	कमी 12 महीनों से अधिक की बैंक जमा में वृद्धि के कारण
ऋण- इक्विटी अनुपात (समय में)	ऋण में उधार और पट्टे की देनदारियां शामिल हैं।	कुल इक्विटी	—	नीचे नोट 1 देखें		
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (प्रतिशत में)	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनः भुगतान	—	नीचे नोट 1 देखें		
इक्विटी अनुपात पर वापसी (प्रतिशत में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरियता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	4.61	5.37	-14.15%	लागू नहीं
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय में)	बिक्री	औसत सूची	29.24	26.10	12.03%	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	8.28	7.34	12.81%	लागू नहीं
व्यापार देय कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट खरीद/व्यय = कुल व्यय -वित्त लागत - मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय- कर्मचारी लाभ व्यय-रॉयल्टी के संबंध में अन्य व्यय, संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए दरें और कर प्रावधान, सुरक्षित वस्तुओं पर हानि संपत्ति संयंत्र और उपकरण	औसत व्यापार भुगतान	6.14	5.89	4.24%	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.36	0.19	615.79%	वृद्धि 12 महीनों से अधिक की बैंक जमा में वृद्धि के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	27.98	35.65	-21.51%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर वापसी (प्रतिशत में)	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त नेटमूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	6.21	7.24	-14.23%	लागू नहीं
निवेश पर वापसी (प्रतिशत में)	समय अवधि के अंत में बाजार मूल्य + समय अवधि की शुरुआत में बाजार मूल्य + विशिष्ट तिथि पर नगदी प्रवाह, नगदी बहिर्वाह का योग	समय की शुरुआत में बाजार मूल्यअवधि नकदी के उत्पाद का योग निवल नकदी + प्रवाह के विशिष्ट विधि भार पर अंतर्वाह नकदी बहिर्वाह		नीचे नोट 2 देखें		

नोट 1. कंपनी के पास वर्ष के अंत में और शुरुआत में कोई उधार नहीं है तदनुसार ऋण इक्विटी अनुपात (समय में) और ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) के लिए जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है।

नोट 2. कंपनी के पास वर्ष के अंत में और शुरुआत में कोई निवेश नहीं है तदनुसार निवेश पर वापसी (प्रतिशत में) के लिए जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

## 62. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित और पुनःसमूहित किया गया है जहां कहीं भी आवश्यकता और / या उन्हें चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए व्यावहारिक बनाया गया है।

## 62 Previous Year Figures

Figures for previous year have been re-arranged and regrouped wherever necessary and/or practicable to make them comparable with those of the current year.

निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date

For and on behalf of the Board  
of Directors

मै. ओम.पी. माहेश्वरी  
एसोसिएट्स सनदी  
लेखाकार  
एफ आर एन: 011335C

**Om P. Maheshwari  
& Associates**

**FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited**

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN:011335C

(ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डी.आई.एन:08792652

(अनिल फुलवारी)  
निदेशक

डी. आई.एन 09367508

(महेश कुमार राठी)  
साझेदार

सदस्यता संख्या: 400791

(Brigadier Amar Singh Rathore)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

DIN: 08792652

(Anil Phulwari)  
DIRECTOR

DIN: 09367508

Mahesh Kumar Rathi  
PARTNER

M.No. 400791

दिनांक: 05 जुलाई 2022  
स्थान: जोधपुर

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(उर्वशी वर्मा)  
कम्पनी सचिव

DATED : 05 July 2022

PLACE : Jodhpur

(Rajendra Singh Rathore) (Urvashi Verma)  
Chief Financial Officer Company Secretary

**FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LIMITED**

Institutional Area, Sector B, Vivek Vihar Awas Yojna, Jodhpur

Form No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rules 19(3) of Companies (Management and Administration) Rules 2014]

Name of the Company: FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, CIN: U14105RJ2003GOI018093

Registered Office: Institutional Area, Sector B, Vivek Vihar Aawas Yojna, Jodhpur.

Name of Member (S).....

Registered address.....

E Mail ID.....

Folio No./Client ID .....DP ID.....

I/We being a member (s) of ..... shares of above named company, hereby appoint

<b>NAME</b>	
<b>Address</b>	
<b>E Mail ID</b>	

Or failing him

<b>NAME</b>	
<b>Address</b>	
<b>E Mail ID</b>	
<b>Signature</b>	

As my/ our proxy to attend and vote (on poll) for me/us on my/ our behalf at the 19th Annual General Meeting/ Extraordinary General Meeting of the company to be held on the 12.09.2022, at 01:00 p.m. through video conferencing and at adjournment thereof in respect of such resolution as are indicated below:

S. No.	Resolutions	For	Against
	To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2022, the report of the Board of Directors' and Auditors' Report thereon		
	To declare dividend on Equity shares of the Company		
	To fix the remuneration of auditors and to consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution		

Signed this..... day of.....2022.

Signature of Member

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hour before the commencement of the meeting.